लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK-SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 25 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-16, मंगलवार, 11 मार्च, 1969/20 फाल्गुन, 1890 (शक)

No 16 –Tuesday, March 11, 1969/Phalguna 20, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या./S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
392	मैसूर के लिये आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	Income Tax Appellate Tribunal for Mysore ...	1–4
393	वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme	4–8
394	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तोड़ फोड़ की घटनाएं	Subversion in Durgapur Steel Plant	8–12
395	मध्यावधि चुनाव	Mid Term Elections	12–17
396	चुनाव याचिकाएं	Election Petitions	17–19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
291	समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा	Donations to Political Parties by Companies ..	19
297	चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से ट्रैक्टर का कारखाना	Tractor Factory with Czech Collaboration ...	19–20
298	सांविधानिक उपबन्धों के निर्वाचनों के पुनर्विलोकन की व्यवस्था	Machinery to Review Interpretation of Constitutional Provisions	20
399	विदेशी सहयोग करार	Foreign Collaboration Agreements	20–21
400	प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करना	Abolition of Managing Agency System	21
401	टायरों के आयात के लिये लाइसेंस	Licences for Import of Tyres	21–23
402	सरकारी ऋणों की अदायगी न करने के कारण उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against U.P. Mill owners Non-payment of Government Loans	23

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न का सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

403	वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Commercial Vehicles	23-24
404	गुजरात में मध्यम पैमाने के उद्योग	Medium Scale Industries in Gujarat ... –	24
405	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Uttar Pradesh ...	24-25
406	इस्पात के निर्यात तथा आयात का केन्द्रीकरण	Centralisation of Steel Exports and Imports –	25
407	सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति	Promotion of Assistant Station Master... ...	25
408	पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये सुरक्षित पद	Reservation of Vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on Western Railway...	26
409	मोटर गाड़ियों का निर्माण	Manufacture of Automobiles – –	26-27
410	उद्योग में मन्दी	Recession in Industry	27-28
411	मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co.	28
412	प्रीमियर आटोमोबाइल लिमिटेड	Premier Automobiles Ltd.	2 -29
413	मद्रास में भूमिगत रेल व्यवस्था	Underground Railway in Madras ... –	29
414	चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में रेलों का विकास	Development of Railways during Fourth Plan period	29-30
415	ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Tractors	30
416	हंगरी को इस्पात का निर्यात	Export of Steel to Hungary	31
417	गुजरात में रासायनिक औद्योगिक कारखाना	Chemical Industrial units in Gujarat	31

418 मध्य रेलवे पर दिल्ली से बम्बई जाने वाली रेल-गाड़ियों की संख्या में वृद्धि — Increase in the number of Trains from Delhi to Bombay on Central Railway 31-32

419 इस्पात पिण्डक उद्योग (रिरोलिंग बिलट) — Billet Re-Rolling Industry 32

420 हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति — Appointment of Chairman of Heavy Engineering Corporation 32-33

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.

2450 गुजरात के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां — Scholarship to Students in Gujarat 33

2451 मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास — Industrial Development in M.P. 33-34

2452 बिजली के बल्बों की चोरी — Thefts of Electric Bulbs 34-36

2453 अहमदाबाद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों पर शिक्षा कर लगाना — Levy of Education Taxes on S.C. and S.T. people in Ahmedabad 36

2454 इटारसी तथा इलाहाबाद के बीच अतिरिक्त यात्री गाड़ी — Additional passenger train between Itarsi and Allahabad 36

2455 औद्योगिक लाइसेंस नीति — Industrial Licensing Policy 37

2456 खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ते का भुगतान — Payment of Compensatory Allowance to the Employees of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi 37

2457 खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में स्टाक रखने की व्यवस्था — Maintenance of Stocks in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi 37-38

2458 मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के विकास हेतु सहायता — Assistance for Developments of Backward classes in M P. 38

तारां. प्र संख्या/ U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
2459 महाराष्ट्र में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Maharashtra	38-39
2460 महाराष्ट्र में ट्रैक्टर का कारखाना	Tractor Factory in Maharashtra	39
2461 दिल्ली में अमृतसर एक्सप्रैस का देरी से पहुंचना	Late arrival of Amritsar Express at Delhi —	39
2462 मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Madhya Pradesh	39-40
2463 मोटरगाड़ी उद्योग में गाड़ियों के निरीक्षण के लिये लेखापरीक्षा अनुभाग	Audit Cells for carring out Inspection of Vehicles in Automobile Industry	40-41
2464 कारों का निर्माण	Production of cars — ...	41-42
2465 कारों की कमी	Shortage of cars	42
2466 वानी से चनाखा तक बड़ी लाइन	Broad Gauge Railway line from Wani to Chanakha ... —	42
2467 इस्पात कारखानों में स्नातक इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Graduate Engineers in Steel Plants	43
2468 सोनाई हाल्ट स्टेशन के स्थान को बदलना	Shifting of Sonai Halt Station ... —	44
2469 अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था	Freeships to Scheduled Caste Students	44-45
2470 एरणाकुलम से अलवाये तक रेलवे लाइन को दुहरा बनाना	Doubling of Railway line from Ernakulam to Alwaye — ...	45
2471 दिल्ली में शराब का पकड़ा जाना	Liquor Haul in Delhi	45
2472 नव वर्ष के दिन दिल्ली में शराब	Liquor in Delhi in New Year Day	45-46

2473	नव वर्ष की पूर्व सन्ध्या के अवसर पर प्रतिरक्षा सेवा केन्टीन में शराब की बिक्री	Liquor served in Defence Services Canteen on New Year's Eve.	46
2474	पौढी गढ़वाल में मदिरा पान	Drinking in Pauri Garhwal	46
2475	चुनावों के दौरान मद्य निषेध कानून	Dry Laws during Election	47
2476	केन्द्रीय निर्माण तथा आवास योजनाएं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को सहायता	Aid to U. P. for scheduled/Castes Scheduled Tribes under Central Works Housing Scheme	47–48
2477	पश्चिम बंगाल में पेंशन बन्द करना	Stoppage of Pensions in West Bengal	48
2478	चुनावों से पहले मन्त्रियों द्वारा पद त्याग	Relinquishing of Office by Ministers before Elections	48–49
2479	दिल्ली में भिक्षावृत्ति रोकना	Checking of Beggary in Delhi	49
2480	समाज कल्याण विभाग द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधि मंडल	Delegations sent Abroad by Deptt of Social Welfare	49–50
2481	चंडीगढ़ में महिलाओं का अनैतिक व्यापार	Trafficking in Women in Chandigarh	50
2482	औद्योगिक गृहों द्वारा राजनीतिक दलों को दान	Donations to political parties by Industrial Houses	50–51
2483	दिल्ली इलाहाबाद यात्री गाड़ी की मुरादाबाद में देर से पहुँचना	Late arrival of Delhi Allahabad Passenger Train at Moradabad	51

2484	रामपुर होती हुई मुरादाबाद से बरेली को जाने वाली रेलगाड़ियां	Trains passing from Moradabad to Bareilly via Rampur	51-52
2485	गोंडा जिले (पूर्वोत्तर रेलवे) के लिये 'सी' ग्रेड के गार्डों के पद बनाना	Creating of posts of Guards Grade 'C' in Gonda district (N E. Rly.)	52
2486	डिविजनल सुपरिन्टेंडेंट कार्यालय, लखनऊ को उच्चशक्ति प्राप्त समिति	High Power Committee of D.S's Office, Lucknow	25
2487	रेलवे मंत्रालय में कर्मचारी	Employees in Railway Ministry	52-53
2488	पश्चिम रेलवे पर बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Western Railway	53
2489	लघु उद्योगों पर लोकानाथन समिति	Lokathan Committee on Small Scale Industries	53
2490	स्कूटरों और कारों के लिये लम्बित आवेदन पत्र	Pending Applications for Scooters and Cars ...	53-54
2491	धनबाद और पटना के बीच एक्सप्रैस गाड़ी	Express train between Dhanbad and Patna ...	54
2492	दिल्ली और लखनऊ के बीच सीधी गाड़ी	Through Expess service between Delhi and Lucknow	55
2493	अनुसूचित जातियों के लोगों को जलपान गृह आवंटित करना तथा भोजन व्यवस्था का कार्य देना	Allotment of Refreshment Rooms and catering to scheduled castes person	55
2494	अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच विद्युतचालित गाड़ियों का चलाया जाना	Running of electric trains between Ahmedabad and Baroda	55-56
2495	हिन्दुस्थान फोटो फिल्मस मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd.	56-57

2496 बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel	57
2497 धनुषकोडी तथा थलाइमनार के बीच रेलवे नौका सेवा	Railway Ferry service between Dhanushkodi and Thalaimannar	57–58
2498 टायरों की कीमतें	Prices of Tyres	58
2499 मशीनी औजारों के और कारखाने लगाना	More machine tools factories	58–59
2500 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का भुगतान	Expansion of Hindustan Machine Tools Ltd., ...	59
2501 आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Andhra Pradesh ..	59–60
2502 विदेशों को भेजे गये प्रतिवेदन	Delegations sent abroad	60
2503 बांसपानी रेलवे साइडिंग का जोरुरी तक विस्तार	Extension of Banasapati Railway siding to Joruri	60–61
2504 रेलवे में पदों के वेतनमानों संशोधन तथा पदों का दर्जा बढाया जाना	Revision of scales of pay and upgrading of posts in Railways	61–62
2505 बरौनी से कटिहार तक बड़ी रेलवे लाइन	B.G. Railway Line from Barauni to Katihar ...	62
2506 इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय के अधिकारियों की सेवा का विस्तार	Extension of service to Officers in the Ministry of S. and H E, ...	62–63
2507 दक्षिण रेलवे में रेलवे कर्मचारियों के लिये आर्ट कालेज	Art colleges for Railway Employees in Southern Railway	63
2508 रेलवे भोजन व्यवस्था	Railway catering	63–64
2509 दुर्गापुर इस्पात कारखाने को हानि	Loss to Durgapur Steel Plant	64–65

2510 ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of tractors	65
2511 रेलवे कर्मचारियों के लिये होस्टल	Hostel accommodation for Railway staff ...	65
2512 चुरु फतेहपुर सेक्शन में यात्री तथा माल यातायात	Passenger and goods traffic on Churu-Fatehpu section	65-66
2513 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये प्रोत्साहन योजना	Incentive scheme for Durgapur Steel Plant ...	66
2514 श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड	Shree Gopal Paper Mills Limited	66-67
2515 अखिल भारतीय गार्ड परिषद् की आसनसतेल शाखा से अभ्यावेदन	Memorandum from All India guards Council, Asansol Branch	67
2516 उद्योग पर नियंत्रण	Control over Industries	67-68
2518 इंजीनियरी उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता	Installed capacity in Engineering Insdustry ...	68
2519 अस्पृश्यता	Untouchability	68-69
2520 ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के विशेषज्ञों के दल का प्रतिवेदन	Report of the British Steel Corporation Experts Team	69
2521 विदेशी सहयोग	Foreign collaboration	69-70
2524 बोकारो इस्पात परियोजना को उपकरणों के सम्भरण में विलम्ब	Delay in Supply of equipment to Bokaro Steel Project	70
2525 माल डिब्बों का गुम होना	Loss of Wagons	70-71
2526 मैसर्स साहू जैन और जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s Sahu Jain and Jassop and Company Ltd....	71
2527 श्रीलंका सरकार ने जन सम्पर्क अधिकारी वाले रेल डिब्बे पर आक्रमण	Attack on Bogey in which Public relations officer of Government of Ceylon was Travelling	71-72

2528	विद्रोही नागा नेता द्वारा नागालैंड के चुनाव के लिये नामनिदेशन पत्र भरना	Filling of Nomination papers by rebel Nagas for Elections in Nagaland	72
2529	गान्धी स्मारक निधि द्वारा मद्यनिषेध दिवस मनाया जाना	Observance of Prohibition day by Gandhi Smarak Nidhi	72-73
2530	उत्तर प्रदेश में अधिक औद्योगिक बस्तियां	More Industrial estates in Uttar Pradesh ...	73
2531	कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) का चुनाव चिन्ह	Elections symbol of C.P.M.	73-74
2532	अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालयों में फालतू कर्मचारी	Surplus staff in Foreign Traffic Accounts Office	74
2533	भारतीय रेलवे के लेखा विभाग में पदोन्नतिया	Promotions in Accounts Department of Indian Railways	74-75
2534	विलक सार्थ समू	Killick group of companies	75
2535	दि पायरोटेनक्स इण्डिया लिमिटेड, बम्बई	Pyrotenax India Ltd. Bombay	75
2536	कैपिस्टरों का निर्माण	Manufacture of capacitors	75-76
2537	दि एसोसिएटेड बेयरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	Associated Bearing Co. Ltd. Bombay	76-77
2538	केरल के कोट्टयम में बीयर का कारखाना	Beer Factory at Kottayam in Kerala	77
2539	उत्तर प्रदेश में छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to students in U.P.	78
2540	बम्बई पत्तन न्यास रेलवे	Bombay Port Trust Railway	78
2541	कम्पनियों द्वारा विदेशी अभिकरणों से लिये गये ऋण	Loans taken by companies from Foreign Agencies	79

2542 पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने पर कृषि उद्योग	Small Scale Agro Industries in West Bengal ...	80
2543 केरल में रेलवे परियोजनाओं का विकास	Development of Railway Projects in Kerala ...	80
2544 समितियों के वार्षिक प्रतिवेदन	Annual Reports by Societies	81
2545 बेघर बच्चों के लिये केन्द्र	Centres for Homeless Children	81
2546 केरल की समाज कल्याण संस्थाओं को केन्द्रीय अनुदान	Central Grants to Social Welfare Institution of Kerala	81–82
2547 मेरठ तथा मुजफ्फरनगर में मध्यावधि चुनाव	Mid term Elections in Meerut and Muzaffarnagar	82
2548 उड़ीसा में समाज कल्याण योजनायें	Social Welfare Scheme in Orissa	82–83
2549 रद्दी लोहे के रूप में बुक किये माल डिब्बों में इस्पात पटरियां भरा जाना	Iron Rail Wagons Booked as Iron Scrap Wagon	83–84
2550 मदुरा डिविजन में वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों को समाप्त किया जाना	Abolition of posts of commercial clerks in Madura Division	84
2551 कागज की लुगदी कारखाना	Paper Pulp Factory	84–85
2553 स्टेशनों पर गाड़ी सफाई सेवा	Carriage cleaning service at Stations	85
2554 आंध्र प्रदेश द्वारा स्थानीय उत्पादों की खरीद	Purchase of local products by Andhra Pradesh	85
2555 रूरकेला का विस्तार	Expansion of Rourkela	86
2556 ओखला, दिल्ली में औद्योगिक एककों का बन्द किया जाना	Closure of Industrial Units in Okhla Delhi ...	86–87

2557	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	National Small Industries Corporation	87
2558	मैसूर राज्य में नये उद्योगों के लिये लाइसेंस	Licences for new industries in Mysore State ...	87–88
2559	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विज्ञापनों पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on advertisements by Hindustan Steel Ltd., ...	88
2561	रेलवे कर्मिक संघों को मान्यता देना	Recognition of Railway Union	88–89
2562	सामाजिक संस्थाओं को अनुदान	Grants to Social Institutions	89–90
2563	ग्रामों में उद्योगों की स्थापना	Rural Industrialization ... —	90
2564	पशुओं की खालों को रंगना	Tanning of cattle skins	90–91
2565	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्यात	Exports by Hindustan Steel Ltd.	91–92
2567	रूरकेला इस्पात कारखाने में बिना बिक्री वस्तुएं	Unsold products lying at Rourkela Steel Plant	92
2568	दिल्ली में पढ़ रहे विद्यार्थियो को छात्रवृत्तियां	Scholarship to students studying in Delhi ...	92–93
2569	नेशनल रेलवे ग्रिड	National Railway Grid ... —	93
2570	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन	Nizamuddin Railway Station — ..	93–94
2571	मनीपुर में चुनाव याचिकाएं	Election Petitions in Manipur	94
2572	बहु विवाह पर पाबन्दी	Ban on Polygamy	94
2573	कोयला परिवहन के लिये माल डिब्बों की कमी	Leck of wagons for transportation of Coal ...	95
2575	पूर्व रेलवे के धनबाद डिविजन में चतुर्थ श्रेणी के पद	Class IV posts in Dhanbad Division of Eastern Railway	95–96

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
2576 मनीपुर में कागज मिल	Paper Mill in Manipur	96
2577 दाबरा मंडी (मध्य प्रदेश) से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन पर उपरि पुल	Overbridge at Railway Line passing through Dabra Mandi (M.P.)	96
2578 भोपाल रेलवे स्टेशन के रेल फाटक के समीप ऊपरि पुल	Overbridge on crossing near Bhopal Railway Station	97
2579 लश्कर शिवपुरी लाइट रेलवे लाइन पर फाटक	Level crossing on Lashkar Shivppuri Light Railway Track	97
2580 बेकार पड़ी क्षमता के सम्बन्ध में गोखले संस्थान का प्रतिवेदन	Gokhale Institute Report on Idle Capacity ...	97–98
2581 दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना	Suspension of Railway Employees in South Eastern Railway ..	98
2582 भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति की जांच के लिये समिति	Committee to enquire into the status of Indian Women	99
2584 समाज कल्याण विभाग का अस्पृश्यता सम्बन्ध समिति के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण	Social welfare Deptt's indifferent attitude on Committee on untouchability	99
2585 उत्तर-रेलवे के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर तथा रिजर्वेशन और इंक्वायरी क्लर्क	Chief Reservation Supervisors and Reservation and Enquiry Clerks on Northern Railway...	99-100
2586 मध्यावधि चुनावों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय तथा हरिजनों से शिकायतें	Complaints from Minority Community and Harijans during Mid Term Elections ..	100-101

2587 अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों को अधिक प्रकार की छात्रवृत्तियों का दिया जाना	Increase in pattern of scholarships to Scheduled Castes/Scheduled Tribes	101
2588 आय कर अपील अधिकरण के विचाराधीन अपीलें	Appeals Pending before Income-Tax Appellate Tribunal – ...	101–102
2589 मुद्रण यंत्रों का निर्माण	Manufacture of printing Machinery	102
2590 हंगरी के साथ व्यापार	Trade with Hungary ... –	102–103
2591 विकलांग व्यक्तियों की स्थिति सुधारना	Upliftment of Disabled Persons	103
2592 अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के आदिवासी	Primitives of Andaman and Nicobar Islands – –	103–104
2593 खुदाई करने के लिये पत्थर छिद्रक (राक रोलर बिट्स)	Rock roller Bits for Drilling	104
2594 कागज उद्योग को प्रोत्साहन	Incentives to paper Industry	104–105
2595 तांबे के कचरे को साफ करने वाला केन्द्रीय अभिकरण	Central agency for refining copper scraps –	105
2596 मतदान की चल-व्यवस्था	Mobile Voting System – –	105–106
2597 टैनिस की गेंदों की आवश्यकता	Requirements of Tennis Balls	106
2598 पिण्डकों (बिलटों) का उत्पादन	Production of Billets – ...	106–107
2599 पुनर्बेलन मिलों का बन्द होना	Closure of Re-Rolling Mills	107
2600 भिलाई में निर्माण	Production at Bhillai	108–109

2601 उद्योगों के लिये केन्द्रीय सलाहकार परिषद्	Central Advisory Council for Production ...	109–110
2602 दिल्ली में पोलिटेक्निक संस्थाओं को छात्रवृत्तियों का दिया जाना	Grant of Scholarships to Polytechnic Institutions in Delhi	110–111
2603 खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी समिति	Committee on Khadi Gramodyog	111
2604 बीना और ललितपुर के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train between Bina and Lalitpur	111–112
2605 झांसी और मानिकपुर के बीच यात्री गाड़ियों में जंजीर खीचने की घटनायें	Chain Pulling of Passenger Train between Jhansi and Manikpur	112
2606 बिड़ला, टाटा और मफतलाल के समवाय समूहों की आस्तियां	Assets of Birla, Tata and Mafatlal Groups of Companies	112–113
2607 मिथिला एक्सप्रेस में सुरक्षित बर्थ कोटा	Berth Reservation Quota in Mithila Express	113–114
2608 मिथिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी में स्थानों का आरक्षण	Reservations in Mithila Express	114
2609 उत्तर बिहार का औद्योगिक विकास	Industrial Development of North Bihar ...	114
2610 केरल में कल्याण केन्द्रों की योजना	Welfare Centre Scheme in Kerala	115
2611 लम्बित परियोजनाएं	Pending Projects	115–116
2612 विदेशी विशेषज्ञों का दौरा	Visit of Foreign Experts	116
2613 गोल्डन राक कालोनी के रेलवे कर्मचारी	Railway Staff of Golden Rock Colony ...	117

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2614	गोल्डन राक वर्कशाप में रेलगाड़ी के माल डिब्बों का निर्माण	Manufacture or Wagons at Golden Rock Workshop	117
2616	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया खरीद योजना	Hire Purchase scheme of National Small Industries Corporation	118
2617	उद्योगों की चौथी योजना में क्षमता	Industrial Capacity during Fourth Plan ...	118
2618	कोटा रेलवे स्टेशन की रिहायसी बस्ती में स्कूल	School in Colony at Kota Railway Station ...	118
2619	सवाई माधोपुर स्टेशन पर कुएं का निर्माण	Construction of Well at Sawai Madhopur Station	119
2620	उड़ीसा में नई रेल लाइनें बिछाना	Rail Link in Orissa	119
2621	हिन्दुस्तान स्टील द्वारा निर्यात	Exports by Hindustan Steel Ltd., ...	119–120
2622	जमशेदपुर की टिन प्लेट कम्पनी लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Tin plate Co. Ltd., Jamshedpur	120–121
2623	सेंचुरी रेयन, बम्बई	Century Rayon Bombay	121
2625	सालिसिटरों का सम्मेलन	Conference of Solicitors	121–122
2626	जोगी गोफा से गोहाटी तक बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge Line from Jogigopha to Gauhati	122
2627	बम्बई में सुरंग (ट्यूब) रेलवे	Tube Railway in Bombay	122–123
2629	उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियां	Backward Classes in U. P.	123

2630 रेलवे विद्युतीकरण कार्यालय द्वारा किया गया चयन	Railway Electrification Selections	123
2631 भारतीय रेलों के महाप्रबन्धकों की सेवा निवृत्ति	Retirement of General Managers of Indian Railways ...	123–124
2632 दिल्ली मेरठ दैनिक यात्री संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Delhi Meerut Daily Passengers Association — ...	124
2633 मेरठ और दिल्ली के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां	Trains running between Meerut and Delhi ...	124–125
2634 भारतीय फर्मों के साथ विदेशी निर्माताओं का सहयोग	Foreign Manufacturers in Collaboration with Indian Firms	125
2635 मैसूर में रेलवे सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Railway facilities in Mysore ...	126
2636 रेलों के डिवीजनल कार्यालयों तथा मुख्यालयों की कर्मचारी वर्ग शाखाएं	Personnel Branches of Divisional and Headquarters Offices of Railways	126
2637 हाजीपुर से बाल्मीकि नगर तक शाखा लाइन	Branch Line from Hajipur to Valmiki Nagar —	126–127
2638 चाकिया बाजार को मिलाने वाली रेलवे सड़क	Railway Road connecting Chakia Bazar ...	127
2639 पिपरा स्टेशन के पश्चिम में गुमटी पर यातायात का रुकना	Suspension of Traffic on Gumti towards West of Pipra Station — ..	127–128
2640 इस्पात का निर्यात	Export of Steel — ...	128
2641 दक्षिण रेलवे में फायरमैनों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against firemen in Southern Railway —	128
2642 दक्षिण रेलवे के वर्कशाप कर्मचारियों को सेवा से हटाना	Removal of Workshop staff on Southern Railway from Service	128–129

2643 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में अर्जित भूमि के मालिकों को रोजगार देना	Absorption of land losers in diesel locomotives works ... –	129
2644 तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की वर्गोन्नति	Upgration of class III Railway Staff	129
2645 बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों के लिये वजीफा	Scholarships to Deaf and Dumb – ...	130
2646 राजेन्द्र पुल के निर्माण के लिये भूमि का अर्जन	Land acquired for the construction of Rajendra Bridge	130
2647 बरौनी जंक्शन पर टिकट घर	Booking office at Barauni Junction ... –	131
2648 "अप एण्ड डाउन" यात्री गाड़ियां	Up and Down Passenger Trains	131–132
2649 आस्ट्रेलिया से मोटर गाड़ी बनाने वाला संयंत्र	Automobile Plant from Austrialia	132
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	133–135
कच्छ पंचाट को क्रियान्वित करने के मामले में पाकिस्तान द्वारा उठाया गया कथित विवाद	Reported controversy by Pakistan over Implementation of Kutch Award – ...	133
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	135–138
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances ...	138
(एक) चौथा प्रतिवेदन	(i) Fourth Report	138
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence	138
सभा–कार्य समिति	Business Advisory Committee ... –	131
इकतीसवां प्रतिवेदन	Thirty first report – ...	138

विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
सामान्य आय व्ययक, 1969-70 सामान्य चर्चा–(जारी)	General Budget, 1969–70 General Discussion-(Contd.)	...	–	139
डा० प० मंडल	Dr. P. Mandal	–	...	139
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin	...	–	140
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	...	...	142
श्री हूमायून कबीर	Shri Humayun Kabir	...	...	145
डा० सुशीला नैयर	Dr. Susbila Nayar		...	148
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye		–	150
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	...	–	153
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	...		158
श्री तुलसीदास यादव	Shri Tulshidas Jadhav	...	...	160
डा० सूर्य प्रकाश पुरी	Dr. Surya Prakash Puri	...	...	161
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	...	...	162
श्री शिकरे	Shri Shinkre		–	164
श्री चि० गौतम	Shri C. D. Gautam	...	...	165
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda	...	...	165
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	–	–	168

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार, 11 मार्च, 1969/ 20 फाल्गुन, 1890 (शक)
Tuesday, March 11, 1969/ *Phalguna* 20, 1890 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मैसूर के लिए आयकर अपील अधिकरण

*392. **श्री प० गोपालन** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968 में मैसूर राज्य के लिए एक आयकर अपील अधिकरण स्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विधि मंत्री ने इस बात की घोषणा उस भोज में की थी, जो उनके सम्मान में 22 नवम्बर, 1968 को एक नवस्थापित होटल में दिया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय राजस्व से सम्बद्ध अधिकरणों के सम्बन्ध में प्राइवेट स्थानों पर ऐसी नीति-घोषणाएं करना सरकारी नीति के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एम० युसुफ सलीम) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। जहां तक स्मरण है, बंगलौर में एक नव-स्थापित होटल में विधि मन्त्री एक अनौपचारिक भोज में सम्मिलित हुए थे। किंतु मुझे ठीक तारीख का स्मरण

नहीं है । यह संभव है कि बातचीत के दौरान उन्होंने यह कहा हो कि बंगलौर में एक न्यायपीठ की स्थापना की जाने वाली है । किंतु यह कोई घोषणा नहीं थी । इतना मैं और बता दूं कि कुछ समय पहले राज्य सभा में आदरणीय श्री के० चन्द्रशेखरन् द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि और न्याय पीठें स्थापित करने का प्रयत्न किया जाएगा और यथासंभव हर राज्य में एक न्यायपीठ हो जाएगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प० गोपालन : विधि मन्त्री की ओर से उप-मन्त्री महोदय ने यह एकदम अस्वीकार किया है कि मन्त्री महोदय ने गत वर्ष नवम्बर मास में बंगलौर में एक भोज में भाग लिया था । दिनांक 23 नवम्बर, 1968 को बंगलौर के **दक्कन हिराल्ड** में निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ था :–

"केन्द्रीय विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री श्री गोविन्द मेनन के अनुसार मैसूर राज्य के लिये बंगलौर में दिनांक 22 दिसम्बर, को एक आयकर अपील अधिकरण स्थापित किया जायेगा"·····यह घोषणा श्री मेनन ने शुक्रवार को बंगलौर स्थित एयरलाइन्ज होटल के स्वामी सर्वश्री के० थोमस तथा बी० एन० जी० राव द्वारा मन्त्रीजी के सम्मान में आयोजित एक भोज में की । " यह बात **दक्कन हिराल्ड** में प्रकाशित हुई थी ।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है, और यदि हां, तो उन्होंने इस समाचार का खण्डन क्यों नहीं किया । इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ने जिन श्री थोमस का आतिथ्य स्वीकार किया है क्या वह अपनी वास्तविक आय छिपाने तथा कर से बचने हेतु सरकार को धोखा देने आदि के लिए कुख्यात हैं ? उन्होंने श्री थोमस का आतिथ्य क्यों स्वीकार किया ? यदि उन्होंने यह आतिथ्य स्वीकार नहीं किया तो फिर इस समाचार का खंडन क्यों नहीं किया ? इस मामले में अवश्य ही कुछ घपला दिखाई देता है ।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): मैं ने वह समाचार नहीं पढ़ा है ।

श्री प० गोपालन : इस बात को देखते हुए कि मन्त्री महोदय की यह आदत है कि वह पहले कुछ कह कर बाद में उसका खण्डन करते हैं, क्योंकि उस बात को सभा के सामने न्याय संगत सिद्ध करना उनके लिये कठिन हो जाता है, तथा यह भी उनकी एक सामान्य आदत है कि सारा दोष समाचार पत्रों के सिर मढ़ देते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या वह उस पत्र पर मुकदमा चलाने को तैयार हैं जिन्होंने वह गलत समाचार छापा है और इस प्रकार उस पत्र को पाठ दिखाना चाहेंगे जो कि सदा ही उनकी आलोचना करता है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं उस पत्र पर कोई मुकदमा चलाने को तैयार नहीं हूं ।

श्री ए० श्रीधरन : क्यों नहीं। इस देश में जनता के साथ व्यवहार करने का कोई स्तर होना चाहिए तथा जब सार्वजनिक व्यवहार का उल्लंघन करने के बारे में मन्त्रियों पर उक्तियां कसी जाती है तो हम स्वभावतः ही मन्त्री महोदय से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अपने सम्मान और गौरव की रक्षा करें। वह एक ऐसे मन्त्री हैं जिन्हे अपने सम्मान और गौरव की भी चिन्ता नहीं है .....

श्री रा० ढो० भण्डारे : यह सत्य नहीं है .....

श्री ए० श्रीधरन : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में.....

अध्यक्ष महोदय : वह अपना प्रश्न पूछे। उप-मन्त्री अपना ख्याल स्वयं रखेंगे।

श्री ए० श्रीधरन : उप-मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा है कि विधि मन्त्री ने उस उत्सव में भाग नहीं लिया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय ने निमत्रण स्वीकार करने से पूर्व उस सस्था के तथा उसके स्वामियों के पूर्व-इतिहास को जानने का प्रयत्न किया तथा क्या उन्होंने यह भी जानने का प्रयत्न किया कि वह व्यक्ति निरन्तर कर छिपाने वाला व्यक्ति है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं ने उस व्यक्ति के पूर्व इतिहास के बारे में कोई जांच नहीं की।

श्री ए० श्रीधरन : यदि काला बाज़ार करने वाले भी उन्हें आमन्त्रित करेंगे तो भी वह जायेंगे।

श्री क० लकप्पा : यह प्रश्न मैसूर राज्य में आयकर अपील अधिकरण की स्थापना के बारे में है। अपने मुख्य प्रश्न के उत्तर में उप मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि विधि मन्त्री अभी हाल ही में खुले बगलों के एयरलाइन्ज होटल के गैर-सरकारी मालिक के माननीय अतिथि बने। हमें मालूम हुआ है कि जैसा कि **दक्कन हिराल्ड** में प्रकाशित हुआ हैं, मन्त्री महोदय ने वहां एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या देश के प्रति जिम्मेवारी का भार अपने कन्धों पर रखने वाले एक मन्त्री के लिए यह आचरण योग्य बात है कि वह किसी भोज के समय ऐसी नीति सम्बन्धी वक्तव्य दें विशेषतः जबकि उनका अतिथि एक कुख्यात ठग है तथा आयकर छिपाने केरल सरकार में कुख्यात गतिविधियां कराने वाला है व्यक्ति है ? जब उसके और मन्त्री महोदय के मध्य बात-चीत हुई तो ऐसी क्या बात पैदा हुई जिसकी प्रेरणा से मन्त्री महोदय ने भोज के समय ऐसा वक्तव्य दिया ?

श्री गोविन्द मेनन : नीति सम्बन्धी कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। मैं ने तो कोई भाषण भी नहीं दिया। वहां के दस-बारह व्यक्ति थे तथा मैं ने ऐसे ही कहा था कि बंगलौर में आयकर अपील अधिकरण की स्थापना की जा रही है तथा यह वक्तव्य मैं पहले भी दे चुका हूं।

श्री क० लकप्पा : मन्त्रियों की आचार संहिता क्या कहती है ? क्या वह बात-चीत के दौरान ऐसा नीति सम्बन्धी वक्तव्य दे सकते हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : यह नीति सम्बन्धी मामला नहीं है।

श्री क० लकप्पा : क्या उनके पास कोई आचार-संहिता है ?

श्री बेनीशंकर शर्मा : मुझे इस में कोई रूचि नहीं कि मन्त्री महोदय ने यह घोषणा कि दावत में की अथवा किसी मातम के समय में की। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि मैसूर में इस पीठ को स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य है। दिनांक 28 नवम्बर, 1968 को पूछे गये मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 2509 के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि महाराष्ट्र में इसकी चार पीठ हैं, पश्चिम बंगाल में चार तथा एक पीठ मैसूर में स्थापित की जा रही थी। शेष रही अपीलों के बारे में उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में अभी 10,408 मामले अनिर्णित पड़े हैं, पश्चिम बंगाल में 14,749 तथा मैसूर में केवल 8191 अतः मैसूर में इस पीठ को स्थापित करने का क्या अभिप्राय था जबकि वहां केवल 819 मामले अनिर्णित है जब कि इसके विपरीत अन्य स्थानों पर ऐसे अनिर्णित मामलों की संख्या 14,000 और 10,000 जैसी है ? क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह कार्य उनकी कुछ लोगों को खुश करने की नीति के अन्तर्गत है अथवा इसके पीछे कुछ प्रशासनिक कारण हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : मैसूर राज्य के निर्धारितियों को सहायता देने की दृष्टि से बंगलौर में आयकर अपील अधिकरण की एक पीठ खोली गई थी ताकि वहां के लोगों को अपने मामलों की जांच कराने के लिये बम्बई अथवा मद्रास न दौड़ना पड़े। बम्बई तथा कलकत्ता ऐसे विशाल केन्द्र हैं जहां आयकर के मामले भारी संख्या में हैं परन्तु वहां ऐसी पीठों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि वहां विभागीय अधिकारियों तथा वकीलों जो कि एक पीठ में मामलों को लाकर उन्हीं मामलों को फिर दूसरी पीठ में स्थगित कराने के लिये कहेंगे, की कमी है। अतः हमने कलकत्ता और बम्बई में चार-चार पीठें ही रखीं तथा देश के अन्य भागों में भी ये पीठे स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उन क्षेत्रों के निर्धारितियों को लाभ हो।

इस समय मध्य प्रदेश में किसी स्थान पर सम्भवतः इन्दोर में, एक नई पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

*393. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वृद्धावस्था में पेंशन देने की योजना पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क): तथा (ख): साधनों की वर्तमान निरुद्धता तथा बच्चों, विकलांग व्यक्तियों तथा पिछड़े वर्गों, इत्यादि के कल्याण की अन्य जोरदार प्राथमिकताओं के कारण केन्द्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को चतुर्थ पच वर्षीय आयोजना के दौरान जारी करना साध्य नहीं समझा गया ।

श्री पी० विश्वम्भरन : इस सरकार की घोषणा है कि यह देश में समाजवाद लाकर रहेगी तथा इस हेतु कुछ योजनाओं को लागू करेगी । सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने के संदर्भ में एक कल्याण कारी देश में वृद्धावस्था–पेंश की योजना चालू करना भी बड़ा आव–श्यक है । क्या मैं जान सकता हूं कि प्राथमिकताओं की सूची में इस योजना को स्थान क्यों नहीं मिला है ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ कि पहली प्राथमिकता बच्चों विकलांगों , पिछड़े वर्गों आदि के कल्याण को दी गई है । विचार-विमर्श के बाद यह अनुभव किया गया कि चौथी योजना के दौरान इस योजना को लेना सम्भव नहीं होगा ।

श्री पी० विश्वम्भरन : भारत के आठ राज्य पहले ही वृद्धावस्था-पेंशन योजना को चालू और लागू कर चुके हैं । उनके विचार से तो वृद्ध लोग सहायता के पात्र हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार का विचार यह नहीं है । मैं यह भी कहूंगा कि इन आठ राज्यों में इस योजना के अति-रिक्त मंत्री महोदया द्वारा वर्णित की गई योजनायें भी लागू की जा रही हैं । उदाहारणार्थ, केरल में वृद्धावस्था-पेंशन के अतिरिक्त, वहां विकलांगों, अनाथ महिलाओं को पेंशन देने तथा तपेदिक के रोगियों को अनुदान देने आदि की योजनाएं हैं । यह सब कुछ इस तथ्य के होते हुए भी है कि वे राज्य अर्थ के मामले में केन्द्र सरकार से अधिक दबे हुए हैं । इस विचार से, कम से कम संघ राज्य क्षेत्रों में भी इस योजना को लागू करना केन्द्र सरकार के लिये क्यों सम्भव नहीं है ? इसके अतिरिक्त क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को न केवल वृद्धावस्था-पेंशन की इस योजना के लिये बल्कि मंत्री महोदय द्वारा वर्णित अन्य योजनाओं को लागू करने के लिये आर्थिक सहायता देगी ?

श्री गोविन्द मेनन : इन आठ राज्यों के अतिरिक्त वृद्धावस्था-पेंशन योजना दो संघ राज्य क्षेत्रों चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी लागू है। हम चाहते है कि यह योजना अधिकाधिक बढ़े, परन्तु हमारा विभाग इस योजना को भारत-भर में फैलाने का इच्छुक होने पर भी, धन की कमी के कारण हम ऐसा नहीं कर सके ।

जहां तक राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है, वित्त निगम की सिफारिश के अनुसार इन गतिविधियों के कारण विभिन्न राज्यों में उत्पन्न राजस्व के अन्तर को हर सम्भव सीमा तक दूर करने की हमारी इच्छा है । क्योंकि यह राजस्व-व्यय है, अतः राजस्व और व्यय का हिसाब लगाते समय इस बारे में व्यय पर भी विचार करना होगा ।

Shri Sheo Narain : Old-age- pension is in operation in U.P. but many people have complained that it has ceased to exist since the promulgation of the president' rule there. I want to know whether he would advice the new Govt. to exstant this old-age-pension ?

श्री गोविन्द मेनन : नई सरकार को मैं यह विचार भेज सकता हूं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : There is a large number of beggers and most of them are old. May I know whether you will formulate any special scheme to give them pension or collective meals ? Will you have any pension scheme for the Members of Parliament who will grow old.

श्री गोविन्द मेनन : यह बड़ी अच्छी बात है परन्तु इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ?

Shri Hukam Chand Kachwai : A number of beggers both men and women have grown old and have nobody to support. They have neither any son nor house nor any occupation. Do the Central Government propose to give some special facilities to those people ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : प्रायः सभी राज्यों में अनाथाश्रम तथा भिक्षुक गृह हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : वृद्धावस्था पेंशन के बारे में सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है । क्या इसका यही कारण है कि यह निश्चय करना बड़ा कठिन हो गया है कि कब कोई पुरूष अथवा स्त्री बूढ़ा होता है ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : यह केवल धन-स्रोतों की कमी के कारण है ।

Shri George Fernandes : When it is said that there is a lack of financial resources, I would like to know the sections which were given first priorities and also the amount proposed for the same which is said to be the reason our financial difficulty ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : यह अनुमान लगाया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केवल वृद्धावस्था पेंशन पर ही 222 करोड़ रूपये खर्च होंगे ।

Shri Tulshi Das Jadhav : Pension is given to those old persons who have more to look after. May I know whether the Government would consider to deduct some money from the salaries of those sons who do not look after their parents inspite of the fact that they are earning ; and after adding something to those deductions, pay that amount to those old parents as assistance. This can be done atleast in the case of Central Government servants and recommend to the States in the case of State Government servants that they may deduct some money from the salaries of the employees concerned and then after subsidising that amout the total may be spent for looking after their old parents.

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जाना चाहिए ।

श्री जो० विश्वनाथन : मंत्री महोदय ने कहा है कि केवल चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश नामक दो संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की जा रही है । क्या यह योजना पांडिचेरी में भी शुरू अथवा लागू की जायेगी या कि पिछले दिनों के चुनावों में वहां कांग्रेस की दुर्दशा के कारण उसमें विलम्ब किया जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : इन मामलों में राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता। मुझे आशा है कि वृद्धावस्था-पेंशन योजना के प्रति जिज्ञासा रखने वाले श्री विश्वनाथन बजट पर बहस के दौरान यह सुझाव देकर मेरी सहायता करेंगे कि मेरे विभाग की गतिविधियों का विस्तार करने के लिये अधिक धनराशि प्रदान की जाये।

Shri P. L. Barupal : I do not want to say much about this scheme. The schemes work like the tongue of a trolop. I do not want to say any word beyond that. Actually, the old age pension is not a sufficient measure. But wherever it has been implemented, I have found that the pension does not reach the handicapped, destitutes, blinds, disabled or old people. It is carried away only by those people who are very cunning, have approach and contacts. I want to know whether the Government have gathered any information in this connection ? In fact, you should also see that the deserving people get it.

-डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : इस पर विचार किया जायेगा।

श्री लोबो प्रभु (व्यवधान) : मैं दिखने में कैसा भी लगता हूं पर मैं वृद्ध हूं। और वृद्धों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। बुढ़ापा पेंशन देने के लिए यह जो 2200 करोड रुपये का अनुमान लगाया गया है, इस पर मुझे कुछ आश्चर्य है। मै चाहता हूं कि मत्रालय इस आंकड़े की पुष्टि करे। क्या वे समूचे जनसंख्या को ध्यान में रख रहे हैं। जो 70 वर्ष अथवा 65 वर्ष से अधिक के हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की वास्तविक जनसंख्या 1.2 प्रतिशत है और 70 वर्ष से अधिक 0.01 प्रतिशत है। यह भी मान लिया जाये कि उनका अनुमान इन आंकड़ों पर निर्भर है. मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि यह बुढ़ापा पेंशन उनको दी जाती है जो निर्धन हैं और जिनका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है। मैसूर राज्य के आंकड़े, जहां कि प्रति व्यक्ति को बुढ़ापा पेंशन 15 रुपये प्रति महीने दिये जाते हैं, 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है, यह 2200 करोड़ रुपये समूचे भारत के आंकड़े हो सकते हैं न कि केवल संघ राज्य क्षेत्र के जो कि इस प्रश्न का विषय है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बताये कि क्या यह 2,200 करोड़ रुपये केवल संघ राज्य क्षेत्र के लिए है अथवा क्या यह सब लोगों पर लागू होते हैं अथवा उन पर लागू होते हैं जो कि निर्धनता के कारण इसके पात्र हैं।

श्री गोविन्द मेनन : यह आंकड़े समूचे देश के लिए हैं।

श्री लोबो प्रभु : संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्यों नहीं व्यवस्था की गई है ? यह तो थोड़ी सी राशि होगी।

श्री गोविन्द मेनन : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री कार्त्तिक उरांव : परिवार नियोजन की योजना अथवा बुढ़ापा पेंशन की कोई योजना देश के लोगों पर राज्य, जाति, सम्प्रदाय और धर्म आदि के भेदभाव को ध्यान न रखते हुए लागू होनी चाहिए। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों में यह योजना किस मापदण्ड के आधार पर लागू की जाती है, अथवा इन योजनाओं को छूट दी जाती है।

श्री गोविन्द मेनन : राज्य सरकारों ने बुढ़ापा पेंशन योजनाओं को लागू करने में पहल की थी और वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। केवल आठ राज्यों ने इस योजना को लागू किया। केन्द्रीय सरकार राज्यों में बुढ़ापा पेंशन नहीं दे सकती है क्योंकि वे केवल राज्यों की सहायता कर सकती हैं। मुझे आशा है कि अन्य राज्य सरकारें इस मामले में पहल करेंगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा सुझाव है कि अपना प्रश्न पूछते समय श्री लोबो प्रभु ने जो यह कहा है कि "मैं वृद्ध हूं और मैं वृद्धों का प्रतिनिधित्व करता हूँ" को निकाल दिया जाये अथवा वापिस ले लिया जाये, बाहर के लोग इसे पढ़ेंगे और यह उनके विरुद्ध होगा।

अध्यक्ष महोदय : दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी इसको सुनेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : जब सत्तारूढ़ दल के सदस्य वृद्ध हो जाते हैं तो उनको राज्यपाल, दूत, उच्चायुक्त अथवा निगम का अध्यक्ष बना दिया जाता है। उनका भविष्य निश्चत होता है। कुछ राज्य सरकारों ने इसमें पहल दिखाई है उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इस योजना का बन्द कर दिया गया। जब अशोक मेहता मंत्री थे तो उस समय बेरोजगारी बीमा की एक योजना थी। क्या चतुर्थ योजना में इसको लिया जायेगा या नहीं ?

श्री गोविन्द मेनन : श्रम मंत्रालय बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम को देखता है.... (व्यवधान)

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्रालयों में प्राय: हेर-फेर किया जाता है, वे तो बैडमिंटन की चिड़िया की तरह जाते हैं।

Subversion in Durgapur Steel Plant

+

*394. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether the enquiry into the incident of subversion which took place in Durgapur Steel Plant in September last has been completed ;

(b) whether the Members of the Indian National Trade Union Congress and its President have been found involved in the said incident directly or indirectly ;

(c) whether recognition of INTUC would be withdrawn in view of the aforesaid incident in conformity with Government policy towards the strike of September 19, 1968 ; and

(d) if not, the reasons therefore ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : सम्भवत: माननीय सदस्यों का तात्पर्य सितम्बर, 1968 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हुई घटना के बारे में पुलिस जांच पड़ताल से है। पुलिस द्वारा आरम्भ की गई आपराधिक कार्यवाही अभी चल रही है और इन कार्यवाहियों के पूरा होने तक लगभग 65 व्यक्ति निलम्बित हैं।

(ग) और (घ) : जैसा कि अनुशासन सहिता में दिया गया है, यह मामला पहले ही राज्य सरकार के पास विचारार्थ भेजा गया है । इस घटना का 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Suraj Bhan: The Hon. Minister has just stated that they have nothing to do with the strike of 19th September. He has derecognized those unions who organized the strike of 19th September and the recognition has been withdrawn. But there is a Union which is affiliated with INTUC and they instigate the workers for sabotage which results in a loss of Rs. 4,64,000. The Hon. Minister has himself admitted this. The discontinuance of the work due to the sabotage has resulted in the loss of about 1.50 crores of rupees but no action is taken in respect of that union. Of course it had no connection with the strike of 19th September but there was no sabotage at the time of strike of 19 September. On the other hand will you derecognize that union which is affiliated with INTUC and which instigates for sabotage ?

Shri K. C. Pant : It is completely wrong to say that since it was a union affiliated with INTUC Government took no action against it. It is proved what I have stated just now that the police were taking action and the cases were under investigation. As far as the question of derecognization is concerned, it pertains to State Government. It has been referred to them and when they give their recommendations those recommendations, will be considered.

Shri Suraj Bhan : You are putting off the matter. The same answer was given in December that the matter of withdrawing recognition had been sent to the State Government. Since then three months have passed.

At that time many Hon. Members had asked a question about Shri Morarji and Shri Atulya Ghosh. There were some rumours that they had a hand in it. I want to ask whether there is a reference of this in the investigation which we held or not and whether this has been proved or not ?

Shri K. C. Pant : It is not correct.

Shri Brij Bhushan Lal : The Hon. Minister has said that the investigation was going on. Last time it was stated in this House by the Government that a loss of Rs. 4,64 000 was incurred due to this sabotage and this firm had been closed for 71 days. The national loss on account of this can be calculated. The investigation is going on But such things should not be repeated, as the Hindustan Steel limited incurred a loss of 40 crores of rupees last time. It has been incurring loss for the last ten years and last year it incurred a loss of 40 crores of rupees. This is the state of affairs in the Public Undertakings. This needs Improvement. The management is not working well and above all such things are taking place. I would like to know whether you have conducted any enquiry in the departmental action taken by the Government, and whether the responsibility has been fixed and whether any action has been taken ? If not, the reason thereof ?

Shri K. C. Pant : I have urged that there are chargesheets against 65 workers. They have been suspended and action is being taken.

Shri Hukam Chand Kachwai : These are workers of small status but what about high officials.

श्री जुगल मंडल : जहां तक मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य का सम्बन्ध है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह हड़ताल उस समय से पहले हुई जब श्रम आयुक्त ने इसे स्वीकार

किया और उस मांग के लिये सिफारिश की परन्तु प्रबन्धक ने इसे कार्यान्वित करने के लिये इन्कार कर दिया। बहुत बार कई नोटिस दिये गए और पिछली बार कर्मचारियों ने एक नोटिस दिया कि अगर उस दिन अगर समझौता नहीं होता है तो हड़ताल होगी, क्या मंत्री महोदय इस नोटिस को सात दिन का समझेंगे और इस हड़ताल को अवैध नहीं मानेगें ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, हड़ताल आयल सेलर पम्प और वाटर कूलिंग पम्प जिसके 30 से 35 मुँह हैं, में हुई। प्रत्येक कारखाने में दुहरा और तिहरा व्यवस्था होती है, बिजली के बंद हो जाने की स्थिति में हाथ द्वारा संचालित पम्प और भाप द्वारा संचालित पम्प काम में लाये जाते हैं। अगर कर्मचारी उसको बन्द कर देते हैं तो पर्यवेक्षी कर्मचारी अन्य कारखानों में काम क्यों नहीं करते हैं जिसके द्वारा भट्टी को बचाया जा सकता था। हड़ताल के बाद हिन्दुस्तान स्टील के अध्यक्ष ने यह वक्तव्य दिया कि करीब 1 करोड़ रुपये की हानि हुई। परन्तु जब श्री ए० के० सेन संसद सदस्य और मैं वहां मामले की जांच के लिए गए और जब मैंने वहां के उच्च अधिकारियों से बात-चीत की तो हमें पता चला कि हानि का अनुमान केवल 4.7 लाख रुपये था।

अध्यक्ष महोदय : वे सूचना और वक्तव्य दे रहे हैं। प्रश्न क्या है ?

श्री जुगल मंडल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह 4.7 लाख रुपये इस हड़ताल में व्यय हुए अथवा अन्य कल-पुर्जों में जैसे स्विच गिअर की मरम्मत की गई थी। मेरा अन्तिम प्रश्न यह है। एक समय कारखाने में आग लगी थी जिसके लिए प्रबन्धक को दोषी ठहराया गया था। परन्तु वक्तव्य में इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप को जो याद है उसका आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं उन बातों का उत्तर दूंगा जो कि मुझे याद है। जहां तक 1.5 करोड़ रुपयों का सम्बन्ध है, यह जबरी छुट्टी के दौरान में उत्पादन कम होने का कारण है। यह मरम्मत–लागत नहीं है, मरम्मत लागत 5 लाख रुपये हैं। जबरी छुट्टी के कारण हुई उत्पादन में कमी का हानि 1.5 करोड रुपये है।

दूसरा, क्या यह अवैध-हड़ताल थी या नहीं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। यह कार्य न्यायायिक अधिकारियों का है जो नियम और विनियम के अनुसार इसकी जांच करेंगे।

जहां तक यह प्रश्न है कि क्या पानी को विकल्प साधनों के ज़रिए पहुंचाया जा सकता था, मैं वास्तव में ही यहां इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता और यह मैं नहीं जानता कि आग किस कारण से लगी। पर मोटे तौर पर कहा जाये तो हानि हुई है। उत्पादन में कमी हुई थी और मरम्मत की आवश्यकता है। इस समूची दुर्घटना से हमें बहुत हानि उठाना पड़ा जिसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है।

Shri Ranjit Singh : Many times such events have taken place in different concerns. Without going into details I will like to ask the Hon. Minister whether he is prepared to

accept two solution ? Firstly, will you issue such direction that no kind of political pressure will come in the way of prosecuting any person who may be responsible for all these things because such things take place.

Secondly, all these concerns are being set up in Public-Sector and about forty thousands ex servicemen are looking after jobs and out of them more than two thousands are officers. About 200 lieut. Colonels, Brigadiers and Major Generals are going to be turned out this year. In view of that do the Govt. concur to the suggestion that except technical staff only ex servicemen will be absorbed so that discipline may be brought and they may be imbibed with patriotism so that such incidents may never take place ?

Shri K. C. Pant : I can assure the Hon. Member that political pressure may come from here on there, we are not going to bow before it .....(interruptions). The Hon. Member is saying that we will bow this side. It is in his mind that this Union was affiliated with I.T.C. but he has been the action taken by us. He should congratulate us on our action. If fall the opposition ruling parties work so impartially, then I have no doubts that improvements will take place in public Sector.

So far as the second question is concerned, whenever suitable ex-army personnel are available, they are taken for the jobs. The Director Incharge of Durgapur is also an army officer. But it does not look proper that except technical staff all the army should be employed.

श्री मनुभाई पटेल : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या इस घटना की सूचना को सरकार के ध्यान में लाया गया है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कुछ विरोधी यूनियनों ने इंटक के आधार को तोड़ने के लिये तोड़-फोड़ का कार्य कराया और जांच आयोग को यह मामला दिया गया है । मैं इसके निष्कर्षों, अगर कोई है, को जानना चाहता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस समय, जबकि पुलिस की जांच चल रही है, मैं कुछ नहीं कह सकता परन्तु मेरी इच्छा है कि सरकारी कारखानों में यूनियनों में जो आन्तरिक प्रतिस्पर्द्धा चल रही है, वह समाप्त हो जाये । जहां कि यह विशेष घटना हैं वहां कई अन्य घेराव, धीमे काम करो आदि घटनाएं हैं जिनके कारण उत्पादन में कमी हुई है और वास्तव में हम चाहते हैं कि यह सब बातें ठीक हो जायें ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि इंटक से सम्बन्धित इस यूनियन के विरुद्ध कुछ कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि उन यूनियनों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की गई जिन्होंने 19 सितम्बर की सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया था क्योंकि इस यूनियन को श्री अतुल्य घोष का आशीर्वाद प्राप्त था ? चूंकि अब श्री अतुल्यघोष का प्रभाव पश्चिमी बंगाल में कम हो रहा है तो क्या सरकार का विचार इंटक से सम्बन्धित यूनियन के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने का है जो कि भयंकर रूप से तोड़-फोड़ के लिए उत्तरदायी हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह पहला प्रश्न उसी तरह का था जिसको कि माननीय सदस्य ने अभी पूछा है और मैंने बता दिया था कि इसको सुलझाने का कार्य राज्य सरकार पर है, इस बारे में राज्य सरकार को कहा गया है । यह समूची प्रक्रिया इस प्रकार है कि जब तक राज्य सरकार को मूल्यांकन समिति इसकी जांच नहीं करती तथा परिणाम पर नहीं पहुंचती है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं कार्यवाही में शीघ्रता लाना उनका कार्य है ।

श्री हेम बरुआ : 19 सितम्बर की हड़ताल में उत्तरदायी ठहराये गए संघों के विरुद्ध सरकार ने राज्य सरकार की सहमति की प्रतीक्षा किये बिना शीघ्र कार्यवाही की। इस मामले मे उन्होंने वहीं मापदण्ड क्यों नहीं अपनाया ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विभिन्न सरकारों की कार्यक्षमता का स्तर भी भिन्न होता है।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : इस तथ्य को देखते हुए, कि कर्मचारियों ने यह कार्यवाही की न कि यूनियनों ने क्या यह सच नहीं है कि इंटक यूनियन को बदनाम करने के लिए अन्य यूनियनों ने तोड़फोड़ का कार्य किया ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच है कि इंटक के बहुत से नेताओं ने इस मामले में जांच करने को कहा था, परन्तु इस विशेष मामले में इंटक यूनियन ने पूर्व सूचना दी थी, मैं यह नहीं कह सकता कि क्या ये कर्मचारी वास्तव में ही इंटक के थे या नहीं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या सरकार को 23 जनवरी को अहमदाबाद में श्री एस० टी० राजा द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के बारे में मालूम है ? वे रुरकेला के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक थे और उन्होंने इस्पात कारखानों के संचालन में राजनैतिक हस्तक्षेप की निन्दा की, उन्होंने यहां तक कहा कि दुर्गापुर में अव्यवस्था फैली हुई है। उन्होंने आगे कहा कि दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला को संघ राज्य क्षेत्र बना दिया जाये ताकि इस्पात कारखानों में काम का सुचारु रूप से चलना सम्भव हो सके। क्या सरकार को इन टिप्पणियों के बारे में मालूम है और क्या वे इनसे सहमत है ? क्या सरकार दुर्गापुर को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने को तैयार है ताकि वहां राजनैतिक गतिविधियां फिर से तब तक न हों सके जब तक कि इन सब बातों को ठीक नहीं किया जाता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे श्री राजा द्वारा कही गई बातों के बारे में जानकारी नहीं है। परन्तु मैं अपने माननीय मित्र की बात मानने को तैयार हूं। राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाना मुश्किल से ही व्यवहार्य होगा। एक सक्रिय राजनीतिज्ञ होने के नाते वे इस बात को मानेंगे कि किसी भी क्षेत्र में राजनीति को घुसने से रोका नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त बंगाल में हर तरह की राजनीति सक्रिय है, सवाल यह है कि हम सबको इस पर विचार करना चाहिए, यह विचार, कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कम से कम राजनैतिक गतिविधि की विनाशकारी पहलुओं से बचाया जा सके, ऐसा विषय है जिस पर सब दलों को विचार करना चाहिए।

Shri Ram Gopal Shalwale : At the time of strike in the Durgapur Steel Plant on 19th September, it was reported in the newspaper that Pakistani Spies have a bound in that strike and they are indulging in sabotage in such plants on a large scale. I want to know how far the news is correct and whether the Government have any information or not.

Shri K. C. Pant : The Enquiry is going on.

Mid-term Elections

*395. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Sharda Nand : **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether a number of complaints have been received by Government to the effect that either Government machinery has been used in the mid-term elections or the elections have not been conducted impartially;

(b) if so, the number of such complaints received State-Wise; and

(c) the broad details of such complaints and the action taken by Government thereon ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) जी, हां।

(ख)

राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
बिहार	30
पंजाब	26
उत्तर प्रदेश	94
पश्चिमी बंगाल	20
योग	170

(ग) शिकायतों का और उन पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा दर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 277/69]**

Shri Kanwar Lal Gupta : Two types of complaints of serious nature have been mentioned in the statement placed on the Table of the House. According to one set of complaints the Government employees have participated in the elections at several places. The second set of complaints reveals a more serious thing that is at several places thousands and lakhs of voters, especially Harijans and poor people, were forcefully deprived of using their votes and they were not allowed to go to the polling booths. I am aware of the fact that the Government did take certain steps, especially in Uttar Pradesh, to check this. Even than thousands of voters could not cast their votes. It is a heavy blow on our democratic system and in the situation like this we are unable to expect fair and free elections in our country. Due to such incidents peoples' confidence in democracy will diminish. Therefore, I would like to know the steps being taken by the Government to prevent such a happening in future ? Do they propose to amend the law or appoint a high powered Commission or any Central agency for the purpose ? The Government have written to the Chief Secretaries of the States concerned in respect of Government employees. Governments have been formed there recently. In the view of different parties being in power in different states, fair and impartial inquiries against the pro or anti government employees, therefore, would not be expected to be conducted by the Governments concerned. I would like to know the steps proposed to be taken by the Goverenment to the effect that impartial enquiries could be held there.

(श्री गोविन्द मेनन): माननीय सदस्य ने जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया है उनमें से अधिकतर परिस्थिति में अन्तर्निहित हैं। यदि शिकायतें उसी प्रकार की हैं जैसी कि बताई गई हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त को, जिसे कि चुनावों का आयोजन और अधीक्षण करने का कार्य संविधान द्वारा सौंपा गया है, मामले को राज्य सरकारों को भेजना चाहिए। चार पांच आम चुनावों और हाल के मध्यावधि चुनावों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त से विचार विमर्श किया था तथा उनसे प्रार्थना की थी कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों के लिए सरकार को अपने सुझाव दें जिससे कि जिन बुराइयों का पता लगाया जा चुका है उनको कम किया जा सके।

Shri Kanwar Lal Gupta : There is a serious complaint against the Central Government for misusing the institution of the Governors. A dispute for dearness allowance for the Government employees was going on in Uttar Pradesh. The Governor of that State announced an increase in the dearness allowance for them just one day before the elections were to be conducted. The Governor of Bihar has forwarded a Bill amounting to Rs. 14 lakhs approximately to the Bihar State Congress Committee in connection with the expenditure incurred at the time of the visit of Prime Minister. The expenditure on security has not been included in the bill. The Bihar State Congress Committee has been asked to pay that amount. Likewise Bills have been sent to the State Congress Committees in Punjab, Bengal and Uttar Pradesh. I am not aware of the amount paid by these State Congress Committees. Now I want to put a specific question.

क्या संवैधानिक रूप से राज्यपाल प्रधान मन्त्री और अन्य मन्त्रियों के चुनाव सम्बन्धी दौरों पर कम से कम आवश्यक सुरक्षा से अधिक धन खर्च कर सकते हैं ? यदि कर सकते हैं तो क्यों और किसके प्राधिकार से सरकार ने धन व्यय किया ? व्यय होने पर उसको कौन चुकाएगा, क्या स्वयं प्रधान मन्त्री, कांग्रेस हाई कमान, कांग्रेस कोषाध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश समिति अथवा वह उम्मीदवार जिनको प्रधान मन्त्री जी ने दर्शन दिए ? यदि अन्तिम व्यक्ति को खर्चा उठाना पड़ेगा तो क्या उनके चुनाव को अमान्य किया जाएगा। यदि इस व्यय को कोई भी नहीं चुकाएगा तो बिहार सरकार अपने राज्यपाल के विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही करेगी।

श्री गोविन्द मेनन : मूल प्रश्न निर्दिष्ट शिकायतों से सम्बन्ध रखता है। माननीय सदस्य ने अब जिन शिकायतों का निर्देश किया है वे अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, in this regard Mr. Sondhi has lodged a complaint.

Page 4-This complaint is by Mr. M. L. Sondhi, M. P.

"Misuse of huge public money and Government machinery for electioneering purposes by Prime Minister, Smt. Indira Gandhi on the 5th February, 1969".

Even if this particular complaint is not included in the list we are supposed to put questions to the effect that what was the sanction for the Bills which have been paid, whether the expenditure incurred was legitimate or not and who will be held responsible for that expenditure if those bills are left unpaid. Will you sack the Governor ? It is a relevant question.

श्री गोविन्द मेनन मैंने श्री सोधी की वह शिकायत पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने जनता को धन का तथा सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया है । माननीय सदस्य राज्यपाल द्वारा निधि के उपयोग के सम्बन्ध में पूंछ रहे थे। लोक धन के उपयोग के बारे में.....(व्यवधान)

Shri George Fernandes : He is misguiding.

अध्यक्ष महोदय : सीधा प्रश्न है । धन खर्च किया गया है । क्या राज्यपाल को धन व्यय करने का प्राधिकार था और यदि उनको यह प्राधिकार प्राप्त नहीं था तथा वह धन की वसूली करने में समर्थ नहीं हैं तो इस अनियमितता पर दण्ड का भागी कौन होगा ?

श्री गोविन्द मेनन : मैंने निवेदन किया था कि यह शिकायत में प्राप्त हुई थी कि प्रधान मंत्री ने धन व्यय किया है । श्री कंवर लाल गुप्त ने अब प्रश्न उठाया है

अध्यक्ष महोदय : धन राज्यपाल ने खर्च किया था ।

Shri George Fernandes : Kindly ask him to read out the complaint made by Shri Raj Narain,

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं प्रश्न और उसके उत्तर को समझने का प्रयास कर रहा हूं । कम से कम प्रधान मन्त्री ने तो धन व्यय नहीं किया था । राज्यपाल ने प्रधान मन्त्री के लिए धन खर्च किया था । व्यय बिना अनुमति से किया गया है और यदि धन की वसुली नहीं हो पाई तो किस को दण्ड दिया जाएगा ?

श्री गोविन्द मेनन : मेरा सादर निवेदन था कि शिकायत ऐसी ही थी ।

श्री कंवर लाल गुप्त : शिकायत की तरफ मत जाइये ।

श्री गोविन्द मेनन : आधार तो वही है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपके कहने पर भी ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे है, क्या आप मन्त्री महोदय तथा इस सरकार का बोरी विस्तर नहीं बंधवा सकते ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक शैक्षणिक प्रश्न है । किसी ने पूंछा है कि भुगतान कौन करेगा । और यदि वे इसका भुगतान नहीं करते तो जिसने व्यय किया है उस व्यक्ति के लिए क्या दण्ड है ? यदि यह मामला बड़ा है तथा दलगत है और मन्त्री महोदय इसका शीघ्र उत्तर देने में असमर्थ हैं तो वह इसको स्वीकार करके समय की मांग कर सकते हैं ।

श्री गोविन्द मेनन : यह अनुपूरक प्रश्न है ।

Shri George Fernandes : It is not a supplementary question as such. It is a question. Please refer to the complaint made by Shri Raj Narain.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैं स्थिति को स्पष्ट करता हूं। विधि मन्त्री ने जो कहा है वह सूची 1 में सम्मिलित है। वह सूची सभा पटल पर रखदी गई है तथा उसमें पद 19 इस प्रकार है कि "लखनऊ जिला और श्री राजनारायण द्वारा की गई शिकायत–प्रधान मन्त्री के दौरों पर सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग तथा लोक धन का अपव्यय किया गया है। इसीका उल्लेख यहां किया गया है। प्रश्न यह नहीं है कि धन प्रधान मन्त्री ने खर्च किया है अपितु यह है कि प्रधान मन्त्री के दौरों के दोरान सरकार के धन का अपव्यय किया है। इन्हें इस बात पर क्या कहना है। मन्त्री महोदय को इस का स्पष्टीकरण देना चाहिए। यद्यपि आपने विशिष्ट रूप से यह प्रश्न पूंछा है तथापि वह इधर-उधर की बात कर रहे हैं।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने श्री सोंधी के प्रश्न की चर्चा की है.....

Shri Madhu Limaye : Sir, Kindly ask him to leave the House.

Shri Hukam Chand Kachwai : Let him call the Prime Minister for his help.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रश्न का कोई उत्तर चाहते हैं तो आपके इस प्रकार एक साथ खड़े होने पर ऐसा नहीं होगा। शोर मचाने की कोई बात नहीं है। आप कृपया बैठ जाइये। मैं मानता हूं कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। किन्तु यदि आप एक साथ खड़े हो जाऐंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। यदि मन्त्री महोदय समझते हैं कि वह तत्काल उचित उत्तर नहीं दे पाएंगे और यदि वह इस प्रश्न को कल या परसों लेने के लिए अनुरोध करें तो मैं इसे मान सकता हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और सम्भवतः उन्हें प्रधान मन्त्री या अन्य लोगों से परामर्श करना पड़ेगा। यदि ऐसी बात है और यदि मन्त्री महोदय के लिए इसमें कोई वास्तविक कठिनाई है तो इस प्रश्न को कल या अन्य किसी दिन लिया जा सकता है। मन्त्री महोदय चाहें तो समय ले सकते हैं किन्तु उन्हें इसके लिए रहना तो होगा ही। अब मन्त्री महोदय समय मांगना चाहते हैं अथवा वह तत्काल उत्तर दे सकते हैं यह देखना उनका काम है।

श्री विश्वनाथराय : अध्यक्ष महोदय, आप का ध्यान इस ओर भी होना चाहिए। आप हमेशा दूसरी ओर ही न देखा करें।

अध्यक्ष महोदय : पहले तो सूची ही को निबटाना है। उसके बाद ही मैं अन्य नामों को ले सकता हूं। पता नहीं सूची में दिए गए नाम भी पुकारे जा सकते हैं अथवा नहीं।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने श्री सोंधी द्वारा की गई शिकायत पढ़ी है क्योंकि श्री गुप्त ने उन्हीं का उल्लेख किया था। उसके उपरांत श्री राजनारायण की शिकायत का भी जिक्र किया जा चुका है। यह लम्बी सूची है :

श्री स० मो० बनर्जी : यह सूची के अन्तर्गत है।

श्री गोविन्द मेनन : मैं जानता हूं कि यह सूची के अन्तर्गत है।

श्री सु० कु० तापड़िया : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान किसी प्रकार का व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री गोविन्द मेनन : इस लम्बी सूची में क्या लिखा है मुझे कण्ठस्थ नहीं है, और यही कारण है इसे सभा पटल पर रख दिया है । श्री राजनारायण ने अपने परिवाद में आरोप लगाया है कि प्रधान मंत्री की यात्रा में सरकार का दुरुपयोग किया गया और सरकारी धन को नष्ट किया गया । यह परिवाद मुख्य-निर्वाचन आयुक्त को मिला और वहां से इसे मुख्य सचिव के पास प्रतिवेदन के लिए भेज दिया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : This is not a reply. I wanted to know whether the money spent on the tours of Prime Minister, which is exclusive of the amount involved on Security etc; is constitutionally correct or otherwise, who gave its sanction to the Governor, and who will make its payment ? In case the payment was not made, whether any action will be taken against the Governor. Mr. Speaker, they want to evade my questions.

श्री गोविन्द मेनन : सभापति और सदन के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए मैं यह कहता हूं कि मैं प्रश्न को बिल्कुल नहीं टाल रहा हूं । मेरे पास तथ्य तो आएं । जो आरोप लगाए गए हैं, हमने उन पर प्रतिवेदन मांगा है । जब तक मुझे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होगा तो मैं आरोप नहीं मानता अथवा उत्तर भी नहीं दे सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के उत्तर के लिए दस दिन का नोटिस दिया गया था ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : श्रीमानजी, वह प्रश्न को स्थगित करना चाहते हैं । वह दस दिन का नोटिस चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि पहले उन्हें राज्य सरकार से तथ्य मिलने चाहिए । क्योंकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए तथ्यों को इकट्ठा करना आवश्यक है । उसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और सम्भवतः दूसरे राज्यों से पत्र व्यवहार करना है ।

Shri Madhu Limaye : He should be asked the time by which he will place the information on the Table. I do not want the matter to be postponed this issue.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय समय चाहते हैं । क्योंकि वह बिना तथ्य के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते । अतः मैं इस प्रश्न को किसी और दिन के लिए स्थगित करता हूं क्योंकि वह समय चाहते हैं । इसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं कर रहा हूं । मंत्री महोदय से परामर्श करके मैं कोई तिथि निश्चित करूंगा ।

निर्वाचन-प्रक्रिया

\+

***396. श्री स० चं० सामन्त :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न न्यायालयों में, लोक सभा तथा विधान सभा के बारे में कितनी निर्वाचन अर्जियां निर्णयाधीन हैं;

(ख) इन निर्वाचन अर्जियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निर्वाचन अर्जियों के शीघ्र निपटाए जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और छ महीने की अनुबद्ध अवधि के अन्दर उन पर निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) लोक सभा के लिए निर्वाचनों को प्रश्नगत करने वाली 4 निर्वाचन अर्जियां और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों को प्रश्नगत करने वाली 35 अर्जियां विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित है।

लोक सभा निर्वाचनों के सम्बन्ध में 7 मामलों में और राज्य विधान सभा निर्वाचनों के सम्बन्ध में 25 मामलों में अपीलें उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं।

(ख) ऐसी निर्वाचन अर्जियों के राज्यवार ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 278/69]**

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(7) के अलावा, जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि उच्च न्यायालय अर्जी के उपस्थापन की तारीख से 6 मास के भीतर अर्जी के विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे, निर्वाचन अर्जियों के निपटारे के लिए कोई कानूनी कालावधि अनुबद्ध नहीं की गई है। न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटाए जाने के लिए कोई समय-परिसीमा नियत करना उचित या साध्य नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध किया है कि वे निर्वाचन अर्जियों के निपटाए जाने के लिए अपने सम्मानित पद का उपयोग करें।

श्री स० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि कितने मामलों का निर्णय कर लिया गया है और क्या इन सब मामलों में निर्धारित अवधि का ध्यान रखा गया था।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : कुछ ऐसे मामले हैं जिनके लिए उच्च न्यायालयों ने छः महीने से अधिक समय लगाया। संविधान की धारा 86(7) में केवल यही कहा गया है कि इस प्रकार की आपत्तियों को छः महीने के अन्दर निपटाने का प्रयास किया जायेगा। अधिकांश मामलों में ऐसा ही किया गया है। कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें छः मास की अवधि के अन्दर नहीं निपटाया गया है।

श्री स० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि निर्वाचन याचिकाओं के उपस्थापन के कारण इन मामलों में अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों में किए गए व्यय से कुछ सीमा तक अधिक धन लगाना पड़ा, और यदि हां, तो यह जानने के लिए कि व्यय कम हुआ है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : कभी कभी मुकदमेबाजी पर व्यय अधिक हो जाता है जो उस पर दिए गए शुल्क पर निर्भर करता है, कितनी गवाहियां दी गईं, कितनी बार सुनवाई की गई आदि इन सब पर निर्भर करता है। यह निर्वाचन पर किए गए व्यय में सम्मिलित नहीं होता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा दिया जाना

*391. श्री कामेश्वर सिंह : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 269 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के बोर्डों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को सरकार द्वारा अनुदेश दिये जाने से पूर्व यह बताया गया था कि जिन समवायों में सरकार के शेयर हैं अथवा जिन्हें सरकार ने ऋण दिये हुए हैं, उनके द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा देना उचित नहीं है;

(ख) जिन निदेशकों तथा समवायों को अनुदेश जारी किये गये थे, उनके नाम क्या क्या हैं और वे निदेश किन-किन तारीखों को जारी किये गये थे;

(ग) कितनी बैठकों में निदेशकों ने भाग नहीं लिया था और क्या चन्दा देने के बारे में किसी ऐसी बैठक में कोई निर्णय लिया गया था; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन निदेशकों को बैठकों में उपस्थित रहने और इस प्रकार चन्दा देने सम्बन्धी प्रस्तावों का विरोध करने और ऐसे प्रस्ताव के विरुद्ध विमति टिप्पण देने के लिये अनुदेश जारी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) : सूचना संग्रह की जा रही है, तथा एक विवरण-पत्र, सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(घ) चूंकि, कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1968, जिसमें कम्पनियों को किसी भी प्रकार का अंशदान देने का निषेध है, लोक-सभा में 10 मई, 1968 को पुरःस्थापित किया गया था। अतः इस स्तर पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ट्रैक्टर कारखाना

*397. श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से एक ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) कारखाना किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) कारखाना स्थापित करने पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) : पहले जबकि इस प्रकार के ट्रैक्टर का निर्माण पूर्णरूपेण नई परियोजना के रूप में स्थापित करने का विचार था तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट एक स्थान इसके लिए चुना गया था तब से सेन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर ने 20 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर का आद्यरूपों का विकास कर लिया है और यह सुझाव दिया गया था कि प्रस्तावित परियोजना को इस नमूने के ट्रैक्टर का निर्माण करना चाहिए। यह भी वांछनीय समझा गया है कि इस परियोजना को चाहिए कि वह माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के पिंजौर एकक में उपलब्ध फालतू क्षमता को पूरा उपयोग करें। इसके अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके अपनी सिफारिशें करने के लिए कहा गया है। परियोजना पर इसे स्थित किये जाने वाले स्थान को सम्मिलित कर अन्तिम निर्णय रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उसकी जांच कर लेने के पश्चात् किया जायेगा।

सांविधानिक उपबन्धों के निर्वचनों के पुनर्विलोकन की व्यवस्था

***398. श्री ए० श्रीधरन :** **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री क० लकप्पा : **श्री रामचरण :**

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री 19 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 5145 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांविधानिक उपबन्धों के निर्वचन के बारे में पुनर्विलोकन करने के लिये कोई मशीनरी स्थापित करने के सुझाव पर इस बीच विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख): सरकार का विचार है कि सांविधानिक शक्तियों के निर्वचन में पुनर्विलोकन के लिए व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विदेशी सहयोग करार

***399. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से विदेशी सहयोग बोर्ड बना है क्या तब से अब तक उसने किन्हीं विदेशी सहयोग करारों का निपटारा किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के किस-किस क्षेत्र में कुल कितने करार किये गये हैं; और

(ग) क्या नये सहयोगों की अनुमति देने से पूर्व उनके सब पक्षों पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : विदेशी विनियोजन बोर्ड विदेशी सहयोग के आवेदनों पर स्वीकृति देने के लिए अन्तिम प्राधिकार नहीं है । विदेशी विनियोजन बोर्ड द्वारा आवेदनों पर विचार कर लेने के पश्चात् सम्बन्धित मन्त्रालयों द्वारा प्रस्ताव सहित सरकार की सहमति जारी की जाती है । सरकार द्वारा सहमति विदेशी सहयोग के मामलों की सूची जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्माताओं की सूची भी रहती है प्रत्येक तिमाही संकलित की जाती है । और उसे "जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित कराया जाता है ।

विदेशी सहयोग के लिए प्राप्त प्रत्येक आवेदन पत्र पर सरकार की इस सम्बन्ध में नीति के अनुसार विदेशी विनियोजन बोर्ड द्वारा सिफारिश किये जाने से पूर्व भली प्रकार विचार किया जाता है ।

Abolition of Managing Agency System

***400. Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether necessary amendments are proposed to be made in regard to the proposal for the abolition of Managing Agency System which was under consideration of Government some time back;

(b) if so, when a decision would be taken in this regard; and

(c) whether Government have received some important suggestions in this regard in the light of the utility of the said system ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The Government have no such amendments under consideration.

(b) Does not arise.

(c) Various suggestions reflecting different views on the proposal to abolish the Managing Agency system were received from some Chambers and individuals. Government have carefully considered the merits of the proposed abolition of the Managing Agency system in all its aspects including the suggestions received from these persons or bodies.

टायरों के आयात के लिए लाइसेंस

***401. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री रा० वें० नायक :**
श्री प्र० नं० सोलंकी : श्री च० चु० देसाई :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ किस्मों के टायरों का आयात करने के लिए कुछ अतिरिक्त आयात लाइसेंस देने का हाल ही में निर्णय किया है;

(ख) देश में इस समय टायरों की कुल कितनी कमी है;

(ग) क्या अतिरिक्त टायरों के प्रस्तावित आयात से यह सभी पूरी हो जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में टायरों की विद्यमान कमी को दूर करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में कई गुना वृद्धि हो गई है, सरकार क्या उपाय कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) 1968 में मोटरगाड़ी टायरों की श्रेणीवार अनुमानित मांग तथा वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

मोटरगाड़ी टायर	संभावित आवश्यकता	वास्तविक उत्पादन
1. ट्रक/बस	18,30,000	18,61,377
2. कार	7,40,000	8,60,517
3. ट्रैक्टर	1,24,800 +	1,48,977
4. मोटर साइकिल	1,17,000	1,19,866
5. स्कूटर/रिक्शा	3,15,000	2,94,253
6. ऐ० डी० वी०	1,20,000	1,43,869
7. मिट्टी हटाने की गाड़ी	12,600	9,097
8. एरो	—	9,494
	32,59,400	34,47,440

ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी मांग कुछ कम दिखाई गयी है।

यद्यपि समूची मांग के अनुमान तथा वास्तविक उत्पादन को देखते हुए पता चलता है कि उत्पादन मांग से अधिक है किन्तु कुछ आकार प्रकार तथा कोटियों के टायरों की कमी है और विशेषकर ट्रक टायर (100 × 20) ट्रैक्टर टायर, मोटर साइकिल स्कूटर। तीन पहियों वाले स्कूटरों के टायरों की कमी रही। इन टायरों की कमी का अनुमान नीचे दिखलाया गया है :—

कोटि	1968 में अनुमानित कमी
1. ट्रक टायर	20,000 सेट
2. ट्रैक्टर टायर	27,000 संख्या ++
3. मोटर साइकल और स्कूटर/तीन पहियों वाले स्कूटर	60,000 सेट

(एक सेट में टायर, ट्यूब तथा जहां आवश्यक हो उनका आवरण सम्मिलित है)

++ इनमें आयातित ट्रैक्टरों में बदले जाने वाले 31,110 टायर जिनके आयात की अनुमति दी गयी है शामिल नहीं हैं।

(ग) जी, हां। कमी को दूर करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो सरकार विभिन्न आकार के टायरों और ट्यूबों के अतिरिक्त आयात पर भी विचार करेगी।

(घ) मोटर गाड़ी टायर उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने और विशेषकर कमी वाली कोटियों के टायरों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परामर्श दिया गया है इस प्रयोजन के लिए सरकार आवश्यक सांचों तथा संतुलन उपकरणों के आयात के मामले में भी उत्पादकों की सहायता कर रही है इसके अतिरिक्त मोटर गाड़ी टायरों की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त मोटरगाड़ी टायरों और ट्यूबों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत "आवश्यक वस्तु" घोषित किया गया ताकि इन को अधिगृहित करके तथा उचित मूल्यों पर वितरण को नियमित करने के लिए राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्रशासन सक्षम हो सकें।

Action Against U.P. Mill-owners for Non-payment of Government Loans

*402. **Shri Mohanu Prasad :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to refer to the replies given to Unstarred Question Nos. 351 and 4541 on the 23rd July and the 20th August, 1968 respectively and state :

(a) whether information regarding the action taken against the U. P. mill-owners for non-payment of Government loans and dues has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A Ahmed) (a) and (b) : Yes, Sir. A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library, See No. LT-279/69]

(c) Does not arise.

वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों पर उत्पादनशुल्क

*403. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के उत्पादन शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि से वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों का मूल्य 1,000 रुपये बढ़ जायेगा।

(ख) यदि हां, तो निर्यात शुल्क में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वाणिज्यिक मोटरगाड़ी की उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) इन पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने के क्या कारण हैं तथा उत्पादन शुल्क की इस वृद्धि से प्रतिवर्ष कितना राजस्व मिलेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) व्यापारी गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने का कोई भी विचार नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात में मध्यम पैमाने के उद्योग

*404. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने 1968–69 में गुजरात राज्य में मध्यम पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है और इस योजना को क्रियान्वित किये जाने के फलस्वरूप प्रत्येक उद्योग की उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना की मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो किन संशोधनों के साथ; और

(घ) इससे रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : माननीय सदस्य का ध्यान 20 अगस्त, 1968 को सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 4443 के दिए गए उत्तर के भाग (क) से (ग) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(घ) दरम्यान दर्जे के उद्योगों का विकास मुख्यत: अवस्थापना सुविधाओं के उपयोग के लिए उन्हें सुदृढ़ बनाने तथा उसके विस्तार के लिए तथा उद्योगों की बढ़ोतरी के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित है। रोजगार के अवसरों पर प्रभाव चूंकि परोक्ष रूप से होता है अत: उस प्रभाव को बता सकना सम्भव नहीं होगा।

Industrial Development in Uttar Pradesh

*405. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Uttar Pradesh is lagging behind as compared to other States from the industrial point of view and big industrial schemes have not been drawn up for proper industrial development of the State during the last three Five Year Plan periods;

(b) if so, whether Government would consider the matter of setting up heavy industries in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan; and

(c) if so, the names of such industries and the names of the places where such industries would be set up ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Taking into consideration the investments made on the public sector projects during the first three Plan periods, and details of the productive capital, labour employed and value added by manufacture in factory establishments in the different States it would be seen that Uttar Pradesh is ahead of a number of other states in the field of industries, though there are also a few states ahead of U.P. in this respect. Four large central industrial projects have been set up in that State. They are : Diesel Loco Factory, varanasi; Gorakhpur Fertilizers, Gorakhpur; Antibiitics Plant, Rishikesh and Heavy Electrical Equipment Factory, Hardwar. Another project viz., Heavy Structurals Project is under implementation at Naini. In the State Sector, the important projects set up so far are : Cement Factory, Churk and Precision Instruments Factory, Lucknow. One more cement factory is being set up at Dalla.

(b) and (c) : Since the Fourth Five Year Plan is under preparation at present, it is not possible to indicate at this stage the names & locations of new industrial projects which will be set up in Uttar Pradesh.

इस्पात के निर्यात तथा आयात का केन्द्रीकरण

*406. **श्री सीताराम केसरी :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक केन्द्रीय निगम बना कर इस्पात के निर्यात तथा आयात का केन्द्रीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निगम कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस प्रकार के निगम की स्थापना से क्या लक्ष्य प्राप्त किये जायेंगे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Promotion of Assistant Station Masters

*407. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a written test is held for the Assistant Station Masters in the pay scale of Rs. 205-280 before promoting them as Station Masters in the same scale so that their ability to shoulder additional responsibility could be proved;

(b) if so, whether their pay is also proposed to be increased for their shouldering additional responsibility; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) It is only on the Eastern Railway that, before posting an Assistant Station Master in scale Rs. 205-28 as a Station Master in the same scale, a written test is held.

(b) and (c) : Do not arise as the appointment is not to a higher scale of pay.

पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये सुरक्षित पद

*408. **श्री दा० रा० परमार :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये श्रेणी एक, दो और तीन में क्रमशः सुरक्षित स्थानों के कोटे को पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद प्रत्येक वर्ग में सुरक्षित कोटे को पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के वर्गवार निर्धारित कोटे को पूरा करने हेतु सरकार क्या अग्रेतर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियो के लिये पदोन्नति का कोटा सुरक्षित रखने पर विचार करेगी; और

(ङ) पश्चिम रेलवे के सभी डिवीजनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का वर्गवार अलग-अलग कितना प्रतिशत है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 280/69]**

(ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मोटर गाड़ियों का निर्माण

*409. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए नये लाइसेंस जारी करने का है क्योंकि वर्तमान कारखाने न तो कारों की लागत कम करते हैं और न ही कारों की किस्म में सुधार करते हैं, और यदि हां, तो कब;

(ख) निर्माण की जाने वाली कारों की लागत, कारखाने की क्षमता तथा कारों की किस्मों के बारे में मुख्य बातें क्या हैं और इनके निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं कि मोटर गाड़ी कार्य को खुला बाजार उद्योग क्यों घोषित नहीं किया जाता जिससे स्वस्थ प्रतियोगिता हो और देश में कार बनाने के इच्छुक सभी लोगों को, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्ध लगाकर कार निर्माण की अनुमति हो ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : सरकार अनुभव करती है कि अच्छे गुण प्रकार की उचित और कम मूल्य की कारों का उत्पादन करने के लिए एक ही तरीका है कि कम से कम 50,000

कार प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक बड़ा एकक चलाया जाये। इस प्रकार की प्रायोजना सरकार के विचाराधीन है। अनेक एककों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सरकार का यह विचार है कि प्रश्न में निर्देशित रूपरेखा के अनुसार मोटरगाड़ी उत्पादन को खुला उद्योग घोषित कर देने से उचित और कम मूल्य पर अच्छे गुण प्रकार की कारें उपलब्ध करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सरकार की सुविचारित राय से, उत्पादन के आधुनिक तरीकों से मुक्त पर्याप्त बड़े और लाभदायी एकक द्वारा तथा लागत, विदेशी मुद्रा हिस्से पुर्जे आदि सम्बन्धित बातों को ध्यान में रख कर कार का उत्पादन करने से ही उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

उद्योग में मन्दी

* 410. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० च० शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार उद्योगों में मन्दी पर, जो गत वर्ष आरम्भ हुई थी, कहां तक नियन्त्रण कर सकी है; और

(ख) उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1968 के अंत में देश के औद्योगिक उत्पादन में सुधार के स्पष्ट चिन्ह दिखाई दिये। वर्ष 1960 को आधार मान कर औद्योगिक उत्पादन के सामान्य आंकड़े जो 1967 में 151 थे 1968 की तीसरी तिमाही में 161 तक पहुंच गये इस प्रकार 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इंजीनियरी उद्योग जिस पर मन्दी का अधिक प्रभाव पड़ा था उसमें भी वर्ष 1968-69 के दौरान पर्याप्त सुधार दिखाई दिया। इंजीनियरी उद्योगों में 1968 में पिछले वर्ष की अपेक्षा 4.8 प्रतिशत की वृद्धी हुई। आशा है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप उत्पादन में और सुधार होगा।

(ख) मन्दी के प्रभावों को कम करने के लिए किये गये महत्वपूर्ण उपायों में विभिन्न विकास सबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा करना जिससे पूंजीगत वस्तुओं की यथासंभव अधिक मांग पुन: उत्पन्न की जा सके; मन्दी से प्रभावित उद्योगों के निर्माण कार्यक्रम में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहन देना; सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में सुदृढ़ विपणन ढांचे के द्वारा नियमित रूप से निर्यात करने के विकास पर बल देना, उस सीमा तक आयात पर प्रतिबंध लगाना जिसके लिए देश में क्षमता विद्यमान है; देश इंजीनियरी उत्पादनों की मांग को पुनः उत्पन्न करने के लिए कुछ चुने हुए ऋण देने के उपाय करना; संबधित प्राधिकारों द्वारा यथासंभव निर्वाधरूप से विद्युत संभरण बनाये रखने के प्रयत्न करना; अनेक

उद्योगों से निरन्तर लाइसेंस हटाना, कठिनाइयों को दूर करना तथा जहां तक संभव हो सके प्रोत्साहन देना जिससे निर्यात की क्षमता बढ़ाई जा सके और यथासंभव घरेलू मांग में कमी को रोका जा सके तथा एक ओर परियोजना प्राधिकारों तथा दूसरी ओर सभी संभावित निर्माताओं से बात-चीत करना सम्मिलित है जिसके इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि किसी भी ऐसे संयंत्र, मशीन या उपकरण का आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसका देश में ही निर्माण किया जा सकता हो।

मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनफैक्चरिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड

* 411. **श्री स० मो० बनर्जी** . क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 715 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनफैक्चरिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड के तारकोल ढ़ोल सयंत्र 1964 में किसी समय तकनीकी विकास महानिदेशालय के एक अधिकारी ने इसकी क्षमता जानने के लिए इसका निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच उनकी तारकोल ढ़ोल संयंत्र की निर्धारित क्षमता की सूचना फर्म तथा संयुक्त संयंत्र समिति को दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार उनके उक्त तारकोल ढोल संयंत्र के निर्धारण प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : जैसा कि 30 जुलाई, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1652 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में बताया गया है कि इस कंपनी की बिटूमन ड्रमों की एक पारी के आधार पर क्षमता 7,84,000 सख्या प्रति वर्ष है। इनके बिटूमन ड्रम निर्माण क्षमता के मूल्यांकन के लिए इनके कारखाने का निरीक्षण 1964 में किया गया था किन्तु मूल्यांकन के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि इसी बीच तकनीकी अधिकारियों द्वारा 1965 में तेल के ढोलों के निर्माण की क्षमता के मूल्यांकन का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था और उसमें कुछ मामलों पर आगे जांच करना आवश्यक था। कंपनी को सूचित किया गया था कि बिटूमन ड्रमों की क्षमता का पुनरीक्षण संभव नहीं था संयुक्त संयंत्र समिति को कम्पनी के बिटूमन ड्रमों के निर्माण की लाइसेंस प्राप्त क्षमता तथा 1966 में किये गये उत्पादन से सूचित कर दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

प्रीमियर आटो मोबाइलस लिमिटेड

* 412. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, इस बात की ओर दिलाया गया है कि प्रीमियर आटो-मोबाइलस लिमिटेड की कारों के मूल्य ऊंचे होने पर भी उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है;

(ख) कम्पनी की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार कम्पनी कानून के अन्तर्गत कम्पनी के खातों की विशेष परीक्षा करने के आदेश देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच का आदेश न देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी की आर्थिक स्थिति की, कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा देख भाल की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) : कम्पनी की लेखे की किताबों का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत 1966 में निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण से, विशेष लेखा-परीक्षा अधिपत्रित करने के लिये कोई परिस्थिति प्रकट नहीं हुई ।

मद्रास में भूमिगत रेल व्यवस्था

* 413. **डा० सुशीला नैयर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास में भूमिगत रेलें विछाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय इस बीच कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में रेलों का विकास

* 414. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री जि० मो० विस्वास :
डा० रानेन सेन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में रेलों के विकास सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) रेलवे की चौथी योजना के लिये प्रस्तावित परिव्यय कितना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलों के विकास सम्बन्धी प्रस्तावों और वित्तीय लागत को योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ट्रैक्टरों का निर्माण

* 415. **श्री वेदव्रत बरुआ :**

श्री लोबो प्रभु :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ट्रैक्टरों की मांग इनके निर्माण से कम है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में देश में ट्रैक्टरों का अनुमानित निर्माण कितना होगा और कितने ट्रैक्टर विदेशों से मगाये जायेंगे; और

(ग) क्या चौथी योजना की अवधि में ट्रैक्टरों के मामले में आत्म निर्भर होने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष, 1968-69 में देश में ट्रैक्टरों का निर्माण लगभग 15,000 हो जाने की सम्भावना हैं। 1968-69 में 15,000 ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए भी प्रबन्ध कर लिये गये हैं।

(ग) पहियेदार कृषि ट्रैक्टर बनाने के लिए नए कारखाने स्थापित करने हेतु अनेक योजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से दो योजनाओं के लिए पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। दो अन्य योजनाओं की जांच की जा रही है। देश में ट्रैक्टरों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित और उपाय किये गये हैं :–

1. पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिए विद्यमान एककों को विदेशी मुद्रा जारी करने में सहायता की गई है जिससे वे अपनी सम्पूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक उत्पादन कर सकें ;

2. इस क्षेत्र में नये एककों की शीघ्र स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इस उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने संबंधी उपबंधों से मुक्त कर दिया गया है ;

3. सरकारी क्षेत्र में 20 अ० श० के ट्रैक्टरों का निर्माण किये जाने के बारे में एक प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

हंगरी को इस्पात का निर्यात

* 416. श्री पी० सी० अदिचन : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी में भारतीय इस्पात के आयात की विशेष सम्भावनायें है;

(ख) यदि हां, तो वस्तुत: ये सम्भावनायें क्या है और कितनी है, और

(ग) सरकार ने हंगरी का इस्पात का निर्यात करने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा आगामी वर्ष में इस्पात की सप्लाई कराने के लिये कितने क्रयादेश मिले हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) : प्रेषण पर खर्च बहुत होने के कारण भारतीय इस्पात के हंगरी को निर्यात की सम्भावना सीमित हैं। इसी कारण जब तक हंगरी को इस्पात का निर्यात करना सम्भव नहीं हो सका है। ऐसी आशा है कि 1969 में इस दिशा में कदम उठाया जायेगा।

गुजरात में रासायनिक औद्योगिक कारखाना

* 417. श्री रा० की० अमीन : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रासायनिक औद्योगिक कारखानों के लिए जिनके लिए गुजरात राज्य में पर्याप्त गुंजाइश है, पानी की कमी अनुभव हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस राज्य के औद्योगिक विकास हेतु पानी की कमी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार का गुजरात राज्य की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Increase in the Number of Trains from Delhi to Bombay on Central Railway

* 418. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a considerable increase in the number of trains on the Western Railway from Delhi to Bombay, but there has been no increase in the trains from Delhi to Bombay on the Central Railway, causing great hardship to 10 to twelvecrore persons living in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh etc ; and

(b) the plans for introducing more trains on Delhi-Bombay route on the Central Railway ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Sir, the facts are that since 1950-51, there has been an increase from two to four pairs of trains on the Bombay-Delhi section via the Western Railway route while the number of Bombay-Delhi trains via the Central Railway route continues to be two each way.

(b) Action is in hand to augment the capacity of this route so that it may be possible to introduce an additional train in due course.

इस्पात-पिण्डक उद्योग (रीरोलिंग बिलट)

* 419. श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्बेलन उद्योग में 80 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और इसमें 40,000 से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में काम करते हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति के अनुसार इस्पात-पिण्डक पुनर्बेलन मिलों की वार्षिक क्षमता 28 लाख टन की है;

(ग) क्या इस्पात पिण्डकों का निर्माण जो पुनर्बेलन मिलों के लिये कच्चे माल के रूप में काम आता है, मांग से कम है;

(घ) क्या पुनर्बेलन मिलों ने इसके निर्यात के लिये अच्छे बाजार ढूंढ रखे है;

(ड़) क्या इससे बनी पत्तियों/अथवा सरियों के एक टन के निर्यात से इस्पात-पिण्डक के एक टन के निर्यात की अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जाती है; और

(च) यदि हां, तो चालू तथा आगामी वर्ष के लिये इस्पात पिण्डकों का निर्यात किये जाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण है, जबकि पुनर्बेलन मिलों को इसकी कमी अनुभव हो रही है और उन्होंने इसके निर्यात के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन दिये है और यदि हां, तो क्या इस नीति में परिवर्तन किया जायेगा ?

इस्पात तथा इजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) स्टीलरी-रोलिंग मिल्स एसोसियेशन आफ इण्डिया द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार पुनर्बेलन उद्योग में लगभग 80 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और इसमें लगभग 40,000 व्यक्ति काम करते हैं।

(ख) से (ड़) : जी, हां।

(च) बिलेट की सीमित उपलब्धि को देखते हुये यह निर्णय किया गया है कि 1969-70 में बिलेट-निर्यात को विदेशी क्रेताओं के साथ पहले से किये गये करारों तक तथा सरकार द्वारा राष्ट्र-हित में थोडी मात्रा में निर्यात के लिए दी गई तदर्थ अनुमति तक ही सीमित रखा जाय।

हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति

* 420. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का श्री केशव देव मालवीय को पुनः हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन का अध्यक्ष बनाने का विचार है;

(ख) क्या राजनीति से सम्बद्ध व्यक्तियों को सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने से उपक्रम का कार्य ठीक ढंग से नहीं चलता है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त (क) में उल्लिखित निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक सुयोग्य व्यक्ति को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का पूर्ण-काल अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस प्रकार का कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

2450. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात में अल्प आय वर्ग के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई;

(ख) छात्रवृत्तियों की कुल राशि कितनी है;

(ग) जिन्हें ऐसी छात्रवृत्तियां दी गई हैं उनके अभिभावक किस आय वर्ग के हैं; और

(घ) गुजरात की सरकार ने आय की किस सीमा पर जोर दिया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मुथ्थालराव) : (क) से (घ) : ब्यौरा राज्य सरकार से एकत्रित किया जा रहा है तथा प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास

2451. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास का जो मूल्यांकन किया गया था उसकी मुख्य बातें क्या है;

(ख) इस परिषद् द्वारा मध्य प्रदेश के बारे में प्रस्तुत किये गये औद्योगिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त सारांश क्या है;

(ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक, आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये औद्योगिक एवं आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) 1947 के पश्चात सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश में अब तक कितना धन लगाया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी मुद्रित प्रकाशन "टेकनो-इकनामिक सर्वे आफ मध्य प्रदेश" में उपलब्ध है जिसकी एक प्रति ससद् के पुस्तकालय में है ।

(ग) विभिन्न राज्यों में जिन में मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है औद्योगिक विकास की क्षमताओं का मूल्यांकन स्वयं राज्य सरकारों ने नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकनामिक रिसर्च से करवाया हैं जिस के निष्कर्ष प्रकाशित हो चुके हैं । इन सर्वेक्षणों के आधार पर राज्य सरकारें औद्योगिक विकास की योजनाएं बनाती हैं । इन प्रस्तावों पर पचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं के निर्धारण के समय योजना आयोग के कार्यकारी दलों, द्वारा विचार विमर्श किया जाता है और उन्हें योजनाओं में सम्मिलित करने के बारे में निर्णय किए जाते हैं ।

(घ) 1951-68 की अवधि में मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक परियोजनाओं पर 459 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया था । इन परियोजनाओं की पूर्ति के लिए 153 करोड़ रुपये के और अधिक विनियोजन होने का अनुमान है । राज्य सरकार के क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक योजनाएं जैसे औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास निगम को सुदृढ़ बनाना, औद्योगिक अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना तथा सर्वेक्षण के कामों को इस अवधि में हाथ में लिया गया है । 1951-68 में इन योजनाओं पर 6.36 रुपये का विनियोजन किया गया है । इस राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं में इस अवधि में लगाई गई पूंजी के बारे में जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और उसे प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

बिजली के बल्बों की चोरी

2452. श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में केवल रेल के डिब्बों से बिजली के बल्ब तथा बिजली के अन्य सामान की चोरी के कारण रेलवे को कितने रुपये की हानि हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न रेलवे गोदामों से बिजली के सामान की चोरी के कारण प्रति वर्ष कितने रुपये का घाटा हुआ;

(ग) इन चोरियों को रोकने तथा इनका पता लगाने के बारे में क्या ठोस कार्यवाही की गई है;

(घ) इस प्रकार की चोरी के लिए गत वर्ष कितने व्यक्तियों को सजा हुई तथा कितने मूल्य का चोरी का सामान बरामद किया गया ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष चोरी के कारण कितने रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क)

वर्ष	चोरियों के कारण हुई हानि की रकम रुपये
1964	19.22 लाख
1965	15.02 लाख
1966	14.74 लाख
1967	13.70 लाख
1968	13.72 लाख

(ख)

वर्ष	चोरियों के कारण हुई हानि की रकम रुपये
1966	26.1 हज़ार
1967	39 1 हजार
1968	51.5 हज़ार

(ग) इस सम्बन्ध में रेलों पर निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

1. डिब्बों में ताले लगाना, भीतरी फिटिंग में पाश की व्यवस्था ताकि उसे छेड़-छाड़ न की जा सकें, बिजली उपस्कर की बैंडिंग और डिब्बाबंदी, निचले ढांचे की तारों की क्लीटिंग और ट्रंकिंग आदि चोरी रोकने के उपाय किये गये हैं।

2. स्टेशनों और यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा सवारी डिब्बों की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली उपाय अपनाये गये हैं।
रेलवे सुरक्षा दल द्वारा रेल इंजन, सवारी और माल डिब्बा कारखानों और भण्डारों पर रात दिन निगरानी रखी जाती है और उनके फाटकों पर चौकीदार रखे गये हैं।

3. प्रभावित यार्डों और स्थलों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र सैनिक तैनात किये गये हैं।

4. रेलवे सुरक्षा दल द्वारा अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और सूचना एकत्र करने के लिए सादे लिबास में कर्मचारी तैनात किये जाते हैं और चोरी का माल रखने वालों पर छापे मारे जाते हैं।

5. रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत अपराधियों को गिरफ्तार करके उनपर मुकदमें चलाये जाते हैं।

6. प्रभावित यार्डों और खण्डों में रैलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दस्तों का उपयोग किया जाता है।

(घ)

1968 में ऐसी चोरियों के लिए सज़ा पाये व्यक्तियों की संख्या	491
1968 में बरामद किये गये चोरी के माल की रकम	4.30 लाख रुपये

(ड़)	वर्ष	बर्खास्त रेल कर्मचारियों की संख्या
	1966	4
	1967	11
	1968	5

अहमदाबाद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों पर शिक्षा-कर लगाना

2453 **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निगम तथा राजस्व विभाग अहमदाबाद जैसे नगरों में अनुसूचित जातियों के लोगों से शिक्षा-कर वसूल करते हैं, यद्यपि उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है; और

(ख) क्या गुजरात सरकार से इस प्रकार के कर के बारे में जानकारी लेने का सरकार का विचार है और इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्थालराव) : (क) तथा (ख) : गुजरात शिक्षा उपकर अधिनियम, 1962 के अधीन सामान्य जनता पर (अनुसूचित जातियां भी शामिल) नाममात्र का शिक्षा उपकर, जिसमें (क) गांव की हदों के भीतर आने वाली जमीनों को तथा उन जमीनों को, जिन का लगान न आंका जाता हो, छोड़ कर सभी जमीनों पर अधिप्रभार तथा (ख) शहरी क्षेत्रों में सभी जमीनों तथा मकानों पर कर, शामिल हैं, लगाया जाता है। यह उपकर वास्तव में सम्पत्ति पर एक उगाही है, जो गुजरात राज्य में शिक्षा का खर्च उठाने के लिए एकत्रित किया जाता है। साम्याहीन अथवा भेदभाव वाली किसी बात का पता न लगने के कारण इस विषय पर केन्द्र द्वारा दखल दिए जाने का कोई मामला प्रतीत नहीं होता है।

इटारसी तथा इलाहाबाद के बीच अतिरिक्त यात्री गाड़ी

2454. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के इटारसी-इलाहाबाद सेक्शन पर एक अतिरिक्त यात्री गाड़ी के लिए काफी समय से मांग की जा रही है; और

(ख) इसे अब तक पूरा न करने के क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा करने की सम्भावना है।

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां।

(ख) बम्बई वी० टी० और इलाहाबाद के बीच 41 डाउन/42 अप जनता एक्सप्रेस गाड़ियां जो इस समय हफ्ते में चार दिन चलती हैं, 1-4-69 से हफ्ते में छः दिन चलायी जायेंगी। आशा है कि इन गाड़ियों को हफ्ते में चार दिन की बजाय छः दिन चलाने से यह मांग काफी हद तक पूरी हो जायेगी।

औद्योगिक लाइसेंस नीति

2455. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंस नीति की पुनरीक्षण करें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं, पिछले कुछ समय में नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Payment of Compensatory Allowance to the Employees of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi.

2456. Shri J. Sundar Lal : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3001 on the 3rd December, 1968 and state :

(a) the reasons for which the Manager of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi started paying compensatory allowance to the employees with effect from 1st April, 1957 when the Khadi Gramodyog Commission had issued orders for the payment of said allowance with effect from the 19th September, 1959; and

(b) the amount of compensatory allowance paid, grade-wise since the date from which this payment was started till date ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The order issued by the Khadi & Gramodyog Commission on September 19, 1959 provided for payment of city allowance to the staff working under the trading scheme with effect from 1.4.1957. Payment of city compensatory allowance by the Manager, Khadi and Gramodyog Bhawan, New Delhi, has been on the basis of this order.

(c) The information is being collected and it will be laid on the Table of the House in due course

Maintenance of Stocks in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi.

2457. Shri J. Sundar Lal : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4030 on the 10th December, 1968 and state :

(a) whether the information regarding stocks in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi has since been collected and if not, the reasons therefor; and

(b) the time by which the information is likely to be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Information has been collected except in regard to part (e) of Unstarred Question No. 4030 answered on 10th December, 1968 for which the details of the

stocks are being compiled. This takes time in view of the large number and varieties of stocks of various articles stocked in the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi.

(b) Efforts will be made to complete the compilation of details and lay a statement on the Table of the House as early as possible.

Assistance for Development of Backward Classes in M. P.

2458. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of backward classes in Madhya Pradesh is more than that in many other States;

(b) if so, the reasons for not giving proportionate financial assistance to Madhya Pradesh out of the total amount allocated for the development of backward classes in the country by the Central Government; and

(c) whether Central Government propose to allocate the amount keeping in view the aforesaid facts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare: (Shri Muthyal Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The financial assistance allocated by the Central Government during 1968-69 to Madhya Pradesh for the development of backward classes, is more than that allocated to any other State.

(c) Does not arise.

महाराष्ट्र में नई रेलवे लाइनें

2459. **श्री देवराव पाटिल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 में और चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में महाराष्ट्र राज्य में नई रेलवे लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र में (1) चानाखा-राजूर, (2) नरखेड-अमरावती-और (3) वर्धा कोलहपुर रेलवे लाइन बिछाने पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक चालू किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनें बनाने के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। रेलवे का विकास राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में सम्पूर्ण विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः यह कहना कठिन है कि चौथी योजना में जो नयी लाइनें बनाना शुरु की जायेंगी उनमें से कौन-कौन सी लाइन महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगी।

(ख) से (घ) : चनका से वणी तक एक नयी लाइन बनाने के लिए 1969-70 में सर्वेक्षण शुरु करने का विचार है। इस रेल सम्पर्क को बनाने का निर्णय सर्वेक्षण पूरा हो जाने और उस के परिणाम का पता चल जाने के बाद किया जायेगा। इस समय अर्थोपाय सम्बन्धी

कठिनाइयों के कारण नरखेड–अमरावती और वर्धा–कोल्हापुर लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में निकट भविष्य में विचार करना सम्भव नहीं है ।

महाराष्ट्र में ट्रैक्टर कारखाना

2460. श्री देवराव पाटिल : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक ट्रैक्टर कारखाना स्थापित करने की मांग की है;

(ख) क्या इस मांग पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : महाराष्ट्र सरकार उन कई राज्य सरकारों में से एक है जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों के निर्माण की प्रस्तावित परियोजना को अपने राज्य में स्थापित किए जाने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है । राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि बम्बई में पहले ही एक ट्रैक्टर निर्माण कारखाना होने के कारण ट्रैक्टर के अन्य कारखानें की वहां स्थापना न्याय संगत नहीं है ।

Late Arrival of Amritsar Express at Delhi

2461. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Amritsar Express arrived at Delhi in time last year;

(b) the number of cases in which the reasons for late arrival of the said train were found to be genuine;

(c) the action taken in regard to the rest of the cases where the reasons were not found to be genuine; and

(d) the effective steps taken by Government to ensure that the said train does not run late and is punctual in future ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh : (a) 57 Dn. Bombay-Amritsar Express arrived New Delhi right time on 70 days during 1968.

(b) to (d) : The late running of this train is attributable to a variety of reasons including unauthorised alram-chain pulling, failure of communications, due to thefts of telecommunication equipment and operational difficulties arising from the congested state of some of the sections enroute. High level liaison is maintained with State Governments in regard to unauthorised alram chain pulling and thefts of vital telecommunication equipment. In regard to operating difficulties, some adjustments in the timings of this train are being made with effect from 1–4–1969 in order to ensure a better punctuality performance.

New Railway lines in Madhya Pradesh

2462. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the amount allocated in the Railway Budget for 1969-70 for construction of new Railway lines in Madhya Pradesh;

(b) whether any survey is proposed to be conducted in West Nimar district for this purpose;

(c) whether Government propose to construct any new railway line in the Chhatisgarh division; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) An amount of Rs. 10.0 lakhs has been provided in the 1969-70 Budget for the Guna-Maksi Railway line, and Rs 40 lakhs for the Singrauli-Katni rail link, both of which fall in Madhya Pradesh and construction of which is in progress.

(b) to (d) : There is no proposal to construct any new railway line or to conduct any survey in the West Nimar and Chhatisgarh areas of Madhya Pradesh.

The limited funds and resources available for new lines and conversions in the Fourth Five Year Plan will have to be conserved for essential schemes required for defence purposes, port and major industrial development and for moving heavy mineral traffic. The proposal for any new railway line either in the Western Nimar or Chhatisgarh area of Madhya Pradesh may therefore, not merit priority for consideration during the Fourth Five Year Plan and may have to wait for better times.

मोटरगाड़ी उद्योग में गाड़ियों के निरीक्षण के लिए लेखा परीक्षा अनुभाग

2463. **श्री घुलेश्वर मीना** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक मोटर गाड़ी फैक्टरी में वहां बनने वाली प्रत्येक गाड़ी के गुण प्रकार का निरीक्षण करने के लिए एक परीक्षण अनुभाग स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनुभागों ने भारत की प्रत्येक मोटरगाड़ी कारखाने में कब से कार्य आरम्भ कर दिया है अथवा करेंगे;

(घ) क्या इन अनुभागों पर आने वाली लागत मोटर गाड़ियों की कीमतों में वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर डाल दी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रस्तावित अनुभागों का भार किस को उठाना पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):(क) से (ग) : कार उद्योग के लिए तकनीकी लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ दल इस समय कारों के तीन निर्माताओं के संयंत्रों को इस दृष्टि से देख रहा है कि संयंत्र में आन्तरिक निरीक्षण संगठन को सुदृढ़ करने में वह कार उत्पादकों को परामर्श तथा सहायता दें । दल सरकार को बाह्य निरीक्षण संगठन जो कि उत्पादकों के आन्तरिक निरीक्षण व्यवस्था का पूरक होगा के स्वरूप,

उस की स्थापना तथा उस के प्रभावी रूप से काम करने के बारे में भी सुझाव देगा । तकनीकी लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना के सम्बन्ध में दल के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात पग उठाए जायेंगे ।

(घ) तथा (ङ) : इस प्रश्न पर तकनीकी विशेषज्ञ दल के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात तथा इस प्रकोष्ठ की स्थापना पर होने वाले व्यय को पुनिश्चित करने के पश्चात विचार किया जायेगा ।

कारों का निर्माण

2464. **श्री धुलेश्वर मीना : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1968 के प्रत्येक महीने में अलग-अलग कितनी एम्बेस्डर, फिएट तथा स्टैंडर्ड कारों का निर्माण किया गया;

(ख) 31 दिसम्बर, 1968 को व्यापारियों के पास इन कारों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति पंजीकृत थे; और

(ग) आगामी दो अथवा तीन वर्षों में इन कारों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1968 के प्रत्येक मास में एम्बेसेडर, फिएट तथा स्टैन्डर्ड कारों का उत्पादन निम्न प्रकार है :–

महीना	एम्बेसेडर	फिएट	स्टैन्डर्ड
जनवरी	2,250	1,07)	55
फरवरी	2,360	1,020	125
मार्च	2,703	999	191
अप्रैल	1,375	950	217
मई	1,700	1,02)	204
जून	1,800	1,00 l	144
जुलाई	1,900	1,10 l	250
अगस्त	1,800	1,046	223
सितम्बर	1,550	1,026	200
अक्टूबर	1,551	936	27)
नवम्बर	2,02 8	1,055	27 l
दिसम्बर	2,250	815	231

(ख) सितम्बर, 1968 के अन्त तक विभिन्न डीलरों के पास कार प्राप्त करने के लिए निलम्बित आर्डरों की संख्या 82,000 थी । 31 दिसम्बर, 1968 तक निलम्बित आर्डरों की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) कारों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से निलम्बित आर्डरों की संख्या घट रही है।

कारों की कमी

2465. **श्री घुलेश्वर मीना :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार के विचार में मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा नये स्वचालित इंजिन निर्माण कारखाने की स्थापना तथा, मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा फिएट कार का प्रति मास 750 कारों के उत्पादन को प्रति मास 1000 कार तक बढ़ाये जाने से कारों की कमी की स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में इन कारखानों में उत्पादन में अलग-अलग कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) एम्बेसेडर और फीएट कारों का उत्पादन बढ़ रहा है जैसा कि निम्नलिखित उत्पादन आंकड़ों से निर्देशित है :-

कार का नाम	उत्पादन संख्या		
	1966	1967	1968
एम्बेसेडर	19,469	20,515	22607
फीएट	7,030	10,055	12,276

ये कारें निरन्तर अधिक संख्या में उपलब्ध होती जा रही हैं।

(ख) ऐसी सम्भावना है कि 1969-70 में मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड कलकत्ता और मैसर्स प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बम्बई एम्बेसेडर और फीएट कारों का उत्पादन बढ़ाकर क्रमश: 24,000 तथा 14,000 कारें प्रति वर्ष करने वाले हैं।

बानी से चनाखा तक बड़ी लाइन

2466. **श्री देवराव पाटिल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बानी से चनाखा तक प्रस्तावित नई बड़ी लाइन के प्रारम्भिक इंजीनियरी यातायात सर्वेक्षण पर कितनी लागत होने का अनुमान है और 1969-70 के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ख) यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 2.50 लाख रुपये।

(ख) आशा है, सर्वेक्षण-कार्य 31-3-70 तक पूरा हो जायेगा।

इस्पात कारखानों में स्नातक इंजीनियरों की भर्ती

2467. श्री तेन्नेटि विश्वनाथन् : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रत्येक कारखाने यथा दुर्गापुर, रूरकेला, भिलाई और बोकारो (प्रस्तावित) और भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में प्रत्येक वर्ष ट्रेनिंग के लिये कितने स्नातक इंजीनियर (मैकेनिकल) एपरेंटिस के रूप में नियुक्त किये जाते है;

(ख) इन प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यक अर्हतायें क्या है और उनके प्रशिक्षण की अवधि क्या है;

(ग) उनको कितने मूल्य की छात्रवृत्तियां दी गयी है;

(घ) चयन की प्रणाली (परीक्षा अथवा साक्षात्कार) क्या है;

(ङ) 1969 में होने वाली परीक्षाओं/चयन की तिथियां क्या है और ऐसी परीक्षाओं/चयन को किस प्रकार प्रचारित किया जाता है; और

(च) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित इस्पात संयंत्रों में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार देने की कहां तक गुंजाइश है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात कारखानों, बोकारो इस्पात कारखाने और भारी इंजीनियरी निगम, रांची के लिए भर्ती किये जाने वाले स्नातक इंजीनियरों (यान्त्रिक) की संख्या उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है और यह प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होती है ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों और बोकारो कारखाने के लिए अपेक्षित अर्हता यह है कि इंजीनियरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रशिक्षण की अवधि डेढ़ वर्ष है । भारी इंजीनियरी निगम केवल ऐसे स्नातक इंजीनियरों से आवेदन लेता है जिनके अंक 60 प्रतिशत से अधिक होते हैं और प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष है ।

(ग) प्रशिक्षार्थियों का आरम्भिक वेतन 400 रुपये होता है और उस पर जो महंगाई भत्ता हो वह दिया जाता है । उनका वेतन मान 400–950 रुपये है ।

(घ) चयन साक्षात्कार द्वारा किया जाता है ।

(ङ) इन पदों के लिए समूचे भारत वर्ष में विज्ञापन दिये जाते हैं । अगले चयन के बारे में अभी तिथियां निश्चित नहीं की गई है ।

(च) केवल उतने प्रशिक्षार्थी रखे जाते है जितनी मांग होने की प्रत्याशा होती है और वे सभी प्रशिक्षार्थी, जो अपना प्रशिक्षण सन्तोषजनक ढंग से पूरा कर लेते है कारखानों में लगा लिये जाते हैं ।

Shifting of Sonai Halt Station

2468. **Shri Ram Singh Ayarwal** :Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to shift the Sonai Halt Station on the Mathura-Hathras Metre Gauge Line to a place at a distance of one kilometre from the present halt and to convert it into a crossing Station;

(b) whether it is also a fact that the residents of Sonai area and other societies have sent protest notes in this connection to Government directly and also through the Members of Parliament and demanded that the building of the crossing Station should be built at a distance of three furlongs from the present halt;

(c) if so, the action taken by Government thereon;

(d) if no action has been taken, the reasons therefor ; and

(e) whether Government have conducted or propose to conduct a high level enquiry into the suggestions and protest notes sent by the residents of the Sonai area from December, 1968 to February, 1969; if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) **Yes, Sir.**

(b) Representations from the residents of Sonai area and through a Member of Parliament have been received requesting for locating the crossing Station at the same place where the Flag Station exists. Another representation, requesting that the crossing Station should be built at a distance of three furlongs from the present halt, has also been received.

(c) and (d) : As the site for locating the proposed crossing Station at a distance of about 1 kilometre from the existing Sonai halt station towards Raya side has been finalised with the approval of the local public and after examining all technical and other aspects, further examination for siting the crossing Station at a distance of 3 furlongs has not been considered necessary.

(e) No, Sir. No enquiry is considered necessary in view of the reply given to part (c) & (d) of the question.

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था

2469. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सब राज्यों में माध्यमिक स्कूलों में पांचवीं, छटी तथा सातवीं कक्षाओं में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार द्वारा इस योजना को न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) गुजरात में पंचायतों अथवा स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में सभी जातियों के बच्चों को पहली से सातवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। पांचवी, छठी तथा सातवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी अन्य स्कूलों में भी कुछ शर्तों पर मुफ्त शिक्षा पाने के पात्र हैं।

एरणाकुलम से अलवाये तक रेलवे लाइन को दुहरा बनाना

2470. **श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्रीमती सुशिला गोपालन : **श्री पी० पी० एस्थोस :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एरणाकुलम से अलवाये तक रेलवे लाइन को दुहरा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) कार्य के कब पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां।

(ख) 1969-70 में।

(ग) 1972 तक।

दिल्ली में शराब का पकड़ा जाना

2471. **श्री वी० ना० शास्त्री :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के अन्तिम दिन दिल्ली में भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) दिल्ली आबकारी कर्मचारियों द्वारा पिछले वर्ष के अन्तिम दिन 37 बोतल शराब पकड़ी गई थी।

(ख) उसका ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 281/69]**

नव वर्ष के दिन दिल्ली में शराब

2472. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने बनारस में कहा कि नव वर्ष के पूर्व संध्या को तथा नव वर्ष के दिन शराब उपलब्ध नहीं थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान्,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नव वर्ष की पूर्व सन्ध्या के अवसर पर प्रतिरक्षा सेवा केन्टीन में शराब की बिक्री

2473 श्री हरदयाल देवगुण : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन की हिदायतों के बावजूद धोला कुआं, नई दिल्ली की प्रतिरक्षा सेवा अधिकारी केन्टीन में नव वर्ष पूर्व संध्या के अवसर पर सदस्यों को खुले तौर पर शराब बेची गई थी;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा यह मामला केन्टीन अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये सरकार के ध्यान में लाया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Drinking in Pauri Garhwal

2474. Shri Kashi Nath Pandey : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that liquor has become a common drink in the nearby areas of Pauri Garhwal in Uttar Pradesh as a result of which the ladies do not find it safe to go out ;

(b) whether it is also a fact that the drunkards gamble openly and use indecent words which have made the life of the people there miserable ; and

(c) if so, the steps taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt) Phulrenu Guha) : (a) While consumption of liquor has somewhat increased it is not being used as a common drink, nor it is true that it is unsafe for ladies to go out on this account.

(b) There has been no complaint about open gambling or use of indecent words by persons using liquor.

(c) Does not arise.

निर्वाचनों के दौरान मद्य-निषेध कानून

2475. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री प० मु० सईद :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयुक्त ने राज्यों में मध्यावधि चुनाव से कुछ सप्ताह पूर्व मद्य-निषेध कानून लागू करने का अनुरोध राज्य सरकारों से किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने उस सुझाव को स्वीकार किया ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाने का प्रस्ताव है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि मतदान वाले दिन और उस दिन के ठीक पहले वाले दो दिन शराब की बिक्री और प्रदाय पर प्रतिषेध लागू किया जाए।

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुरोध के अनुकूल राज्य सरकारों ने यह कार्यवाही की :—

बिहार—मतदान वाले दिन और उस दिन के पहले वाले दिन शराब की बिक्री बन्द थी।

पंजाब—मतदान वाले दिन और उस दिन के पहले वाले दो दिन शराब की बिक्री बंद थी। शराब के भण्डार रखने पर अधिरोपित निर्बन्धनों का अनुपालन कड़ाई के साथ कराने के लिए भी कदम उठाये गए थे।

उत्तर प्रदेश-मतदान वाले हर एक दिन शराब की बिक्री बन्द थी। शराब के दैनिक भण्डार की मात्रा देशी शराब की चौथाई गैलन वाली चार बोतलों से घटाकर चौथाई गेलन वाली दो बोतल कर दी गई थी।

पश्चिमी बंगाल—मतदान वाले दिन और उस दिन के पहले वाले दिन शराब की बिक्री बन्द थी।

(ग) जी नहीं।

Aid to U. P. For Scheduled Castes/Scheduled Tribes Under Central Works Housing Scheme

2476. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the amount allocated to the Government of U. P. during 1968-69 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under Central Works Housing Scheme;

(b) whether the above amount is less than that given last year ; and

(c) the amount sent by State Government out of the above fund for the development of Pauri Garhwal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao): (a)to(c): There is no 'Central Works Housing Scheme' in the Backward Classes Sector. In 1967-68 and 1 68-69, Rs. 1 00 lakhs and 2.00 lakhs respectively were allotted for the improvement of the living conditions of sweepers and scavengers in U. P. This allocation covers mainly the housing projects for sweepers and scavengers. These allocations are meant to provide housing accommodation to eligible Scheduled Castes, preferably through local bodies, and not for developing tribal areas. There has been no housing project for the Scheduled Tribes in U. P.

पश्चिम बंगाल में पेन्शन बन्द कराना

2477. श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरज भान :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सितम्बर, 1968 से वृद्धावस्था पेन्शन बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनकी पेन्शन बन्द करने के एवज में यदि उन्हें प्रतिकर देने के लिए कोई प्रबन्ध किये गये हैं तो वे क्या हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या किन्हीं अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी बुढ़ापा-पेन्शन देनी बन्द कर दी है ;

(च) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(छ) बुढ़ापा-पेन्शन पाने वालों की कुल कितनी संख्या है तथा उन्हें राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र वार प्रतिवर्ष कुल कितनी पेन्शन दी गई ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वृद्धावस्था पेन्शन को बन्द किये जाने के बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Relinquishing of Office by Ministers before Elections

2478. Shri Molahu Prasad
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government have re-considered the Judgment of Andhra High Court as upheld by the Supreme Court in Dr. M. Channa Reddy's case that "Ministers misuse their positions in Elections, therefore they should relinquish office at least six months before", and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir,

(b) Government do not consider that Ministers should relinquish office before elections.

दिल्ली में भिक्षा वृत्ति रोकना

2479. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन ने कुछ कारगर कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने भिखारियों को लाभप्रद रोजगार देने के लिए उन्हें कार्य, मुफ्त भोजन तथा एक रुपया प्रतिदिन देना स्वीकार किया है ; और

(ग) इस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती)फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) भिखारियों को मुफ्त खाना दिया जाता है, पर भिखारी गृहों से बाहर काम करने पर उन्हें एक रुपया प्रति दिन देने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

(ग) बहुत से भिखारियों को पकड़ लिया गया है, जिससे भिक्षावृत्ति काफी कम होने की आशा है। वृद्ध तथा दुर्बल भिखारियों को पालन पोषण, देखभाल और पुनर्वास के लिए आश्रमों में रखा गया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधि मंडल

2480. श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लक्कप्पा :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग द्वारा गत दो वर्षों में कितने प्रतिनिधि मण्डल विदेशों में भेजे गये ;

(ख) उन प्रतिनिधि मण्डलों ने किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधि मण्डल ने कितनी धनराशि खर्च की ; और

(घ) उनके दौरों के क्या परिणाम निकले ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मुत्यालराव) : (क) तेरह ।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 282/69]**

(घ) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना उपयोगी तथा वांछनीय है ।

चण्डीगढ़ में महिलाओं का अनैतिक व्यापार

2481. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ में महिलाओं के अनैतिक व्यापार ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में हुए ऐसे ही एक मामले में कुछ प्रमुख नेताओं का हाथ था ; और

(ग) क्या जनता का सन्देह दूर करने के लिये इस मामले में कोई जांच की गई है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) : नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक गृहों द्वारा राजनीतिक दलों को दान

2482. श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजनीतिक दल देश में औद्योगिक गृहों से दान ले रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में देश के प्रत्येक ओद्योगिक गृह ने राजनीतिक दलों में से प्रत्येक को कितना धन दिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) कम्पनियों द्वारा, 1966-67 तथा 1967-68 के वर्षों में, अनेक राजनैतिक दलों को दिये गये अंशदानों के ब्यौरे बताता हुआ एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 283/69] औद्योगिक गृहों के बारे में सूचना शीघ्रतः उपलब्ध नहीं है।

Late Arrival of Delhi Allahabad Passenger Train at Moradabad

2483. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the bogey meant for Chandausi attached with Delhi–Allahabad passenger train often remains lying at Moradabad till noon because this train does not reach Moradabad in time ;

(b) whether it is also a fact that the passengers of this bogey who purchase ticket for Chandausi have to go to Chandausi by bus in order to save time and thereby cannot make use of that ticket ;

(c) if so, whether Government have considered some other specific measures in this regard ; and

(d) the number of times this train reached Moradabad late during the last six months, as a result of which this bogey could not be attached with the train going to Chandausi ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (d) : Due to late running of 376 Dn Delhi Allahabad-Passenger, the Delhi Chandausi through service coach could not be attached to the connecting train 2CM Moradabad-Chandausi Passenger on 113 occasions during the six months from August' 68 to Jan' 69. The late running of 376 Dn Passenger is chiefly due to unauthorised alarm chain pulling and frequent failures of communication on account of copper-wire thefts on Ghaziabad-Moradabad section.

Passenger wishing to terminate their rail journey at Moradabad on account of the through coach missing connection with 2CM are entitled to surrender their tickets and claim refund for them,

Every feasible effort is being made to ensure punctual running of 376 Dn Passenger and other trains.

Trains passing from Moradabad to Bareilly via Rampur

2484. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

whether it is a fact that two Mail trains, two Express trains, two alternate day Express trains and one Passenger train pass from Moradabad to Bareilly via Rampur between 7 A. M. and 7 P. M. ;

(b) whether any suggestion has been received to run any one of the trains or train via Chandausi ;

(c) whether it is also a fact that the train from Moradabad to Bareilly via Rampur stops only at Rampur, where as if it passes through Chandausi it will pass through Bilari, Aonla and Chandausi which is an important trading centre ; and

(d) if so, the reasons why no decision has been taken in this connection ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Between 7-00 hours and 21-00 hours, 1 Mail, 1 Express and 2 Passsenger trains reach Bareilly from Moradabad via Rampur.

(b) Yes,

(c) and (d): Of the trains referred to above. 6Dn. Mail is the one that stops only at Rampur. Diversion of this train via Chandausi would involve a considerable increase in the journey time which would not be acceptable to the users of this train. The express (52 Dn. Sealdah Express), stops at 5 stations between Moradabad and Bareilly. Diversion of this fast train via Chandausi is therefore, not desirable. Diversion of one of the two pairs of passenger trains is also not feasible as this would leave only one pair of stopping trains during the entire day on the Moradabad Bareilly section and such a step would greatly inconvenience the present users of these trains.

Creation of Posts of Guards Grade 'C' in Gonda District (N. E. Rly.)

2485. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3158 on the 3rd December, 1968 and state :

(a) the reasons for unnecessary creation of nineteen posts of Guards Grade 'C' in the Zonal office of the North:Eastern Railway District Gonda ; and

(b) the reasons for seeking unnecessary approval of the Headquarters, Gorakhpur by the said Zonal Office ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) : The posts were created as they were justified on the basis of the work-load and the existing yard-stick for creation of posts.

High Power Committee of D. S., s. Office, Lucknow

2486. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 363 on the 12th November, 1968 and state :

(a) the action taken so far on the Report of the High Power Committee of the Office of the Divisional Superintendent, Lucknow ;

(b) the details of action taken ; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No high Powered Committee as such was set up for the Office of the Divisional Superintendent, Lucknow. The one referred to in answar to Unstarred Question No. 363 of 12-11-1968, was appointed to enquire into all aspects of policing on the railways as a whole.

(b) and (c): The various recommendations of the High Powered Committee are curiently under examination and necessary action will be taken after final decision is reached thereon.

Employees in Railway Ministry

2487 Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4033 on the 10th December, 1968 and state the reasons for not giving seniority to the employees of Zonal Railways controlled by Railway Service Commission and Railway Board in accordance with the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 9/45/60- Establishment (D) dated the 20th April, 1961 ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : The Ministry of Home Affairs had issued orders on 20th April, 1961 that ordinarily the order of confirmation should be determined by the position occupied by a candidate in the merit list but where a departure is made from the normal rule and one occupying a lower position is given preference for confirmation such exceptional treatment should be extended to him in the matter of seniority also.

As no out of turn confirmation is made on the Railways, the necessity for adopting the above orders was not felt. The matter is however being reviewed

पश्चिम रेलवे पर बिना टिकट यात्रा

2488. श्री नरेन्द्र सिंह महौड़ा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के बुलसर, सूरत, भड़ौच, बडौदा, आनन्द-अहमदाबाद, दाहोद स्टेशनों पर 1 जनवरी, 1968 से कितने व्यक्ति बिना टिकट पकड़े गये हैं ;

(ख) सरकार ने उनसे जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की है ; और

(ग) जुर्माने की राशि न देने के कारण कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें 1.1.1968 से 31.1.1969 तक की अवधि की सूचना दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 284/69]

Loknathan Committee on Small Scale Industries

2489. Shri Suraj Bhan : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the short term and long-term measures suggested by the Loknathan Committee to increase the production of Small Scale Industries ; and

(b) the action taken in this regard and the results thereof ?

The Minister of Industrial, Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The recommendations of the Lokanathan Committee are not classified under short term or long term measures. The main recommendations relate to extension of liberal credit facilities, liberalisation of the Credit Guarantee Scheme of the Government of India, provision of adequate technical and management consultancy assistance to the small scale sector, marketing counselling service, and setting up of Trade Centres to help small scale industries to market their products in an organised manner, allocation of an equitable share in Government purchases to the small scale sector, formation of special consortia of small scale units to undertake bulk orders from the Government and the public sector undertakings, supply of adequate raw materials which are in short supply, and holding of seminars and study of the future demand pattern of machine tools in the country.

(b) The recommendations are under the consideration of the Government.

Pending Applications for Scooters and Cars

2490. Shri Suraj Bhan : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) the total number of applications for scooters and cars from all over the country pending with the Government at present and when their demand is likely to be met ;- and

(b) when the shortage of scooters and cars was first brought to the notice of the Government and when the Government would be in a position to remove it ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The total number of applications for allotment of scooters and care from the Central Govt. quota pending in the Ministry of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs on 31-12-1968 was as under :-

Scooters	24,000 approximately
Cars	5,500 ..

All the waiting applicants for scooters and cars are likely to get allotment with in the next five years and three years respectively.

(b) The shortage of scooters and cars had come to the notice of Government about ten years ago when orders to control their distribution were issued. In order to meet the shortage, the Government has been assisting the manufacturers to increase their production to the maximum extent possible. As a result the production of both cars and scooters has been steadily going up from year to year. Government have also recently decided to license a new unit for the manufacture of scooters with a capacity of 50,000 Nos. per year. When this unit goes into production and the existing manufactures also reach their maximum production level, the position is expected to ease considerably.

Express Train Between Dhanbad and Patna

2491. **Shri O. P. Tyagi**
Shri Narain Swrup Sharma :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Dhanbad is an important place near Jharia coal mines and Sindri fertilizer Factory ;

(b) whether it is also a fact that the passengers have to face great hardship for want of proper Railway Service between Dhanbad and Patna ;

(c) if so, whether Goverement propose to consider the question of running an express train between Dhanbad and Delhi ; and

(d) if not, reasons therefore ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) (a) : Yes.

(b) It transpires that on an average about 150 tickets per day are sold at stations in Dhanbad are for stations in Patna area. For this quantum of traffic, three through service coaches with a capacity of 210, have been provided, enabling passengers to travel overnight from Dhanbad to Patna and vice versa. It will thus seen that the existing services are both convenient and adequate.

(c) and (d) Apart from two pairs of fast direct services, viz. IUp/2 Dn. Howrah-Kalka Mails and 81 Up/82 Dn. Triweekly A. C. Expresses, running on this route, one composite first and third class through service coach is also running between Dhanbad and Delhi by Nos. 17 Up Express/85 Up Mail and 86 Dn. Mail/18 Dn. Express for the convenience of passengers desirous of travelling between Delhi and Dhanbad. There is no traffic justification for the introduction of an additional train on this route at present.

Through Express Service Between Delhi and Lucknow

2492. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the fact that the passengers have to undergo a great hardship due to non-availability of a through Express Service between Delhi and Lucknow in the morning and the passengers from Delhi are generally held up at Moradabad ;

(b) if so, whether a decision to run express trains in the morning both from Delhi and Lucknow on Delhi-Lucknow route will be taken in view of the difficulties of passengers and importance of traffic on this route ; and

(c) if not, reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. However, convenient connecting day time services are available between Delhi/New Delhi and Lucknow, with a change at Moradabad or Kanpur. Maintenance of the scheduled connection between 56Dn Delhi-Moradabad Express and 52Dn Sealdah-Pathankot Express being generally satisfactory, the question of passengers getting held up at Moradabad should normally not arise.

(b) and (c) Introduction of an additional train between Delhi and Lucknow, is not at present operationally feasible for want of spare line capacity on certain sections enroute and lack of terminal facilities at Lucknow.

अनुसूचित जातियों के लोगों को जलपान गृह आवंटित करना तथा भोजन व्यवस्था का कार्य देना

2493. श्री दा० रा० परमार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को न तो जलपान गृह आवंटित किये जाते हैं न ही भोजन व्यवस्था तथा खोमचे लगाने का कार्य उन्हें सौंपा जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक रेलवे जोन में पृथक-पृथक, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले ऐसे जलपान गृहों तथा भोजन व्यवस्था और खोमचे वालों की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) क्या अस्पृश्यता की बुराई को समाप्त करने के लिये सरकार का विचार कुछ ऐसे संस्थापनों को रक्षित रखने का है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता सलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एन. टी. 285/69]

अहमदाबाद और बड़ोदा के बीच विद्युत चालित गाड़ियों का चलाया जाना

2494. श्री दा० रा० परमार :
श्री रा० को० अमीन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद तथा बड़ोदा के बीच विद्युत चालित गाड़ियां चलाने की एक योजना सितम्बर, 1969 में क्रियान्वित हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) : बम्बई-बड़ौदा साबरमती खण्ड पर बिजली लगाने का काम मंजूर कर दिया गया है, क्षेत्र सम्बन्धी काम शुरू हो गया है तथा बड़ौदा–अहमदाबाद खण्ड पर यह काम 1972 में पूरा हो जाने की संभावना है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मेन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

2895. श्री बाबू राव पटेल :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने मूल्य की कच्ची रंगीन फिल्मों का आयात किया गया और यह किन-किन देशों से आयात की गयीं ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने अभी तक सभी आवश्यक रंगीन फिल्मों का निर्माण आरम्भ नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) कब यह निर्माण आरम्भ करने का इरादा है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने कितने मूल्य के चलचित्र फिल्मों, एक्सरे फिल्मों और अन्य प्रकार के फोटो माल का निर्माण किया और इसी अवधि में वर्ष-वार कितना-कितना वार्षिक लाभ हुआ ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष आयात की गई सिनेमा की रंगीन फिल्मों का मूल्य तथा आयात किये गये देशों के नाम नीचे दिये गये हैं :–

मूल्य हजार रूपये में

क्रम सं०	देश का नाम	अप्रैल–मई 66	जून, 66 मार्च 67	1967–68	1968–69 नवम्बर 68 तक
1.	पूर्वी जर्मनी	3178	250	1692	903
2.	पश्चिम जर्मनी	31	127	468	149
3.	ब्रिटेन	3868	3542	2981	——
4.	अन्य	1620	386	475	297
	योग	8697	4305	5616	1349

अप्रैल–मई 1966 के आंकड़ो में सिनेमा की ब्लैक एण्ड व्हाईट फिल्में भी सम्मिलित हैं क्योंकि रंगीन सिनेमा फिल्मों का जून, 1966 से पूर्व पुनरीक्षित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अलग से वर्गीकरण नहीं किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) रंगीन फिल्मों का निर्माण वर्तमान परियोजना को स्थापित करते समय सहयोग की शर्तों में शामिल नहीं किया गया था।

(घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म इस प्रयोजन के लिए किसी उपयुक्त सहयोगी का चुनाव करने पर विचार कर रही है। आशा है कि वह शीघ्र ही अपने चुनाव को अंतिम रूप देकर रंगीन फिल्में बनाने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर देगी। हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा चौथी योजना की अवधि में रंगीन फिल्मों की परियोजना स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ङ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म में केवल जनवरी, 1967 से उत्पादन प्रारम्भ हुआ है। हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस द्वारा अब तक तैयार की गई सिनेमा फिल्मों एक्सरे फिल्में आदि का मूल्य नीचे दिया गया है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख रू० में)
1966–67	20.37
1967–68	142.25

उत्पादन के पहले दो वर्षों में कोई लाभ नहीं हुआ। कंपनी के 1969–70 में हानि पर न चलने किन्तु लाभ न कमा सकने योग्य हो जाने की आशा है जिसके पश्चात् उपयुक्त लाभ हो स ने की आशा की जा सकती है।

बिना टिकट यात्रा

2496. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिये विद्यार्थियों अथवा अन्य स्वयसेवी संगठनों की सहायता लेने का प्रयोग सफल हुआ है ; और

(ख) क्या विना टिकट यात्रा की बुराई को रोकने के लिये सरकार इस प्रकार की सहायता का व्यापक रूप से लाभ उठाने पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) और (ख) : जी हां।

धनुषकोडी तथा थलाइमनार के बीच रेलवे नौका सेवा

2497. श्री किरूतिनन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जीप-योग्य सड़क को मिलाने के लिये रामेश्वरम रोड से धनुषकोडी तक मजबूत पाया सहित रेलवे भूमि तथा आस्तियां तमिलनाडु राज्य सरकार को सौंप दी गई हैं, क्या रेलवे विभाग का विचार धनुषकोडी और थलाइमनार के बीच रेलवे नौका सेवा को पुनः आरम्भ करने, जैसाकि 23 दिसम्बर, 1964 से पहले थी, तथा मंडप्पम में जो रेलवे समुद्रीय वर्कशाप है उसे और कहीं न हटा कर वहीं पर बनाये रखने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रामेश्वरम तथा धनुषकोडी पाये के बीच यात्रियों की यातायात सुविधायें देने के लिये किसी रेलवाह्य एजेंसी को स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) : (i) फिलहाल घाट-उतराई व्यवस्था फिर से चालू करने का कोई विचार नहीं है ।

(ii) जहां तक मण्डपम के रेल कारखाने का प्रश्न है, इस कारखाने को अपने अधिकार में लेने के सम्बन्ध में तमिल नाडु राज्य को एक प्रस्ताव भेजा गया था । राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और उसके निर्णय की प्रतीक्षा है ।

(ख) धनुषकोडी में आउट एजेन्सी खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

टायरों की कीमतें

2498. श्री स० मो० बनर्जी : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में टायरों की कीमतें अभी भी उनकी वास्तविक कीमतों से अधिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कीमतों को कम करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख) : टायरों और ट्यूबों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 'आवश्यक वस्तु' इस उद्देश्य से घोषित किया गया है कि राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्रशासन उपभोक्ताओं को उचित मूल पर इन का अधिगृहण और वितरण कर सके । इस के अतिरिक्त टायरों और ट्यूबों का 1968 मे उत्पादन इन की सम्भावित मांग से अधिक था । फिर भी टायरों की कई कोटियों के अधिक मूल्य लेने की शिकायतें मिली हैं । परिस्थिति से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने टायर निर्माताओं को टायरों और विशेषकर उन टायरों के जिन की कमी रहती है उत्पादन बढ़ाने का परामर्श दिया है इस प्रयोजन के लिए सरकार इन के सांचे तथा सन्तुलन उपकरणों, के आयात के मामले में भी सहायता कर रही है । इसके अतिरिक्त स्कूटरों ट्रकों, बसों और ट्रैक्टरों के टायरों के आयात की अनुमति से इन के मूल्यों की स्थिरता पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । दीर्घकालीन अभ्युपाय के रूप में सरकार ने 14.5 लाख मोटरगाड़ी टायरों की अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति भी दी है ।

मशीनी औजारों के और कारखाने लगाना

2499. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में नये मशीनी औजार कारखानों के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो स्थानों के चयन के आधार के साथ उनका ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितना व्यय करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरूद्दीन अली अहमद) (क) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अभी बनाई जा रही है और इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि विभिन्न राज्यों में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में मशीनी औजारों का कोई नया कारखाना स्थापित किया जायेगा। फिर भी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में मशीनों औजारों के एककों में पर्याप्त मात्रा में अप्रयुक्त क्षमता को देखते हुए चतुर्थ याजना के प्रथम दो वर्षों में किसी नए एकक की गुंजाइश नहीं है।

(ख) तथा (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का विस्तार

2500. श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के विस्तार के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरूद्दीन अली अहमद) (क) : चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इसका ब्यौरा अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास

2501. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 की अवधि में आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में क्या प्रगति हुई ;

(ख) उक्त अवधि में उद्योगों के विकास, स्थापित उद्योगों के विस्तार तथा पुराने उद्योगों के नवीकरण के बारे में स्थिति का विस्तृत ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कुल कितने धन का उपयोग किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधिमंडल

2502. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री क० लकप्पा :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा गत दो वर्षों में कितने प्रतिनिधिमंडल विदेशों को भेजे गये ;

(ख) उन प्रतिनिधिमंडलों ने किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल ने कितना-कितना व्यय किया ; और

(घ) उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुआ ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) : वर्ष 1967-68 और 1968-69 में इस मंत्रालय द्वारा केवल एक ही शिष्ट मडल यू० के० और सोवियत रूस को अक्तूबर 1967 में भेजा गया था ।

(ग) 25,829 रूपये ।

(घ) यू० के० में शिष्ट मंडल ने वहां के राष्ट्रीयकृत इस्पात उद्योग के गठन का अध्ययन किया था जिससे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धात्मक ढांचे के पुनर्गठन की योजना बनाने में सहायता मिली । इसकी घोषणा इस्पात मंत्री के 20 मार्च, 1968 के वक्तव्य में की गई है । दुर्गापुर इस्पात कारखाने की समस्याओं के बारे में भी ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन से परामर्श किया गया था जिसके परिणाम-स्वरूप कारपोरेशन ने इस कारखाने की कार्य-कुशलता बढ़ाने और उत्पादन को उच्चतम सीमा तक पहुंचाने के लिए कारखाने की आवश्यकताओं का पता लगाने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ दल भारत भेजा था ।

मास्को में एक दिन के लिए रूकने पर शिष्ट मडल ने सोवियत सरकार के प्राधिकारियों से भिलाई इस्पात कारखाने की कठिनाइयों को दूर करने के प्रश्न पर तथा उत्पादन में विविधता लाने के बारे में विचार-विमर्श किया था । यह निश्चय किया गया कि इस काम के लिए रूस से एक दल भारत आयेगा । सोवियत सरकार भारत से कुछ रेल की पटरी और सरचनात्मक खरीदने पर भी राजी हो गई । सोवियत सरकार बोकारो इस्पात कारखाने के लिए कार्यकारी नक्शों के शीघ्र सप्लाई करने और सोवियत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति में शीघ्रता करने के लिए भी राजी हो गई ।

बांसपानी रेलवे साईडिंग का जोरूरी तक विस्तार

2503. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्योंझर (उड़ीसा) में बांसपानी रेलवे साईडिंग के जोरूरी तक विस्तार के बारे में खनिज तथा धातु व्यापार निगम से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) इसमें शीघ्रता न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। बांसपानी से जोरूरी तक 5 मील लम्बी लाइन के विस्तार के लिए 274 लाख रूपये और बिजली लगाने की लागत के 20 लाख रूपये का एक अनुमान दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम को जून, 1967 में दिया था। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस विषय पर आगे कार्रवाई नहीं की।

(ख) और (ग): सवाल नहीं उठता।

रेलवे में पदों के वेतनमानों में संशोधन तथा पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

2504. श्री किरूतिनन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन किया गया है और उनके पदों का दर्जा बढ़ाया गया है और उन अधिकारियों को भी संरक्षण दी गयी है जिन्होंने अभी तीन वर्ष की सेवा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलगाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारियों, स्टेशन मास्टरों, गैंग-मैनों आदि जैसे एक ही पद पर काफी समय से कार्य करने वाले तीसरी तथा चौथी श्रेणी के सभी वर्गों के कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार के संरक्षण दिये जायेंगे और उनके वेतनमानों में संशोधन और पदों का दर्जा बढ़ाया जायेगा और उन्हें सान्त्वना वेतन-वृद्धि दी जायेगी ; और

(ग) क्या अनिर्णीत मामलों पर भी फिर से विचार किया जायेगा और भूतपूर्व दक्षिण भारतीय रेलवे के पुनः पदनामित ट्रेसरों को ड्राफ्टमैन के वर्ग में उनकी मूल भर्ती की वरिष्ठता दी जायेगी तथा 1.1.47 से केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन मान में उनका वेतन निश्चित किया जायेगा और उन्हें उसके फलस्वरूप होने वाले लाभ तथा वेतन की बकाया राशि आदि भी मिलेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अधिकारियों के वेतनमानों में हाल में कोई संशोधन नहीं किया गया है। फिर भी पहली श्रेणी के कुछ पदों का जो कार्यभार और उत्तर-दायित्व बढ गया है, उसको ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय किया गया कि वरिष्ठ वेतन-मान के 148 पदों को कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड में और कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड के 106 पदों को मध्यवर्ती प्रशासी ग्रेड में प्रवर्तित किया जाये। निर्माण संवर्ग में कमी के कारण वरिष्ठ वेतन-मान में स्थानापन्न रूप से काम कर रहे कई अस्थायी अधिकारियों और श्रेणी II के अधिका-रियों के परावर्तित होने की संभावना थी। यह विनिश्चय किया गया है कि जो अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में तीन वर्ष से अधिक समय तक काम कर चुके हैं उन्हें परावर्तित होने से बचाया जायेगा।

(ख) और (ग): वेतनमानों में कोई संशोधन करने का विचार नहीं है। रनिंग कर्मचारियों की परिलब्धियों के प्रश्न पर विचार किया गया था और 1.12.1968 से रनिंग भत्तों की दरों में काफी वृद्धि की गयी है। गाड़ी चालन के काम में सुधार के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी विचाराधीन है। तीसरी श्रेणी के जो कर्मचारी कुछ समय से अपने वेतनमानों के अधिकतम पर हैं, उनसे राहत दिये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं। स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ उपाय करने के उद्देश्य से इस मामले की भी सक्रिय जांच की जा रही है।

बरौनी से कटिहार तक बड़ी रेलवे लाइन

2505. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी से कटिहार (पूर्वोत्तर रेलवे) तक प्रस्तावित बड़ी लाइन का सर्वेक्षण मुख्य इंजीनियर (प्रभारी बड़ी लाइन) द्वारा शीघ्र शुरू किये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय हित के कुछ महत्वपूर्ण कारणों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता दिये जाने का विचार है ; और

(घ) बड़ी लाइने बिछानें का वास्तविक कार्य कब शुरू होगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) : बरौनी–कटिहार मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षणों की मंजूरी शीघ्र देने का प्रस्ताव है ये सर्वेक्षण एक इंजीनियर–प्रमुख (सर्वेक्षण) के अधीन किये जायेंगे और यह काम 1969–70 के वित्तीय वर्ष के चालू होने के शीघ्र बाद शुरू होगा और लगभग 12 महीनें की अवधि में पूरा होगा।

(ग) और (घ): उपर्युक्त सर्वेक्षणों के परिणामों का पता चलने के बाद बरौनी-कटिहार मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में निर्णय किया जायेगा।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय के अधिकारियों की सेवा का विस्तार

2506. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में 58 वर्ष के हो जाने पर सेवा निवृत्त हो जाने वाले उनके मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों की सेवा की अवधि बढ़ाई गई है ;

(ख) उनके मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर 1968 में पुनः नियुक्त किया गया था ;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या है ; और

(घ) उनके सेवाकाल बढ़ाये जाने अथवा पुनर्नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एक ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) श्री बी० बी० दत्त, लोहा और इस्पात सहायक नियंत्रक (प्रथम श्रेणी), लोहा और इस्पात नियंत्रक का क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद ।

(घ) जिस अफसर को उनसे कार्यभार लेना था वह अचानक ही छुट्टी पर चला गया और इतने कम समय में कोई दूसरा प्रबन्ध नहीं किया जा सका । थोड़े ही दिनों में यह कार्य आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक को ट्रांसफर किया जाना था ।

दक्षिण रेलवे में रेलवे कर्मचारियों के लिये आर्ट कालेज

2507. श्री किरूतिनन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के रेलवे कर्मचारियों को जिनका बार-बार स्थानान्तरण होता है, स्थानीय आर्ट कालेजों में अपने बच्चों के लिये दाखिला लेने में कठिनाई होती है;

(ख) क्या रेलवे कर्मचारियों की सहायता के लिये कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर आर्ट कालेज आरम्भ करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दक्षिण रेलवे में पेरम्बूर, गोल्डन राक तथा पोडानूर रेलवे बस्तियों में आर्ट कालेज आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) आर्ट कालेजों में दाखिला लेने में कठिनाइयों के सम्बन्ध में उन रेल कर्मचारियों से, जिनका स्थानान्तरण होता रहता है, कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे भोजन व्यवस्था

2508. श्री स० चं० सामन्त : श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री यशपाल सिंह : श्री को० सूर्यनारायण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे भोजन व्यवस्था द्वारा परोसे जाने वाले भोजन की किस्म का स्तर बहुत गिर गया है यद्यपि भोजन के मूल्य प्रायः दुगुने हो गये हैं ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि रेलवे में यात्रियों की रूचि के अनुसार शुद्ध तथा अच्छे भोजन की व्यवस्था हो ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जब कभी बहुत जरूरी समझा गया, खाने और उपाहार की दरों में वृद्धि की गयी ताकि कच्चे सामान की बढ़ती हुई कीमतों और कर्मचारियों की बढ़ती हुई लागत के कारण नुकसान न हो। इस बात को देखते हुए कि 1967 की तुलना में 1968 में खान-पान स्थापना के सम्बन्ध में शिकायतों की सख्या में कमी हुई, यह पता चलता है कि स्तर में गिरावट नहीं आयी है। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

(ख) रेलवे खान-पान व्यवस्था में खाद्य पदार्थ की किस्म और सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए नीचे लिखे उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) अच्छे स्तर के कच्चे सामान की खरीद और सप्लाई के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण को मजबूत करना, सामान तैयार करने के लिए उपयुक्त अनुसूचियां बनाना सक्षम रसोइयों की भर्ती और रेलवे की खान-पान व्यवस्था में खान-पान कर्मचारियों को पाक कला का प्रशिक्षण देना ;

(ii) सभी खान-पान व्यवस्थाओं में निरीक्षण का काम तेज करना।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने को हानि

2509. **श्री समर गुह :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर इस्पात कारखाने को इस वर्ष भी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो लगातार ऐसी हानि के क्या कारण हैं और उसकी स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर इस्पात कारखाने को इस वर्ष भी हानि होगी।

(ख) हानि मुख्यत: उत्पादन कम होने से होगी जिसके कारण निम्नलिखित है :—

(1) श्रमिक झगड़े।

(2) कोक ओवन बेटरी नं० 1 का विभंग और

(3) ब्लूमिंग मिल में वी० आई० सी० क्रेनों की कमी और वर्तमान वी० आई० सी० क्रेनों में से एक क्रेन का खराब हो जाना।

आवश्यक मरम्मतों और संधारण कार्यों के शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं। ऐसी संभवना है कि 1969 के अन्त तक एक वी० आई० सी० क्रेन की मरम्मत हो जायेगी और उससे काम लिया जा सकेगा और 1970-71 तक एक और क्रेन

प्राप्त कर ली जायगी । आशा है कि कोक ओवन बैटरी नं० 1 के पुनर्निमाण के लिए शीघ्र ही ठेका दे दिया जायेगा । निम्हावन समिति, पाण्डे समिति आदि तकनीकी समितियों की सिफारिशें क्रियान्वित की जा रही है । राज्य सरकार से कहा जा रहा है कि वह किसी एक मजदूर सघ को मान्यता दिये जाने के बारे में अपनी सिफारिशें शीघ्र दे दे ।

Production of Tractors

2510. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state ;

(a) whether the production of new projects to be set up in private and public sectors during the Fourth Five Year plan has been included in the estimated production of 50,000 tractors and whether the demand is expected to rise to 90,000 tractors by 1963-74;

(b) whether it is also a fact that Government are not able to meet the total demands of tractors by 1973-74 ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The production of tractors by 1973-74 has been assessed as 50,000 Nos. per annum. This takes into account the likely production by the new units which may be set up during the Fourth Five Year Plan. The Working Group on Agricultural Machinery has assessed the demand for tractors by 1973-74 at 68,000 Nos. The Department of Agriculture have, however, estimated it at 90,000 Nos. per annum.

(b) and (c) The Government is trying its best to increase the internal production, not only by the existing units, but also through the establishment of new tractor projects, both in the private and public sector. It, however, takes some time before the new projects are established and go into regular production. In view of this, there may be some unfilled gap between the estimated demand and the indigenous production even by the end of 1973-74.

रेलवे कर्मचारियों के लिये होस्टल

2511. श्री किरुतिनन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों के उन डिवीजनल मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां पर रेलवे कर्मचारियों के लिये होस्टल और खेलकूद स्टेडियम की व्यवस्था है और जहां पर इनकी व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) क्या 1969-70 के निर्माण कार्यक्रम में शेष स्टेशनों पर भी उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चुरू-फतेहपुर सेक्शन में यात्री तथा माल यातायात

2512. डा० कर्णी सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) पश्चिम रेलवे के चुरू–फतेहपुर सेक्शन में यात्री तथा माल यातायात की स्फीत (इन्फलेटेड) दर लिये जाने के क्या कारण हैं तथा यह दर कितने समय से लागू हैं ;

(ख) मूलतः स्फीत दर का प्रतिशत क्या था और इस समय क्या है ; और

(ग) इस कठिनाई को कब तक पूरी तरह दूर करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दूरी बढ़ा कर किराये और भाड़े की दरें लगाने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि यह देखा गया कि बिना इस तरह दूरी बढ़ाये इस लाइन का वित्तीय औचित्य नहीं बनता। दूरी बढ़ाने की प्रक्रिया 1957 में इस लाइन के खोले जाने के समय से ही लागू है।

(ख) शुरू में सभी प्रकार के यातायात के लिए दूरी बढ़ाने की दर सौ प्रतिशत थी। 1.6.1968 से यात्रियों और सामान के लिए दूरी बढ़ाने की दर घटाकर पचास प्रतिशत कर दी गयी।

(ग) यह बात इस लाइन के संचालन से सम्बन्धित वित्तीय परिणामों पर निर्भर करेगी। समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये प्रोत्साहन योजना

2513. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के प्रशासनिक कर्मचारी कालेज के परामर्शदातृ गुट के पथ-प्रदर्शन में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये प्रोत्साहन योजना का अध्ययन पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने योजना को लागू करने का निर्णय किया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड

2514 **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि बोर्ड के आदेशानुसार श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड की खाता पुस्तकों और आय सम्बन्ध पत्रों का निरीक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अनियमितताएं पायी गयीं ;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) : हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ): रिपोर्ट अभी तक परीक्षान्तर्गत है ।

अखिल भारतीय गार्ड परिषद की आसनसोल शाखा से अभ्यावेदन

2515. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय गार्ड परिषद् की आसनसोल शाखा से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें, उनकी जान को खतरा सहित, उन विभिन्न कठिन परिस्थितियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है जिनके अन्तर्गत रेल गार्डों, विशेषरूप से पूर्व रेलवे में माल गाड़ियों के साथ जाने वाले गार्ड अपना कर्त्तव्य का पालन करते हैं, जिन पर गुण्डों द्वारा कभी कभी आक्रमण किया जाता है, उन्हें भीषण परिणाम की धमकी दी जाती है और जब इन गुण्डों को वह वस्तु नहीं मिलती है जो वे माल गाड़ी से लूटना चाहते हैं तो वे गार्डों का निजी सामान लूट ले जाते हैं;

(ख) प्रार्थियों ने उपर्युक्त खतरों से सुरक्षा की व्यवस्था करने की प्रार्थना की है;

(ग) यदि हां, तो उन की शिकायतों के बारे में पूरे तथ्य क्या हैं; और

(घ) यदि उनकी प्रार्थना पर कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ?

रेलवे मन्त्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) आसनसोल मण्डल की अखिल भारतीय गार्ड परिषद् (अण्डाल शाखा) के 21 मार्च, 1968 के अभ्यावेदन में प्रार्थियों ने कुछ ऐसी घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया था जिनमें सियालदह मण्डल में डमडम और के० पी० डाक्स के बीच गाड़ी परिचालन के दौरान गार्डों को जान का जोखिम उठाना पड़ा था । यह भी कहा गया था कि बदमाश कीमती माल वाले माल डिब्बों को रास्ते में काट लेते थे । बताया गया था कि पिछले दो वर्षों की अवधि में छुरेबाजी, लूट आदि की घटनाएं हुई हैं । सुरक्षा के उपाय के रूप में उन्होंने उस खंड पर गाड़ियों के परिचालन के दौरान सशस्त्र पहरे की व्यवस्था करने की प्रार्थना की थी ।

(घ) कुछ समय के लिए रात के 21.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों ने गश्त का काम तेज कर दिया गया था । सरल रेलवे पुलिस की भी सहायता ली गई थी । चूंकि स्थिति नियंत्रण में आ गयी इसलिए गश्त लगाना बंद कर दिया गया । हाल में कोई घटना भी नहीं हुई ।

उद्योगों पर नियंत्रण

2516. श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री सीताराम केसरी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बलराज मधोक :
श्री अडिचन :
श्री रणजीत सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ उद्योगों पर नियत्रण उदार बनाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किन उद्योगों को लाभ होगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : योजना आयोग ने अपने "एप्रोच टू दि फोर्थ फाइव इयर प्लान" शीर्षक पत्र में इस बात का सुझाव दिया है कि ऐसे उद्योग जिन्हें विदेशी मुद्रा की केवल सीमांत आवश्यकता हो तथा ऐसे उद्योग जिन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न हो, को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया जाये । इस सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत ही सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा ।

इंजीनियरी उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता

2518. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण इन्जीनियरी उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता के एक बड़े अंश का उपयोग नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसको पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अस्पृश्यता

2519. **श्री रणजीत सिंह** :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में अभी भी अस्पृश्यता विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मुल्यालराव): (क) तथा (ख) : यह बुराई सदियों से विद्यमान है और उसे बीस या तीस सालों में दूर नहीं किया जा

सकता । तो भी, शहरी क्षेत्रों में यह प्रथा समाप्त हो गई है, तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इक्के दुक्के मामले होते रहते हैं ।

(ग) कानूनी उपायों, प्रचार तथा अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा इस समस्या से निपटा जा रहा है । चतुर्थ योजना के अधीन इन उपायों को बढ़ाया जा रहा है ।

ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के विशेषज्ञों के दल का प्रतिवेदन

2520. **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री पी० राममूर्ति

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री 26 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2162 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में ब्रिटिश कारपोरेशन के विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस पर कब तक विचार कर लिया जायेगा; और

(ङ.) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ.) : दुर्गापुर इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में ब्रिटिश इस्पात निगम के प्रतिनिधि-मंडल की रिपोर्ट की जांच कर ली गई है लेकिन सरकार का विचार है कि रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व ब्रिटिश अधिकारियों से निकट भविष्य में विचार-विमर्श किया जाय ।

विदेशी सहयोग

2521. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके पिछली बार के इस वक्तव्य के बाद से कि विदेशी सहयोगों सम्बन्धी आवेदनों को तीन महीनों के समय में निपटा दिया जायेगा विदेशी सहयोगियों ने कितनी रुचि प्रदर्शित की है:

(ख) उनके गत वक्तव्य के समय से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से कितने आवेदन पत्रों को निपटा दिया गया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : वैदेशिक विनियोजन बोर्ड 10 दिसम्बर, 1968 को गठित किया गया। तब से वैदेशिक सहयोग के 17 प्रस्ताव बोर्ड के सचिवालय को प्राप्त हुए हैं। पन्द्रह प्रस्ताव- आयुर्विज्ञान की सहायक वस्तुएं, बिटुमनी पर आधारित उत्पाद, कृषि तथा रबर के रसायन, बढ़ाए जाने वाले लाइफरैफ्ट, डक फैंदर का डाउन और डी डाउन रूप में अभिसंस्कार करना, स्त्रियों के अन्तर्वस्त्र प्लास्टिक एक्सट्रूजन, संश्लेषित तन्तु और बुथर्द तन्तु (फिलामेंट) का सम्पूर्ण संयंत्र, मार्ग मरम्मत मशीनें, मोटर पावर टेक आफ प्रिमिजन सरफेस प्लेटें, छोटे शस्त्र तथा वायुसेना के अस्त्र, प्रीपेग तथा प्रेमिक्स, विद्युत चालित पम्प, बोइलर (तापक) भारी ढांचे। और क्रेनों उत्पादन के प्राप्त हुए हैं। शेष दो प्रस्तावों में से एक बन्दरगाहों में टेन्कटरमीनल् बनाने से सम्बन्धित है तथा दूसरा भूमिगत जलस्तरों का लाभ उठाने से संबन्धित है इन प्रस्तावों में से एक को निपटा दिया गया है।

बोकारो इस्पात परियोजना को उपकरणों के सम्भरण में विलम्ब

2524. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन बोकारो इस्पात परियोजना की धमन भट्टी के निर्माण के लिये कनवेयर और अन्य अनेक उपकरण तथा इस परियोजना के लिये अन्य अपेक्षित कच्चे माल की सप्लाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार करने के लिये कोई त्वरित कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : बोकारो स्टील लिमिटेड ने 10,485 टन कनवेयर उपकरणों, प्रोद्योगिक संरचनात्मकों और अन्य विविध उपकरणों की आपूर्ति के लिए माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को सीधे आर्डर दिये हैं। उपर्युक्त साज-सामान के प्रदान कार्यक्रम के बारे में बोकारो स्टील लिमिटेड और माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के बीच सविस्तार बातचीत चलती रही और यह बातचीत केवल हाल ही में पूरी हुई है। दिसम्बर 1968 में दोनों कम्पनियों के बीच एक करार हुआ है। माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन पूरी कोशिश कर रही है कि माल की आपूर्ति बोकारो स्टील लिमिटेड के साथ अब निश्चित की गई तिथियों के बाद न हो। बोकारो के लिए उपर्युक्त माल हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड की मार्फत माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन से नहीं लिया जा रहा है।

माल डिब्बों का गुम होना

2525. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या रेलवे मन्त्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन माल डिब्बों के बारे में जो वास्तव में गुम हो गये थे, उत्तरदायित्व निश्चित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री डा० (राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जिन 190 माल डिब्बों का ब्यौरा बिजली घरों द्वारा दिया गया था उनमें से 86 माल डिब्बों के बारे में कोई जांच नहीं की जा सकी क्योंकि उनमे सम्बन्धित रिकार्ड अब उपलब्ध नहीं है।

शेश 104 डिब्बों का जो कुछ हुआ उसका पता लगाया जा चुका है। यह पता चला है कि वास्तव में केवल 6 माल डिब्बा भार ही गुम हुए थे। इन 6 माल डिब्बों में से 4 माल डिब्बे गाड़ी के पटरी से उतर जाने की एक दुर्घटना में ग्रस्त हो गये थे। इन डिब्बों में लदा हुआ माल चकना-चूर हो गया और चारों ओर बिखर गया और क्षतिग्रस्त रेल पथ की बहाली के काम में लाया गया। जांच समिति ने इस दुर्घटना के लिए ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया था लेकिन ड्राइवर दुर्घटना में मारा गया था। दो अन्य माल डिब्बे गलत स्थानों को भेज दिये गये थे लेकिन वे खोजे नहीं जा सके। इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है।

M/s Sahu Jain and Jessop and Company Ltd.

2526. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) the time by which the Arbitrator is likely to give his decision regarding the shares of M/s. Sahu Jain and Jessop and Company Limited Calcutta; and

(b) the amount of expenditure incurred so far by the Government on the Arbitrator in this connection ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company (Shri F. A. Ahmed) : It is presumed that Hon. Member is seeking information regarding arbitration on the question of price of the shares in Jessop & Company Limited, Calcutta, purchased by Government from M/s Sahu Jain Limited and others The reply to the question is as follows:--

(a) Judging from the progress made so far, the Arbitrator is likely to give his award by the end of April, 1969.

(b) Government have so far spent Rs. 2,59,503 since the commencement of arbitration proceedings, as their share of expenses on account of remuneration for the Arbitrator salaries for his staff, travelling, rent for the office, purchase or hire of office equipment, furniture, etc. and other miscellaneous expenses.

Attack on Bogey in which Public Relations Officer of Government of Ceylon was Travelling

2527. **Shri Bharat Singh Chauhan**
Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by the Public Relations Officer of the Tourist Department of Government of Ceylon,

Shri C. M Ismail, published in the daily 'Hindustan' dated the 2nd January, 1969, that his bogey was attacked in Bombay and that he was charged scavenging charges also;

(b) if so, whether an inquiry has been made into the charges; and

(c) if so, the facts of the case and the action taken by Government in this connection ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) and (c): According to report received from Central Railway two third Class Tourist Cars, which were requisitioned by Lanka Bharat Travels and Bharat Sancharaka Vandana Samiti, arrived from Madras in Bombay in December, 1968 and left for Agra on way to Sarnath according to the schedule given by the parties. No complaint was made either at Bombay or at Agra regarding attack or demand for tips for scavenging the carriages.

Filing of Nomination Papers by rebel Nagas for Elections in Nagaland

2528. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shrimati Rano Shiza niece of Rebal Naga leader Shri Z. A. Phizo had filed her nomination papers from Angami Constituency of the Legislative Assembly; and

(b) the number of rebal nagas, their rela ives and their sympathisers who have filed their nomination papers as per information collected by the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem): (a) Shrimati Rano Shaiza niece of Naga Leader Shri A. Z Phizo, filed her nomination papers from the Western Angami Constituency.

(b) The candidates belonged either to the ruling Naga Nationalists Organisation or the opposition United Front of Nagaland, or were independents. Since they took an oath of allegiance to the Constitution at the time of filing their papers, it would not be correct to classify any of them as rebel Nagas or their sympathisers

गांधी स्मारक निधि द्वारा मद्यनिषेध दिवस मनाया जाना

2529. **श्री बलराज मधोक :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी स्मारक निधि ने 2 फरवरी, 1969 को समूचे भारत में मद्यनिषेध दिवस मनाया था ;

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) मद्यनिषेध को सफल बनाने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) : मद्यनिषेध राज्य विषय है और इसलिये मद्यनिषेध कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । भारत सरकार स्वयं संविधान में दी गई नीति का पालन करती है ।

More Industrial Estates in Uttar Pradesh

2530. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to set up certain new industrial estates in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the places where these Industrial Estates would be set up ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) to (c) : The Government of Uttar Pradesh proposes to set up two new Industrial Estates during the Fourth Five Year Plan. These Estates will be at Kalyanpur and Rania in Kanpur District. In these Estates, only developed plots will be provided without any built up factory sheds.

कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का निर्वाचन प्रतीक

2531. **श्री समर गुह** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग के निर्वाचन प्रतीक के बारे में 20 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 363 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दिया गया "हथौड़ा हंसिया और सितारे" वाला प्रतीक अनेक साम्यवादी देशों के राज्य प्रतीक जैसा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का यह प्रतीक किसी बाहरी देश के प्रती उसकी भक्ति का द्योतक है; और

(ग) जिस आधार पर प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग को "चांद तारा" का प्रतीक देने से इंकार कर दिया गया है, उसी आधार पर भारत के एक राजनीतिक दल को "हथौडा-हसिया और सितारे" के प्रतीक का, जिसमें बाहरी देश का राजनीतिक अधिकार चिह्न उपस्थित है, उपयोग करने देने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम): (क) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को, जो पिछले निर्वाचनों में अपनी सफलता के आधार पर एक राष्ट्रीय दल है, 1964 में आवंटित किया गया "हथौड़ा-हसिया और सितारा" वाला प्रतीक कुछ साम्यवादी देशों के राज्य प्रतीकों से बहुत मिलता जुलता है ।

(ख) राजनीतिक दलों को आवंटित प्रतीकों का एकमात्र आशय यह है कि निरक्षर मतदाताओं को अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके समीप मत पत्र पर चिह्न

लगाकर अपना मत डालने में सहायता मिले और उनका काम यह प्रकट करना नहीं है कि उन दलों का आधार अन्य देशों के प्रति भक्ति है या नहीं।

(ग) प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है। निर्वाचन आयोग के पास इसका एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण मात्र हुआ है, इसलिये वह इस बात के लिए न तो पात्र है और न हकदार है कि निर्वाचनों में अपने उपयोग के लिये कोई प्रतीक आरक्षित कराएं। अतः इस दल के लिये कोई विशिष्ट प्रतीक देने से इंकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालयों में फालतू कर्मचारी

2532. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या रेलवे मंत्री अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालयों में फालतू कर्मचारियों के बारे में 17 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके कब तक एकत्रित कर लिये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। सूचना अनुबन्ध 'क' पर रिखे विवरण में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 286/69]

(ख) सवाल नहीं उठता।

भारतीय रेलवे के लेखा विभाग में पदोन्नतियां

2533. **श्री प० गोपालन :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री भारतीय रेलवे के लेखा विभाग में पदोन्नति के बारे में 3 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मामले में इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस पर कब तक निर्णय किये जाने की समावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां, यह निर्णय किया गया है कि पदोन्नतियां 1.4.1968 से प्रभावी हों न कि इससे पहले की किसी तारीख से।

(ख) सवाल नहीं उठता।

क्लिक सार्थ समूह

2534 **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को क्लिक सार्थ समूह को कपाड़िया ब्रदर्स द्वारा अधिकार में लिये जाने के बारे में किसी सूत्र से कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो वह अभ्यावेदन क्या है;

(ग) क्या इस अभ्यावेदन में उठाये गए प्रश्नों के बारे में सरकार ने कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ) सरकार को, इस विषय में संसद के एक सदस्य से एक संसूचना प्राप्त हुई है। उसमें उठाये गये विषयों पर जांच पड़तालें की जा रही है।

Pyrotenax India Ltd., Bombay

2535. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the date on which the pyrotenax India Limited, Bombay, applied for a licence and when it started functioning;

(b) the terms and conditions in regard to the setting up of this company and the nature of articles being produced by it; and

(c) its total production since its inception ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

कंपेसिटरों का निर्माण

2536. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केवल उद्योग ने सरकार को यह कहा है कि उसके पास कैपेसिटरों का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त क्षमता है और वह टाटा जल-विद्युत् कम्पनियों की उच्च वोल्टता वाले कैपेसिटरों की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार किन कारणों से कैपेसिटरों के आयात पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाती है;

(ग) सरकार के टाटा जल-बिद्युत कम्पनियों को उच्च वोल्टता वाले कैपेसिटर आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगी ताकि केवल उद्योग की कैपेसिटरों के निर्माण की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सके और अनावश्यक आयात न किये जायें ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) समूचे केवल उद्योग के पास से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी मैसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड ने जिन्हें कैपेसिटर बनाने का लाइसेंस प्राप्त है, यह अभ्यावेदन किया था कि उन के संयंत्र में अप्रयुक्त क्षमता है और उन के लिये मेसर्स टाटा जल-विद्युत कम्पनी की आवश्यकतायें पूरी कर सकना संभव है।

(ख) 11 के० बी० तक के कैपेसिटरों का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती। इससे अधिक क्षमता के कैपेसिटरों का आयात करने की अनुमति है क्योंकि देश में जितनी उन की आवश्यकता है उतनी क्षमता का विकास अभी नहीं हो सका है।

(ग) टाटा जल विद्युत कम्पनी, बम्बई ने बम्बई क्षेत्र में लगाने के लिये 22 के०बी० तक के 100 एम०वी०ए० आर० पावर कैपेसिटरों का आयात करने का प्रस्ताव किया था जहां भार अधिक बढ़ जाने के कारण बड़ी जल्दी-जल्दी बिजली चली जाया करती थी। सभी पहलुओं विशेष रूप से तात्कालिक आवश्यकताओं तथा देश में निर्मित कैपेसिटरों के दिये जाने की अवधि को ध्यान में रखते हुए उन के निवेदन पर बड़ी सावधानी से विचार किया गया था। तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह निश्चय किया गया था कि उन की अपेक्षित संख्या में से आधे के लिये आयात की अनुमति दे दी जाए तथा शेष देश के अन्दर पूरी की जा रही है।

(घ) मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड को छोड़कर केबल उद्योग के पास कैपेसिटर बनाने की कुछ भी क्षमता इस समय नहीं है, किन्तु उस का अभी अपेक्षित परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। जब तक ये परीक्षण पूरे नहीं हो जाते तब तक इस संयंत्र के उत्पादों की स्वीकृति पर आग्रह करना कठिन होगा।

Associated Bearing Co. Ltd., Bombay

2537. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state:

(a) the date on which the Associated Bearing Company Limited, Bombay, applied for a licence and when it started functioning;

(b) the conditions on which this concern was to function and the type of production work done by it; and

(c) the extent of production by this concern since its inception ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c): A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See. No. LT- 287/69]

केरल के कोट्टयम में बीयर का कारखाना

2538. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री अनिरुद्धन :
श्री के० सूर्य नारायण :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल में कोट्टयम में 'बीयर' बनाने का कारखाना स्थापित होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम जर्मनी के सहयोग से गैर–सरकारी क्षेत्र में इसको स्थापित किया जा रहा है;

(ग) कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ): केरल में बीयर उत्पादन एककों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तीन आवेदन पत्र निम्नलिखित पार्टियों से प्राप्त हुए हैं:–

		एकक का स्थान
1.	श्री वी० एन० रामचन्द्रन	जिला पालघाट
2.	मेसर्स बुअरीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड कोहायम ।	तहसील पीरमेड जिला कोहायम
3.	श्री टी० आर० राघवन त्रिचुर	जिला त्रिचूर

इन तीन पार्टियों में से मैसर्स बुअरीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ने गैर-सरकारी क्षेत्र में कुट्टी कुनम जिला कोट्टायम में बीयर उत्पादन के लिए एक 'आशय पत्र' जारी किया है। इस प्रकरण में विदेशी सहयोग नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में छात्रों को छात्रवृत्तियां

2539. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में (1) अनुसूचित जातियों, (2) अनुसूचित आदिम जातियों तथा (3) पिछड़े वर्गों के छात्रों को वर्ष 1967-68 में मैट्रिक के बाद पढ़ाई के लिये कुल कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि में उत्तर प्रदेश से कुल कितने छात्रों ने इसके लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे; और

(ग) ये छात्रवृत्तियां उन छात्रों को किन-किन तारीखों को दी गई ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) से (ग): यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई पत्तन न्यास रेलवे

2540. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास रेलवे ने बम्बई के कई व्यापारियों द्वारा मार्ग में हुई हानि के लिये किये गये दावों का भुगतान करने से इंकार किया है;

(ख) क्या ऐसा करना भारतीय रेलवे अधिनियम के तत्तसंगत उपबन्धों तथा इसी प्रकार की अन्य परम्पराओं के विरुद्ध नहीं है;

(ग) क्या बम्बई की रेलवे दावा एजेंसी ने इस बारे में रेलवे बोर्ड को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड के द्वारा इस मामले को निपटाने में असफल होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): क्षतिपूर्ति के दावों को निपटाने के उद्देश्य से रेलें परिवहन के लिए उनको सौंपे गये माल के सम्बन्ध में उनकी दायिता से सम्बन्धित भारतीय रेल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई करती हैं। निस्सन्देह ऐसे बहुत से दावे होते हैं जिन्हें रेलें अस्वीकार कर देती हैं, लेकिन इस अस्वीकृति से अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता है या नहीं इसका किसी विशेष मामले या मामलों की जांच करने के बाद ही पता चल सकता है।

(ग) बम्बई स्थित रेलवे दावा एजेंसी बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे सहित विभिन्न रेलों द्वारा अस्वीकृत दावों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन भेजती रही हैं।

(घ) जब कभी किसी दावे को गलत रूप से अस्वीकृत किये जाने के बारे में रेलवे बोर्ड को प्रतिवेदन भेजा जाता है, तो उसकी यथावत जांच की जाती है। दावों को निपटाने के सामान्य मामले में निस्सन्देह सम्बन्धित वैधानिक उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

कम्पनियों द्वारा विदेशी अभिकरणों से लिये गये ऋण

2541. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) (1) मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी के प्रबन्धाधीन इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (2) टाटा के प्रबन्धाधीन टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा (3) बिरला बन्धुओं के प्रबन्धाधीन हिन्द मोटर्ज ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों और दूसरे विदेशी साधनों से अब तक कुल कितनी राशि के ऋण लिये हैं; और

(ख) उपरोक्त तीनों कम्पनियों में से प्रत्येक की साम्य पूंजी तथा ऋण-पूंजी का अनुपात क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह पता चलता है कि

(1) मैसर्स इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी इन्टरनेशनल बैंक फार रिकन्सेट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट वाशिंगटन, अमेरिका से अब तक कुल 98.65 मिलीयन अमरीकी डालर के बराबर राशि के चार ऋण मिले हैं ।

(2) मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को उसी साधन यथा इन्टरनेशनल बैंक फार रिकन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट से कुल 107.5 मिलीयन अमरीकी डालर के बराबर राशि के दो ऋण मिले हैं, इसके अतिरिक्त टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को नेशनल और ग्रिन्डले बैंक, ब्रिटेन से 1.5 मिलीयन पौण्ड का एक ऋण मिला है ।

(3) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स को अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी संस्था से 3 ऋण मिले हैं जो कुल लगभग 41.75 मिलीयन अमरीकी डालर के बराबर है। इसके अतिरिक्त इस कंपनी ने कामनवैल्थ डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी से 0.5 मिलीयन डालर का ऋण मिला है । अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी से यदि कोई ऋण लिये गये हों तो उनके बारे में तथा ऋणों के स्रोत के बारे में इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 31.3.68 को प्रत्येक तीन कम्पनियों का साम्य पूंजी और ऋण पूंजी का अनुपात निम्नलिखित है:-

कम्पनी का नाम	अंशधारी साम्य से ऋण पूंजी का अनुपात		
	साम्य		ऋण
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	1.8	–	1
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	2	–	1
हिन्दुस्तान मोटर्स	1	–	1.5

साम्य पूंजी में चुकता पूंजी तथा आरक्षित पूंजी दोनों, शामिल हैं ।
ऋणों में प्राप्त तथा अप्राप्त दोनों ऋण शामिल हैं ।

पश्चिम बंगाल में छोटे पैमाने पर कृषि उद्योग

2542. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के दक्षिण मे छोटे पैमाने पर कृषि उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार मिलने की संभावना है और स्थानीय बनों से प्राप्त स्रोतों के प्रयोग की प्रणाली क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) 24 परगना के लिये कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है केन्द्रीय सरकार के लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रम समस्त देश के लिए होते हैं वे इस क्षेत्र में भी लागू होते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लघु उद्योगों की स्थापना की योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है। केन्द्रीय सरकार का कार्यक्रम राज्य सरकारों और उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सहायता देने तक सीमित है।

केरल में रेलवे परियोजनाओं का विकास

2543. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल की जनता में यह भावना बढ़ रही है कि रेलवे परियोजनाओं और उसके विकास के बारे में केरल राज्य की उपेक्षा की जा रही है जबकि मैसूर और मद्रास जैसी पड़ौसी राज्य रेलवे के विकास के बारे में आगे बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विकास सम्बन्धी कार्य में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): रेलवे का विकास राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में सम्पूर्ण विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए इस विषय में क्षेत्रीय भावना को बीच में लाना उचित नहीं है। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि एर्णाकुलम-कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने और तिरुवनन्तपुरम–कन्या कुमारी–तिरुनेलवेली लाइन की पहले की सर्वेक्षण रिपोर्टों के पुनर्निधारण के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण करने का विनिश्चय किया गया है और ये सर्वेक्षण 1969–70 के कार्यक्रम में शामिल कर लिये गये हैं।

समितियों के वार्षिक प्रतिवेदन

2544. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1860 के समिति पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों को सम्बन्धित रजिस्ट्रारों को अपने वार्षिक प्रतिवेदन अनिवार्यत: देने पड़ते हैं;

(ख) क्या ऐसी समितियों की कोई सूची है जिन्होंने गत तीन वर्षों में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये हैं; और

(ग) ऐसी समितियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): सरकार को प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के बारे में कोई सूचना नहीं है । समिति पंजीकरण अधिनियम का विषय, भारतीय संविधान की अनुसूची सात की सूची 2, की प्रवृष्टि 32 के अनुसार राज्य सूची में आता है । अत: भाग (ग) के बाबत भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बेघर बच्चों के लिये केन्द्र

2545. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बेघर बच्चों के लिये और केन्द्र खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने हैं;

(ग) यह केन्द्र कहां-कहां खोले जाने हैं;

(घ) इस समय भारत में ऐसे कितने केन्द्र हैं; और

(ङ) इन केन्द्रों में कितने बच्चों के नाम पंजीकृत हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (ङ): प्रश्न नहीं उठते ।

Central Grants to Social Welfare Institutions of Kerala

2546. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to give grants to the Social welfare institutions of Kerala State directly rather than through the State administration; and

(b) the reasons for taking such a decision and other States in respect of which this decision has been taken ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir. It has been decided that the Central Social Welfare Board will release grants to Social Welfare Organisations in Kerala direct during the year 1968-69.

(b) This decision has been taken to ensure that Social Welfare Organisations in Kerala are not starved of funds due to the abolition of the Keral State Social Welfare Advisory Board by the Government of Kerala. In all the States, Social Welfare Advisory Boards function as a link between the Central Social Welfare Board and the grant-receiving Organisations. This decision does not apply to other States as no other State has abolished the State Social Welfare Advisory Board.

Mid-term Elections in Meerut and Muzaffarnagar

2547. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state:

(a) whether any request for requisitioning the services of Central Police Force in Meerut and Muzaffarnagar Districts in Uttar Pradesh for ensuring impartial mid-term elections in these areas was received; and

(b) if so, whether the said arrangements were made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) Yes, Sir.

(b) State Government of Uttar Pradesh was addressed by the Commission to make adequate police arrangements throughout the State during the elections, specially in the districts of Meerut and Muzaffarnagar and the State Government informed the Election Commission that it had made adequate police arrangements in those two districts.

उड़ीसा में समाज कल्याण योजनाएं

2548. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उड़ीसा में समाज कल्याण के क्या-क्या कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं;

(ख) 1966–67, 1967–68 तथा 1968–69 में इस प्रयोजन के लिये उड़ीसा को कितना अनुदान दिया गया;

(ग) इसे कैसे खर्च किया गया; और

(घ) इन तीन वर्षों में राज्य सरकार ने कितना व्यय किया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 288/69]

(ख)	रुपये लाखों में (उपलब्ध संचना से)
1966–67	6.325 रुपये
1967–68	7.640 रुपये
1968–69	6.560 रुपये

(ग) उपलब्ध संचना के अनुसार अनुदानों की राशियों का उसी प्रयोजन के लिये उपयोग किया गया, जिसके लिए उन्हें मंजूर किया गया था ।

(घ) राज्य सरकार ने 5.21 लाख रुपये खर्च किए हैं जिससे उसने कुछ योजनाओं को अंशदान दिया है ।

रद्दी लोहे के रूप में बुक किये माल डिब्बों में इस्पात पटरियां भरा जाना

2549. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम तथा उत्तर रेलवे के कुछ स्टेशनों पर इस्पात की पटरियों को इस्पात की छीजन के रूप में बुक किया गया था;

(ख) 1966 से 1968 तक कितने माल डिब्बों को, इस्पात की छीजन के लिये बुक किया गया, परन्तु इस्पात की पटरियां उनमें लादी गई;

(ग) अजमेर के लेखा कार्यालय द्वारा इन माल डिब्बों के लिये कम शुल्क लिये जाने पर उठायी गयी आपत्तियों का ब्यौरा क्या है तथा ये आपत्तियां किन स्टेशनों के विरुद्ध उठाई गई हैं ;

(घ) 1966–67 तथा 1968 के प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग कितनी राशि कम शुल्क के रूप में लेने के बारे में आपत्तियां उठाई गई हैं;

(ङ) 31 दिसम्बर, 1968 तक कितनी वह राशि वसूल की जा चुकी है जो कम शुल्क लिये जाने के कारण बकाया थी; और

(च) कम शुल्क की बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, पश्चिम तथा उत्तर रेलवे के कुछ स्टेशनों पर कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें लोहे की पटरियों को रद्दी लोहे के रूप में बुक किया गया था ।

(ख) 1966 से सम्बन्धित कोई मामला नहीं है । 1967 और 1968 में चौपहियों के हिसाब से ऐसे माल डिब्बों की संख्या 172 थी ।

(ग) इन 172 माल डिब्बों के सम्बन्ध में कुल 41,141 रुपये कम शुल्क लिए जाने की आपत्ति उठायी गयी थी । ईदगाह के विरुद्ध 40,766 रुपये और अजमेर के विरुद्ध 375 रुपये कम शुल्क लिये जाने की आपत्ति उठायी गयी ।

(घ) 1966 के दौरान कम शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गयी। 1967 में 2492 रुपये और 1968 में 38,649 रुपये कम शुल्क लिये जाने के बारे में आपत्ति उठायी गयी।

(ङ) दिसम्बर, 1968 तक 16,950 रुपये की वसूली कर ली गयी थी और 24,191 रुपये की वसूली अभी बाकी थी।

(च) रेल प्रशासन सम्बन्धित परेषकों से सम्पर्क बनाये हुए है और कम वसूल किये गये शुल्क की वसूली के लिए वैयक्तिक सम्पर्क के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं।

मदुरा डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्कों के पदों को समाप्त किया जाना

2550. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में मदुरा डिवीजन के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने मदुरा डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्कों के 60 पदों को समाप्त करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों को समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) 1968 के दौरान उक्त डिवीजन में यातायात माल तथा यात्रियों की संख्या में औसतन कितनी कमी हुई है;

(घ) क्या इन पदों को कम करने से पूर्व मदुरा डिवीजन पर कोई अध्ययन कार्य किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो यह अध्ययन कार्य कब किया गया था और उस पदाधिकारी का क्या नाम है जिसने यह कार्य किया था; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उन पदों को कम करना कहां तक न्यायोचित है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (च): निर्धारित मापदण्ड के आधार पर वाणिज्य शाखा के तीसरे दर्जे के कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा तीन अधिकारियों की एक समिति ने की, जिसमें मंडल अमला अधिकारी, मंडल वाणिज्य अधीक्षक और मंडल लेखा अधिकारी थे। इसके फलस्वरूप मदुरै मंडल में वाणिज्य क्लर्कों के 27 पद फालतू घोषित किये गये।

1968 में इस मंडल के कुल यातायात में थोड़ी सी कमी हुई।

Paper Pulp Factory

2551. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the representatives of paper pulp industry and the concerned Council have demanded reduction in excise duty in view of the said industry's development; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Interoal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b): At a meeting of the Development Council for Paper, Pulp and Allied Industries held in October, 1968 a suggestion was made for an increase in the quantum of the excise duty concession. This suggestion is still under the consideration of a Co-ordination Committee of the Council.

स्टेशनों पर गाड़ी सफाई सेवा

2553. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बीकानेर जाने या बीकानेर आने वाली सब गाड़ियां पूरी तरह धूल से भर जाती हैं क्योंकि वह रेगिस्तान से गुजरती हैं;

(ख) क्या मुख्य स्टेशनों पर गाड़ियों में दिन में की जाने वाली सफाई सेवा पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे निदेश जारी करने का है कि सेवा शीघ्रता और सतर्कता की जाये क्योंकि आजकल यात्रियों को 'क्लीनर' का पता लगाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ता है और वे इतने थोड़े से समय में, जबकि ये तेज गाड़ियां थोड़े समय के लिये रुकती हैं, नहीं मिलते ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) इस बात की हिदायत पहले से मौजूद हैं कि स्टेशनों पर रखे गये सफाई वाले सभी सवारी गाड़ियों में सफाई करें। इसके अतिरिक्त, प्लेटफार्मों पर स्थायी साइन बोर्ड भी लगाये गये हैं, जिनमें यह बताया गया है कि सफाई वाले किस जगह तैनात हैं।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा स्थानीय उत्पादों की खरीद

2554. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने सभी विभागों को आदेश दिये हैं कि वे अन्य राज्यों से उत्पादों पर केवल स्थानीय उत्पादों की तरजीह दें;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश किन विशिष्ठ वस्तुओं पर लागू होंगे; और

(ग) राज्यों में बढ़ रही ऐसी प्रवृत्तियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) और (ख): सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय उत्पादों को तरजीह दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

रूरकेला का विस्तार

2555. श्री एस० आर० दामानी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार का कार्य पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो यह कब तक किया जायेगा;

(ख) यह कब तक 18 लाख की उत्पादन क्षमता के प्रक्रम को प्राप्त कर लेगा;

(ग) इसे कब तक ठंडी ढली हुई इस्पात चादरों की सुविधा उपलब्ध होगी; और

(घ) इस समय प्रति वर्ष काफी घाटा होने वाले उपक्रम के स्थान पर यह कब एक लाभप्रद उपक्रम बन जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख): राउरकेला इस्पात कारखाने की क्षमता को 1.0 मिलियन टन पिण्ड से 1.8 मिलियन टन तक बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई जाने वाली प्रमुख इकाइयां लगा दी गई है परन्तु कुछ आवश्यक सुविधाएं जैसे हाट स्कार्फिंग मशीन तथा इसकी सहायक मशीने, लगाने डोलोमाइट की भट्ठी को चूनापत्थर की भट्ठी में बदलने आदि का काम तेजी से हो रहा है। यह काम 1969 के अन्त तक पूरा हो जायेगा। आशा है कि कारखाना 1970 में 1.8 मिलियन टन पिण्ड की विस्तारित क्षमता प्राप्त कर लेगा।

(ग) ठंडे बेलित स्ट्रिप/चादरों के निर्माण के लिए 1.00 मिलियन टन की उत्पादन अवस्था में भी सुविधायें थीं।

(घ) ऐसी संभावना है कि वर्ष 1969–70 में कारखाने को लाभ होगा।

ओखला दिल्ली में औद्योगिक एककों का बन्द किया जाना

2556. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला औद्योगिक बस्ती स्थित औद्योगिक एककों को बड़ी संख्या में बन्द होने का खतरा है और इनमें से बहुत से एककों ने जिन्होंने बस्ती में भूमि के नियतन के लिए आवेदन किया था भूमि के लिए दिए अपने नियतन पत्र वापिस ले लिए हैं;

(ख) क्या सरकार ने ओखला में उद्योगपतियों को होने वाली कठिनाइयों का पता लगाया है और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कोई एकक अब तक बन्द हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उसके बन्द होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

2557. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने उद्योगपतियों, विशेष कर लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से किराया खरीद योजना आरम्भ की है;

(ख) क्या निगम ने उक्त योजना को सब राज्यों में आरम्भ कर दिया है और यदि नहीं तो उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां यह योजना आरम्भ की गई है;

(ग) इस योजना से उद्योगपतियों को प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की सहायताओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस योजना के बारे में उद्योगपतियों की अब तक क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की एक योजना है जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग एककों को मशीनें किराया खरीद आधार पर दी जाती है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में उपलब्ध हैं ।

(ग) इस योजना की मुख्य बात यह है कि इसके अन्तर्गत मशीनें निगम से प्राप्त की जा सकती हैं । मशीनों के मूल्य का 20 प्रतिशत अग्रिम देना होता है और शेष 5 से 7 सालों में चुकाया जाता है ।

(घ) जनवरी, 1969 तक इस योजना के अन्तर्गत 34.62 रुपये के मूल्य की 19993 मशीनों का वितरण सारे देश में फैले हुए 8000 एककों को किया गया है ।

मैसूर राज्य में नये उद्योगों के लिए लाइसेंस

2558. **श्री क० लकप्पा :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में मैसूर राज्य में नये उद्योगों को आरम्भ करने के लिए कितने नये लाइसेंस जारी किये गए; और

(ख) लाइसेंस का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन उद्योगों के लिए जारी किए गए ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : 1968 की अवधि में मैसूर राज्य में नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए चार लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें से दो गेहूं के उत्पादों के लिए हैं तथा दो चीनी उत्पादन के लिए हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विज्ञापनों पर किया गया खर्च

2559. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस राजनीतिक सम्मेलन के अवसर पर, जिसका उद्घाटन इस वर्ष गृह-कार्य मंत्री ने किया था रायपुर कांग्रेस समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक में अपने विज्ञापनों के प्रकाशन के लिये हजारों रुपये व्यय किये थे;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना वास्तविक खर्च हुआ और इस प्रकार के विज्ञापन देने का क्या प्रयोजन है; और

(ग) उनके मंत्रालय तथा उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : वायर राड मिल के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर भिलाई इस्पात कारखाने ने स्थानीय पत्रिकाओं में विज्ञापन दिये थे और रायपुर कांग्रेस समिति द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तिका में भी विज्ञापन दिया था। भिलाई इस्पात कारखाने को 2000 रुपये का बिल दिया गया है जिसकी जांच की जा रही है। विज्ञापन देने का उद्देश्य वायर राड मिल की विशेषताओं का प्रचार करना था।

(ग) विज्ञापन देते समय पत्रिका का प्रचार, विज्ञापन के प्रकार और जिन लोगों के द्वारा पत्रिका पढ़ी जाती है आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

रेलवे कार्मिक संघों को मान्यता देना

2561. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में आल इंडिया रेलवेमैनज फैडेरेशन की मान्यता वापिस लेने के बाद कुछ नये संघों को मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के कितने-कितने सदस्य हैं;

(ग) क्या कुछ मान्यता प्राप्त पुराने संघ तथा केन्द्रीय संगठन भी रेलवे श्रमिकों तथा कर्मचारियों के बीच कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके सदस्यों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) (i) केन्द्रीय संगठन–

नेशनल फेडेरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन । इस फेडेरेशन को अलग से सदस्यता प्राप्त नहीं है बल्कि यह क्षेत्रीय यूनियनों का एक केन्द्रीय संगठन है ।

(ii) क्षेत्रीय संघ–

नाम	सदस्यता 31-12-67 को
(क) सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ	55,372
(ख) ईस्टर्न रेलवे मेन्स कांग्रेस	60,025
(ग) उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन	22,538
(घ) एन० ई० रेलवे इम्प्लाईज यूनियन (पी० आर० के० एस०)	34,223
(ङ) एन० एफ० रेलवे इम्प्लाईज यूनियन	39,673
(च) सदर्न रेलवे इम्प्लाईज यूनियन	45,000 (अनुमानित)
(छ) साउथ सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लाईज संघ	33,790
(ज) साउथ ईस्टर्न रेलवेमेन्स कांग्रेस	41,807
(झ) वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ	46,000
(ञ) नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन	60,596
(ट) साउथ सेन्ट्रल रेलवे मजदूर यूनियन	27,125
(ठ) वेस्टर्न रेलवे इम्प्लाईज यूनियन	59,000

नोट :—जबकि (क) से (झ) तक की मदें नेशनल फेडेरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन से सम्बद्ध हैं, ञ, ट और ठ उससे सम्बद्ध नहीं हैं ।

Grants to Social Institutions

2562. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the amount of money allocated to social institutions by the Central Government during the year 1968-69 and along with the names of those social institutions; and

(b) whether the accounts regarding the grants given to these institutions during the preceding years have been maintained in accordance with the rules ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Rs. 221.17 lakhs have been provided in the budget estimates of the Social Welfare Department towards assistance to social institutions during

the year 1968–69. The total number of institutions to be benefitted is over 3,800. The time and labour to be spent in giving names of these institutions will not be commensurate with the results achieved.

(b) The accounts regarding these grants have been maintained generally in a satisfactory condition.

Rural Industrialization

2563. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more emphasis was laid on big industries during the last three Five Year Plans as a result of which only the big cities were industrialised and the rural areas were neglected;

(b) if so, whether Government propose to lay emphasis on rural industrialisation during the Fourth Plan period; and

(c) if so, the outline thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Since the inception of planning vigorous efforts have been made to promote industries in rural areas through launching programmes of development with regard to Khadi and Village Industries, Handlooms, Handicrafts, Sericulture, Coir and Small Scale Industries. During the Third Plan period, another programme of Rural Industries Projects was launched in 69 selected areas in the country.

(b) The programmes are proposed to be continued during the Fourth Plan period.

(c) The various programmes and schemes to be included in the Fourth Plan are yet to be finalised.

पशुओं की खालों को रंगना

2564. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितने फैक्टरियों में कितने पशुओं की खालों को रंगा जाता है;

(ख) निजी रूप से रंगी जाने वाली खालों की संख्या का अनुमान क्या है और फैक्टरियों में रंगी खालों की कीमतों की तुलना में इन की कीमतों में कितना अन्तर है;

(ग) काटे गये पशुओं की तुलना में मरे हुए पशुओं की खालों का अनुपात क्या है और मूल्य में कितने प्रतिशत का अन्तर है; और

(घ) सरकार ने पशुओं जो कि विश्व में पशुओं की संख्या का 23 प्रतिशत है, की खालों का पूरा उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ऐसा अनुमान है कि 1968 में लगभग 450 लाख खालें कमायी गयी थीं।

(ख) इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऐसा अनुमान है कि लगभग 20 प्रतिशत चमड़ा तथा 80 प्रतिशत खालें काटे गए पशुओं से प्राप्त की गयी। यह सामान्यतः मृत पशुओं से प्राप्त किए गए चमड़े तथा खालों से बढ़िया होती हैं और इन का मूल्य उन से 15 से 20 प्रतिशत अधिक होता है।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 289/69]

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्यात

2565. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कुल कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया गया है और आगामी तीन वर्षों के लिए कितने निर्यात का अनुमान है;

(ख) उसी अवधि में विदेशों से कुल कितना और कितने मूल्य के इस्पात का आयात किया गया और आगामी तीन वर्षों के लिये इस सम्बन्ध में क्या अनुमान है; और

(ग) उसी अवधि में भारत से कुल कितना और कितने मूल्य का लौह अयस्क निर्यात किया गया ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा 1965–66 से लेकर 1968–69 (दिसम्बर 1968 तक) की अवधि में किये गये लोहे और इस्पात के निर्यात की मात्रा और उसका मूल्य निम्न प्रकार है :—

	मात्रा (हजार टनों में)	जहाज तक निस्प्रभार मूल्य (मिलियन रुपयों में)
1965–66	53.5	22.1
1966–67	268.6	92.1
1967–68	805.2	309.2
1968–69	764.6+	305.1

(31 दिसम्बर, 1968 तक) 1780 पहियों की जोड़ियां

1965–66 से 1968–69 (अक्तूबर 1968 तक) की अवधि में आयात किये गये लोहे और इस्पात की मात्रा और उसका मूल्य इस प्रकार है :—

	मात्रा (हजार टनों में)	मूल्य (मिलियन रुपयों में)
1965–66	872.3	885.9
1966–67	451.1	777.7
1967–68	503.5	926.6
1968–69 (अक्तूबर 1968 तक)	232.4	411.6

अभी तक आगामी तीन वर्षों में लोहे और इस्पात के आयात और निर्यात के अनुमान नहीं लगाये गये हैं ।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में बिना बिकी वस्तुएं

2567. **श्री वेवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में निर्मित कुछ वस्तुएं बाजार में नहीं बिक रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं और बिना बिकी वस्तुओं का कितना भण्डार है और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : चूंकि राउरकेला इस्पात कारखाना अधिकांश माल विशिष्ट मांग पर ही तैयार करता है इसलिए माल के विक्रय में कोई विशेष कठिनाई आने की सम्भावना नहीं है । फिर भी, 25-2-69 को कारखाने के पास वाणिज्यिक किस्म के पाइपों का स्टाक 5185 टन था । यह स्टाक उत्पादन करते समय अमेरिकन पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट के निर्यात मानक से बड़े व्यास के पाइप बन जाने के कारण हो गया है जिनकी देश में मांग कम है ।

Scholarships to Students Studying in Delhi

2568. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to State:

(a) whether it is a fact that students studying in Delhi are granted scholarships by their respective States;

(b) whether it is also a fact that the applications for grant of scholarships in respect of such students studying in Polytechnics in Delhi in 1967-68 and 1968-69 sent to the State Governments, were rejected in cases where their guardians' income was more than Rs. 450/—per annum;

(c) if so, the States where scholarships were not granted on this ground; and

(d) the number of scholarships granted by each State for 1967-68 and 1968-69 to students studying in Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : So far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned all the eligible students are given scholarships. For the Other Economically Backward Classes there is a fixed ceiling on the allotcation and scholarships are to be awarded within that limited provision on a proverty basis, irrespective of the course of study. The awarding

authority accordingly starts with the case of the lowest income and proceeds upward until the allotment is fully utilised. That being so, it is possible that some State Governments may have been able to award scholarships only to those candidates who came within the income limit of Rs. 450 per annum.

(d) The State-wise break up of the scholarships granted in the four Polytechnics in Delhi is as under :

State	1967-68	1968-69 (upto 28.2.69
Punjab	3 (+1 sanctioned during 1968-69)	3
Haryana	2	1
Uttar Pradesh	5	4
Rajasthan	–	1

नेशनल रेलवे ग्रिड

2569. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री बलराज मधोक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चौथी योजना की अवधि में एक नेशनल रेलवे ग्रिड बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 3000 किलोमीटर लम्बी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 10–15 वर्ष की अवधि की एक संदर्श योजना बनाई गई है । अभी ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि वास्तव में किन किन लाइनों का आमान परिवर्तन किया जायेगा, इसका निर्णय तभी किया गया जा सकता है जब सभी सर्वेक्षण पूरे हो जायें और यातायात के औचित्य और अर्थ-क्षमता की दृष्टि से प्रत्येक लाइन आमान-परिवर्तन के उपयुक्त पायी जाये । यह काम धन की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा ।

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

2570. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नये भवन का प्रयोग अब किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका निर्माण कार्य कब पूरा हो गया था और उसका प्रयोग कब तक किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यद्यपि निजामुद्दीन स्टेशन की नयी इमारत का सिविल इंजीनियरिंग से सम्बन्धित काम 31-8-68 को पूरा हो गया, लेकिन सिगनल सम्बन्धी काम अभी हो रहा है । आशा है, इस इमारत को इस महीने से उपयोग में लाया जायेगा ।

मनीपुर में निर्वाचन अर्जियां

2571. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र की कुल कितनी निर्वाचन अर्जियां विचाराधीन हैं;

(ख) कितने मामले निपटाए जा चुके हैं और न्यायालय ने उन पर क्या आदेश दिये हैं;

(ग) क्या मनीपुर स्थित न्यायिक आयुक्त के न्यायालय से कोई मामला वापस लिया गया है;

(घ) न्यायिक आयुक्त के न्यायालय से एक पक्ष को निर्वाचन अर्जी वापस लेने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कानून के किस उपबन्ध के अन्तर्गत ऐसा किया गया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) एक ।

(ख) तीन । न्यायालय के आदेश दर्शित करने वाला एक विवरण उपाबन्ध 'क' में है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 290/69]

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ): प्रश्न ही नहीं उठते ।

Ban on Polygamy

2572. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government propose to pass a Bill banning polygamy in the country so that psychological and emotional integration among various communities in the country could be brought about;

(b) if so, whether the State Governments have been consulted in this connection and if so, their reaction; and

(c) the time by which a final decision is likely to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.

कोयला परिवहन के लिए माल डिब्बों की कमी

2574. डा० रानेन सेन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों ने शिकायत की है कि खानों के मुहानों से विभिन्न स्थानों को कोयला भेजने के लिये माल डिब्बों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । कभी-कभी कुछ शिकायतें मिलती रही हैं ।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान सभी कोयला क्षेत्रों से और बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से अलग कोयले के लदान के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

महीना	1968-69		1967-68	
	सभी कोयला क्षेत्रों से	बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से	सभी कोयला क्षेत्रों से	बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से
सितम्बर	8247	6312	6487	4696
अक्तूबर	8238	6327	7097	5451
नवम्बर	7974	5966	7754	5801
दिसम्बर	8070	6071	7956	6015
जनवरी	8362	6440	7792	5932
फरवरी	8714(अनंतिम)	6806(अनंतिम)	7931	6035

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वर्ष में कोयले के लदान के लिए बहुत अधिक मालडिब्बे उपलब्ध हुए । सभी कोयला क्षेत्रों और बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से सितम्बर और अक्तूबर में जितना कोयला लादा गया, पहले किसी महीने में इतना कोयला नहीं लादा गया था । फरवरी, 1969 में इससे भी अधिक लदान हुआ ।

चूंकि अब पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मालडिब्बे मिल रहे हैं, इसलिए मालडिब्बों की कमी के सम्बन्ध में शिकायत करने का औचित्य नहीं है ।

पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के पद

2575. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में पिछले 6 वर्षों और इससे अधिक समय से चतुर्थ श्रेणी के 600 पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या इन स्थायी रिक्त पदों पर काम करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों को लगा दिया जाता है;

(ग) क्या इस डिवीजन में सभी स्थायी रिक्त पदों को भरने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में कागज मिल

2576. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 6 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3054 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर सरकार को मनीपुर में एक कागज मिल बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार पूरा कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि केन्द्रीय सरकार प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई है तो इस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : मणिपुर में कागज मिल की स्थापना का प्रश्न अभी विचाराधीन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त इस पर निर्णय लिया जा सकेगा ।

Overbridge at Railway Line passing through Dabra Mandi (M.P.)

2577. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the main railway line passing through Dabra Mandi (Madhya Pradesh) divides the town into two parts ;

(b) whether Government are also aware that this results in great difficulty for trucks and other heavy vehicles going to the Mandi ;

(c) if so, whether Government propose to construct an overbridge where ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) For the convenience of vehicular traffic, there is a pucca road connecting the town and the Mandi through a level crossing.

(c) No. Under the extant rules, proposals for construction of road over/under bridges in replacement of busy level crossings are required to be sponsored by the State Government indicating the relevant priority and the year in which they would be able to provide funds towards Road Authority's share of the cost of the work.

There is no firm proposal for the replacement of existing level crossing by a road overbridge at Dabra Mandi from the Government of Madhya Pradesh so far.

(d) Does not arise.

Overbridge on crossing near Bhopal Railway Station

2578. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the construction of an overbridge on the railway crossing near the main railway station of Bhopal (Madhya Pradesh) which was underway is still not complete;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) when the bridge is expected to be completed ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) and (c) : The railway's portion of work i. e. over-bridge structure is in advanced stage of construction. The State Government is, however, yet to commence work on the construction of the approaches. As soon as the State Government undertakes the work on approaches, the Railway will simultaneously complete the work on bridge structure.

Level crossing on Lashkar Shivpuri light railway Track

2579. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Government are aware that there is a scheme worth five crores of rupees for construction of a market in Gwalior which would benefit nearly 20 lakh farmers ;

(b) whether Government are also aware that the absence of a railway level-crossing on Lashkar-Shivpuri light railway-track is harming the entire scheme ;

(c) the reaction of Government in this regard ;

(d) whether Government are preparing any scheme to bring all the routes afound this market under a single authority ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Railways are aware only to the extent that there is a proposal for shifting of the Mandi from its present location in the Lashkar Sector to a new place near Jivajiganj Station.

(b) No,

(c) to (e) : The Agricultural Produce Market Committee, Lashkar, Gwalior has asked for provision of a new level crossing between the existing two level crossings at Kms. 1230/5-6 and 1230/6-7 near Jivajiganj Station. Opening of one more level crossing within such a short distance is not considered desireable. A proposal for shifting the level crossing at Km. 1230/6-7 to the site where a road leading to the Grain Market is under construction is being investigated consultation with the local Civil authorities.

बेकार पड़ी क्षमता के सम्बन्ध में गोखले संस्थान का प्रतिवेदन

2580 **श्री लोबो प्रभु :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने उपयुक्त औद्योगिक क्षमता के सम्बन्ध में गोखले संस्थान के अनुमानों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) चूंकि बढ़ते हुए ऊपरी खर्च के कारण उत्पादन खर्च बढ़ता है और मांग कम होती है इसलिये परस्पर अप्रयुक्त क्षमता पर वे उत्पादन शुल्क, निगम कर या अन्य कर में से कम से कम एक कर समाप्त क्यों नहीं करती ;

(ग) विकल्प रूप में, कर प्रमाण-पत्रों की व्यवस्था में विस्तार न करने और उन की दरों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार अप्रयुक्त क्षमता का किसी अन्य प्रकार से प्रयोग करने के सम्बन्ध में तकनीकी राय लेगी और उस के लिये कम दरों पर ऋण देगी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : मामले की जांच की जा रही है और उत्तर सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना

2581. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि सरकार द्वारा 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में आवश्यक सेवायें बनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश का तकनीकी रूप से उल्लंघन करने वाले सभी कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को समाप्त करने का निर्णय करने पर भी दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारी उसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण लगभग 1,3000 अस्थायी । दैनिक कर्मचारियों को और लगभग 40 स्थायी कर्मचारियों को सेवा-मुक्त कर दिया गया है अथवा निलम्बित कर दिया गया है ; और

(ग) क्या ऐसे सभी रेलवे कर्मचारियों को बहाल करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सरकार का विनिश्चय यह था कि जो कर्मचारी केवल अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 की धारा 4 के अन्तर्गत दोषी थे और फलस्वरुप उसके मूल अनुदेशों के अनुसार सेवा-मुक्त या निलम्बित कर दिये गये थे उन्हें उनकी सेवा में भंग करके ड्यूटी पर फिर से रख लिया जाये ।

इस विनिश्चय को दक्षिण-पूर्व रेलवे पर लागू किया जा रहा है ।

(ख) प्रारम्भ में 96 स्थायी कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था जिनमें से 26 कर्मचारियों को फिर से रख लिया गया है । 1271 नैमित्तिक मजदूरों को भी काम से हटा दिया गया था । केवल अनुपस्थित रहने के कारण किसी अस्थायी कर्मचारी को निलम्बित नहीं किया गया है ।

(ग) लगभग 120 ऐसे नैमित्तिक मजदूरों के मामलों पर जिन्होंने अस्थायी औहदा पा लिया है और 70 स्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जा रहा है ।

भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति की जांच के लिये समिति

2583. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे और उसके निदेश पद क्या होंगे ; और

(ग) समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन दिये जाने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) भारत सरकार ने भारतीय स्त्रियों की हैसियत की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

(ख) इस समिति की रचना तथा इसके हवाले की शर्तों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इस समय किसी निश्चित तारीख का संकेत नहीं किया जा सकता।

समाज कल्याण विभाग का अस्पृश्यता के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण

2584. **श्री सूरजभान :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलयापेरुमाल समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात की शिकायत की है कि समाज कल्याण विभाग का दृष्टिकोण उपेक्षापूर्ण, असहयोगपूर्ण प्रत्युत विपरीत है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दृष्टिकोण के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) और (ख): श्री इलयापेरुमाल से प्रतिवेदन जिस रूप में प्राप्त हुआ है वह पूर्ण नहीं है और उनसे और कागजात मगाये गये है।

Chief Reservation Supervisors and Reservation and Enquiry Clerks on Northern Railway.

2585. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Chief Reservation Supervisors and Reservation and Enquiry Clerks on the Northern Railway Division-wise ;

(b) the number of posts reserved for scheduled castes in the above two categories under the existing rules ;

(c) the number of these reserved posts filled so far and the number of vacant reserved posts against which scheduled castes employees have not been appointed ;

(d) the reasons for not filling these posts by appointing scheduled caste employees : and

(e) when such posts are likely to be filled ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a)

Category	Division	Number
(i) Chief Reservation Supervisor Rs. 370-475.	Delhi	5
	Ferozepore	1
	Allahabad	2
	Lucknow	1
	Headquarters Office	2
(ii) Chief Enquiry and Reservation Clerk Rs. 250-380.	Delhi	11
	Ferozepore	1
	Allahabad	4
	Lucknow	3
	Moradabad	1
	Headquarters Office	6

(b) Chief Reservation Supervisors.....2
Chief Enquiry & Reservation Clerk..... 6

(c)

Category	Number of posts filled	Number of posts lying unfilled
(i) Chief Reservation Supervisor	Nil	Two
(ii) Chief Enquiry and Reservation Clerk	Two	Four

(d) and (e) : (i) **Chief Reservation Supervisors :** Non-availability of Scheduled Caste candidates within the field of eligibility in the selection held in 1966. A fresh selection is likely to be held shortly and Scheduled Caste candidates, if available and selected, will be posted against the reserved quota.

(ii) **Chief Enquiry and Reservation Clerk.** In the last selection held in 1966-68 only four Scheduled Caste candidates were available for consideration against the reserved quota of six vacancies and out of these three were selected. Two of these have already been provided and the third is going to be posted soon. Attempts will be made to make good the shortfall in future selections, provided enough suitable candidates become available by then.

मध्यावधि निर्वाचनों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय तथा हरिजनों से प्राप्त शिकायतें

2586. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री क० लकप्पा : **श्री लताफत अली खां :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यावधि निर्वाचनों के तत्काल पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अल्पसंख्यक समुदायों और हरिजनों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि उन्हें इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि वे या तो एक विशेष प्रकार के मतदान करें अथवा वे मतदान न करें ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से क्षेत्र थे जहां से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनूस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश में मेरठ और मुजफ्फरनगर तथा बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर जिलों के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार से ये शिकायतें निर्वाचन आयोग को जैसे ही प्राप्त हुई, उन्हें सम्पृक्त राज्य सरकारों को भेज दिया गया और तुरन्त ऐतियाहाती उपाय करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को अधिक प्रकार की छात्रवृत्तियों का दिया जाना

2587. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1969 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को अधिक प्रकार की छात्रवृत्तियां देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) तथा (ख) : यह विषय विचाराधीन है ।

आय-कर अपील अधिकरण के विचाराधीन अपीलें

2588. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री श्री गोपाल साबू :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री शारदा नन्द :
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के अन्त तक कुल कितने मामले आय-कर अपील अधिकरण के विचाराधीन थे ;

(ख) क्या विचाराधीन मामलों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए अधिकरणों की संख्या बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ग) क्या अधिकरणों को उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत लाने की कोई प्रस्थापना है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनूस सलीम) : (क) 61,565

(ख) लंबित मामलों को निपटाने के लिए अधिकरण में चार अतिरिक्त न्यायपीठें अभी हाल ही में बढ़ाई गई हैं। यदि आवश्यक हुआ तो उनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी।

(ग) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

मुद्रण यंत्रों का निर्माण

2589. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में मुद्रण-यंत्रों के निर्माण के लिये पूर्वी जर्मन की एक फर्म के साथ सहयोग करार करने के लिये भारत सरकार सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी जर्मनी की किस फर्म के साथ सहयोग करार किया गया है; और

(ग) इस सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० द्वारा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के वी० बी० बी० पोलीग्राफ के साथ विभिन्न प्रकार की मुद्रण मशीनों के उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग करार प्रस्ताव करने की स्वीकृति दे दी गई है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सहयोग करार वाणिज्यिक प्रकृति का है सहयोग करार के विवरण को बतलाना उचित नहीं समझा गया है।

हंगरी के साथ व्यापार

2590. **श्री बाल्मीकि चौधरी** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के धातु विज्ञान तथा मशीन उद्योग मंत्री ने अपनी हाल की भारत यात्रा में अपने व्यापार-अन्तर को समाप्त करने के उद्देश्य से हंगरी से भारत को अधिक वस्तुओं का निर्यात करने की पेशकश की थी ; और

(ख) यदि हां तो उन्होंने हंगरी से किन-किन और वस्तुओं का अधिक निर्यात करने की पेशकश की है और यदि उन के साथ कोई समझौता हुआ है, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : हंगरी के धातुकर्म तथा मशीनों के मंत्री से दोनों देशों में आर्थिक, औद्योगिक तथा व्यापारिक सहयोग बढ़ाने हेतु हुए वार्तालाप में उन्होंने न केवल परम्परागत निर्यात की वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने में अपितु इन्जीनियरी वस्तुओं जैसे मालगाड़ी के डिब्बों तथा उपभोक्ता वस्तुओं में भी रुचि दिखाई। भारत से हंगरी को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं तथा निर्यात की शर्तों का निर्धारण बाद में अधिकारी स्तर पर वार्तालाप के लिए छोड़ना पड़ा।

विकलांग व्यक्तियों की स्थिति सुधारना

2591. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिये जाने पर भी विकलांग व्यक्तियों को नौकरी के अवसर नहीं दिये गये हैं ;

(ख) उन लोगों को किस प्रकार की नौकरियां दी गई हैं तथा देने का विचार है ; और

(ग) विकलांग व्यक्तियों की स्थिति सुधारने तथा उनकी शिक्षा और उनके शारीरिक इलाज के लिये देश में कितनी संस्थायें कार्य कर रही हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) : लगभग 5,500 विकलांग व्यक्तियों को देश में विकलांग व्यक्तियों के नौ विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में नौकरी दिलवाई गई है। विकलांग व्यक्तियों को दिए जाने वाले नौकरी के अवसरों का उनकी रुचि और प्रशिक्षण को ध्यान में रख कर अध्ययन किया गया है।

(ग) लगभग 240

अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के आदिवासी

2592. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के रहने वाले अब भी अपनी प्राचीन परम्पराओं को अपनाये हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि यदि ओंजिस तथा जारावास लोगों को आधुनिक सभ्यता अपनाने को बाध्य किया गया तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके उत्थान के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उसमें किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) इन द्वीपों की अनुसूचित आदिम जातियां विकास के अलग-अलग स्तरों पर हैं, जो उन का साधारण जनता के साथ सम्पर्क की मात्रा पर निर्भर करता है।

(ख) इस बात से सहमत होने का कोई कारण नहीं है।

(ग) जारावास अभी भी प्रतिकूल हैं और इसलिए उनके साथ शान्तिपूर्ण सम्पर्क स्थापित करना अब तक सम्भव नहीं हो सका है।

औंजिस की संख्या लगभग 130 है। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्राथमिक स्कूल और एक औषधालय स्थापित किए गए हैं तथा उनकी खुराक की अनुपूर्ति के लिए 200 एकड भूमि पर नारियल के पेड़ लगाए गए हैं। इस आदिम जाति का डाक्टरी सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के लिए काफी सहयोग मिल रहा है।

खुदाई करने के लिए पत्थर छिद्रक (राक रोलर विदस)

2593. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खुदाई करने के लिये पत्थर छिद्रकों का निर्माण करने की सम्भावना पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मैसर्स वोल्टाज लिमिटेड बम्बई को थाना (महाराष्ट्र राज्य) में एक नया औद्योगिक उपक्रम जिस की रोलर एंकविट्स, ड्रेग विटस और रिकन्डीशन्ड रौक विट्स के उत्पादन की वार्षिक क्षमता क्रमशः 14,000 नग 15,000 नग तथा 3,000 नग होगी। एक लाइसेन्स जनवरी, 1964 में स्वीकृत किया है। योजना अमेरिका के वेरल मेन्यूफेकचरिंग कम्पनी के तकनीकी और आर्थिक सहयोग से कार्यान्वित की जानी थी। किन्तु 1969 में भारतीय कम्पनी ने औद्योगिक लाइसेन्स वापिस कर दिया। एक रौलर विट्स कुछ जटिल और कठिन प्रकार का होता है अतएव इस वस्तु के उत्पादन के लिए कोई देशीय क्षमता स्थापित नहीं की गई है। औद्योगिक लाइसेन्स अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्रदान करने के लिए इस वस्तु को 'मेरिट लिस्ट' में रखा गया है जिस से की उद्यमी का ध्यान इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्राप्त क्षमता की ओर आकृष्ट हो सकें।

कागज उद्योग को प्रोत्साहन

2594. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री रणजीत सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री बलराज मधोक :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज और उस के उत्पादों की मांग से अधिक इन का उत्पाद करने के लिये कागज उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) प्रोत्साहन देने पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : यद्यपि इस उद्योग को कोई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन नहीं दिया गया किन्तु उत्पादन शुल्क में प्रथम वर्ष 25 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 20 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष में तदोपरान्त 15 प्रतिशत की रियायत दी गई है जो कि कई वर्षों से लागू है ।

तांबे के कचरे को साफ करने वाला केन्द्रीय अभिकरण

2595. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तकनीकी विकास महानिदेशक डा० बी० डी० कालेलकर के उस सुझाव की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने भारतीय तांबा सूचना केन्द्र, कलकत्ता द्वारा तांबा मिश्रधातु ढलाई कार्य के विषय पर इस वर्ष फरवरी में आयोजित की गई विचार गोष्ठी में दिया था, कि तांबे के कचरे को साफ करके उसे सिल के रूप में ढालने और फिर उसे विभिन्न उपभोक्ताओं में बांटने के लिए एक केन्द्रीय अभिकरण की स्थापना की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) उद्योग के सम्बन्धित क्षेत्रों के परामर्श से सुझाव के सभी पहलुओं पर विस्तृत परीक्षण करना वांछनीय है ।

मतदान की चल-व्यवस्था

2596. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में भावी निर्वाचनों में मतदान की चल-व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ग) : जी नहीं । किन्तु सुना गया है कि उन मतदान क्षेत्रों में, जहां बड़े पैमाने पर अभित्रास और प्रपीड़न का सहारा लिए जाने की शिकायत है, और दूर-दूर बसे हुए तथा पर्वतीय क्षेत्रों में विशिष्टत: चल-मतदान-केन्द्र स्थापित करने की प्रस्थापना पर निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है ।

टेनिस की गेंदों की आवश्यकता

2597. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या औद्योगिक विकास, आंतारिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी टैनिस की गेंदों की आवश्यकता होती है ;

(ख) इन गेंदों के बनाने के लिये देश में किन किन निर्माताओं को लाइसेंस मिले हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन की कीमतें नियत की है, यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(घ) मेलटन कपड़ा, जिस का टैनिस गेंदों के निर्माण के लिये मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इंडियन लान टेनिस एसोसिएशन के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष प्रतियोगिता किस्म के 50,000 से 60,000 दर्जन गेंद तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, क्लबों इत्यादि के लिए अप्रतियोगित किस्म के 30,000 दर्जन गेदों की आवश्यकता होगी । यदि असतोषजनक किस्म के टेनिस के गेंद बाजार में खुले रूप में उपलब्ध हों तो यह मांग 1,50,000 दर्जन प्रतिवर्ष तक पहुँच सकती है ।

(ख) मैसर्स इंडिया रबड़ मेन्युफेक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता ।

मैसर्स नानको रबड़ एण्ड प्लास्टिक लिमिटेड, कोयम्बत्तूर ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) 1,00,000 टेनिस की गेंदों के निर्माण के लिए आवश्यक मोल्टन कपड़े को यदि ब्रिटेन से आयात किया जाये तो 63,000 रुपये और यदि अमेरिका से आयात किया जाये तो 1,13,000 रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हैं ।

पिण्डकों (बिलटों) का उत्पादन

2598. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री द० रा० परमार :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में प्रमुख इस्पात संयंत्रों में पिण्डकों का उत्पादन पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ था;

(ख) क्या प्रमुख इस्पात संयंत्र अपनी वस्तुएं बनाने वाले मिलों की अधिष्ठापित क्षमता के अनुपात में पिण्डकों का प्रयोग नहीं कर सके और इसी कारण उन्होंने वर्ष 1967-68 में पहले की अपेक्षा अधिक टन पिण्डक बिक्री के लिये दिये ;

(ग) क्या अर्थव्यवस्था में मन्दी आ जाने के कारण ही माल बनाने वाले मिलों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका ; और

(घ) क्या पुनर्ढलाई (री रोलिंग) मिलों ने इस बार भी उतना ही माल उठाया था जितना उन्होंने 1966-67 में लिया था, हालांकि 1967-68 में भी वे मंदी से प्रभावित हुए थे और पिण्डकों की उपलब्धता के बारे मे बार-बार पूछने पर भी प्रमुख इस्पात संयंत्रों ने उन्हें अपेक्षित जानकारी नहीं दी थी जिसके कारण वे अपनी योजना पहले से ही नहीं बना सके थे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : वर्ष 1966-67 की अपेक्षा वर्ष 1967-68 में बिलेट का उत्पादन लगभग 80,000 टन अधिक हुआ। अधिक उपलब्धि अंशत आर्थिक मन्दी और अंशतः भिलाई इस्पात कारखाने की वायर राड मिल के उत्पादन आरम्भ करने के लिए तैयार न हो सकने के कारण हुई। 1966-67 में 11,14,000 टन के मुकाबिले में 1967-68 में भारत में फर्मों को 10,13,000 टन बिलेटों का प्रेषण किया गया। 1967-68 में उपक्रय में कमी का कारण देश में आर्थिक मन्दी हो सकता है।

पुनर्बेलन मिलों का बन्द होना

2599. **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री द० रा० परमार :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को गत कुछ महीनों में पुनर्बेलन मिलों के बन्द होने के बारे में कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मिलों की संख्या कितनी है और वे किन-किन कारणों से बन्द हुए हैं; और

(ग) मिलों को बन्द होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

भिलाई में निर्माण

2600. श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री द० रा० परमार :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई में रेल पटरी तथा संरचनात्मक मिल की नियोजित क्षमता कितनी है और वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में कितना-कितना निर्माण हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि भिलाई रेल पटरी मिल इस समय केवल 18 मीटर लम्बी रेल पटरी का निर्माण कर रहा है, जिसके लिये यह नहीं बनाया गया था और इसमें निर्धारित क्षमता से बहुत कम निर्माण हो रहा है;

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को रेल पटरियों के (एक) 13 एम लम्बी देश में उपयोग करने वाली और (दो) 18 एम लम्बी पटरियां निर्यात के लिये बनाने से प्रतिदिन कितना शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है; और

(घ) उपरोक्त मिल में 80 एम एम के और 100 एम-एम पिंडक बनाने से उसे प्रतिदिन कितना शुद्ध राजस्व प्राप्त होता है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) भिलाई कारखाने के रेल की पटरी तथा संरचनात्मक बनाने वाले मिल की निर्धारित क्षमता 5,00,000 टन रेल की पटरी और 2,50,000 टन संरचनात्मक प्रति वर्ष तैयार करने की है। 1966-67, 1967-68 और 1968-69 (जनवरी 1969 तक) का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है :-

(हजार टन)

	1966-67	1967-68	1968-69 (जनवरी 69 तक)
रेल की पटरी	219	211	214
संरचनात्मक	114	147	167
ब्रिलेट (जो रेल की पटरी बनाने वाले मिल में तैयार किये गये)	172	116	23.7

(ख) चूंकि देश में रेल की पटरी की मांग भिलाई के रेल-मिल की क्षमता से बहुत कम है, अतः रेल की पटरी का निर्यात करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। निर्यात की मांग पूरी करने के लिए 18 मीटर लम्बी रेल की पटरी का उत्पादन करना पड़ता है। प्रारम्भ में रेल मिल का रूपांकन 13 मीटर लम्बी पटरी का जिनकी भारतीय रेलवे को आवश्यकता थी उत्पादन करने के लिए किया गया था। 18 मीटर लम्बी पटरी का उत्पादन 13 मीटर लम्बी पटरी के उत्पादन से कम है।

(ग) और (घ) : माननीय सदस्यों से इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, कि शुद्ध राजस्व से उनका क्या अभिप्राय है, जानकारी उपलब्ध की जायेगी ।

उद्योगों के लिये केन्द्रीय सलाहकार परिषद्

2601. श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद की गत बैठक में ट्रैक्टरों के उद्योग सम्बन्धी समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया था;

(ख) ट्रैक्टरों के बिक्री मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की क्या सिफारिशें थी और तत्सम्बन्धी भारत सरकार के क्या आदेश थे;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्रैक्टरों की मांग के सम्बन्ध में क्या सरकार या उद्योग ने कोई विपणन सम्बन्धी सर्वेक्षण किया है; यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है;

(घ) वर्ष 1968–69 में भारत में कुल कितने ट्रैक्टर आयात किये गये और उन का मूल्य क्या था और वर्ष 1969–70 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है; और

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह उद्योग लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है, कृत्रिम मूल्य नियंत्रण बनाये रखने का क्या प्रयोजन है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई सिफारिशें तथा उस पर सरकार का निर्णय एक संकल्प संख्या 5।44।67-ए० ई० इण्ड० 2 दिनांक 3 जून, 1968 के द्वारा घोषित कर दी गई थी जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) मशीनी उद्योग के आयोजन दल ने जिसमें सरकार और उद्योग दोनों के प्रतिनिधि थे यह अनुमान लगाना है कि चौथी योजना के अंत तक ट्रैक्टरों की मांग निम्न प्रकार होगी :–

12–20 अ० श०	21,000 संख्या प्रतिवर्ष
21–35 अ० श०	38,000 संख्या प्रतिवर्ष
35 अ० श० से ऊपर	9,000 संख्या प्रतिवर्ष
योग :–	68,000 संख्या प्रतिवर्ष

कृषि विभाग द्वारा स्थापित एक अन्य कार्यकारी दल ने जो निर्धारण किया है उसके अनुसार उपयुक्त सभी अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों की मांग 1973–74 तक 90,000 प्रतिवर्ष तक पहुंच सकती है ।

(घ) वर्ष 1968 में देश में 202.26 लाख रुपये के 2289 ट्रैक्टरों का आयात किया गया था । विदेशों से ट्रैक्टरों के आयात के प्रस्तावों पर प्रतिवर्ष विचार किया जाता है ।

वर्ष 1968-69 में विभिन्न आकारों और मेकों के 15,000 ट्रैक्टर आयात करने का निश्चय किया गया है। वर्ष 1969-70 में ट्रैक्टरों के आयात के कार्यक्रम पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ङ) इसका सुनिश्चय करने के लिए कि निर्माता। विक्रेता पूर्ति और मांग के बीच वर्तमान असंतुलन से अनुचित लाभ न उठा सकें और कृषकों के हाथ ट्रैक्टर उचित मूल्यों पर बेचे जांय निश्चय यह किया गया था कि इनके मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत निश्चित कर दिये जाने चाहिए।

दिल्ली में पोलिटेक्निक संस्थाओं को छात्रवृत्तियों का दिया जाना

2602. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री निहाल सिंह :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री 22 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1778 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रवृत्तियो के लिये 112 आवेदन पत्रों में से दिल्ली की प्रत्येक पोलिटेक्निक संस्था मे कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं ;

(ख) अल्प आय वर्ग और अनुसूचित जातियों के वर्ग के अन्तर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिये 1968--69 में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिये कितनी राशि दी गयी;

(ग) जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गयी हैं उनके माता-पिता की आय क्या है; और क्या छात्रवृत्तियां दिये जाने से पहले उनकी आय का सत्यापन किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) प्रत्येक पोलिटेक्निक में अब तक दो गई छात्रवृत्तियों की संख्या इस प्रकार है :-

	जी० बी० पंत पोलिटेक्निक	पूसा पोलिटेक्निक	के० जी० पोलिटेक्निक	स्त्रियों के लिये पोलिटेक्निक	जोड़
दिल्ली प्रशासन द्वारा	7	14	17	1	39
अन्य राज्य सरकारों द्वारा	3	–	2	–	5
	10	14	19	1	44

(ख) विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जातियों और कम आय वर्ग के विद्यार्थी शामिल हैं, 28 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार की अनुसूचित जातियों इत्यादि के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सभी योग्य उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और उस सारे खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिए 35400 रुपये प्रति वर्ष का नियतन किया गया है।

(ग) तथा (घ) : अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को वालदेन/अभिभावकों की अधिकतम 500 रुपये की मासिक आय के साथ-साथ ग्रेडिड साधन परीक्षा के आधार पर छात्रवृत्तियां दी गई थी। दिल्ली प्रशासन ने अनुसूचित जातियों (पोलिटेक्निक) के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं, जिनके वालदेन/अभिभावकों की वार्षिक आय 1260 रुपये से 3696 रुपये थी। अन्य राज्यों द्वारा दिल्ली के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के बारे में तदनुरुपी सीमाओं सम्बन्धित सूचना सुलभ नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को 1968-69 के लिए अब तक कोई नई छात्रवृत्ति नहीं दी है। समक्ष अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आय प्रमाण पत्रों के किसी विशिष्ट सत्यापन की विनियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। मंजूरी देने वाला अधिकारी यदि किसी विशिष्ट प्रमाण पत्र से संतुष्ट न हो तो सामान्यतया संदिग्ध मामलों में जांच की जाती है।

खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी समिति

2603. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय--कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय द्वारा नियुक्त खादी ग्रामोद्योग समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में की गयी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए स्थापित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां 7 मई, 1968 को सभा-पटल पर रखी गई थी। प्रतिवेदन के आठवें अध्याय में निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सार दिया गया है। मुख्य सिफारिशों का उल्लेख करने वाला एक विवरण (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा पटल पर रखा जाता हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०291/69]

(ग) प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

Derailment of Goods Train between Bina and Lalitpur

2604. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Goods loaded in 21 wagons were completely destroyed as a result of their derailment between Bina and Lalitpur on the Central Railway on the 8th February, 1969;

(b) if so, the amount of loss suffered thereby; and

(c) the main causes of the accident, the names of the persons held responsible therefor and details of the action taken against them ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) On 8. 2. 1969 thirty three wagons of an Up Diesel Special goods train derailed between Dhaura and Mohasa stations on the Bina Lalitpur section of the Central Railway and twenty one of the derailed wagons also capsized.

(b) The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs 1, 88 778/-.

(c) The cause of the accident is under investigation.

Chain pulling of Passenger train between Jhansi and Manikpur.

2605. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of times the chain of the passenger train running between Jhansi and Manikpur was pulled during the past three months;

(b) the number of persons against whom action was taken in that connection and the nature of action taken; and

(c) the steps that Government propose to take to check recurrence of such incidents ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 271 times during the three months November, 1968 to January, 1969.

(b) No action could be taken as the persons who pulled the alarm chain could not be detected. The co-passengers also did not assist in detecting the offenders.

(c) Efforts are being made to curb this nuisance by holding various types of checks including ambush raids with the assistance of G. R P. and R. P. F. staff. Efforts also continue to be made to secure the co-operation of the travelling public for bringing the offenders to book and to discourage the unlawful use of the alarm chain apparatus.

बिड़ला, टाटा और मफतलाल के समवाय समूहों की आस्तियां

2606. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963-64 और 1966-67 के बीच बिरला, टाटा और मफतलाल के समवाय समूहों की आस्तियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका पृथक-पृथक ब्योरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि में उनके द्वारा कर का भुगतान किये जाने के बाद और उससे पूर्व की अवधि में इनका कुल लाभ कितना-कितना था ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बिड़ला टाटा तथा मफतलाल समूह की कम्पनियों से सम्बन्धित, कम्पनियों की कुल परिसम्पतियां 1963-64 में क्रमशः 292.7 करोड़ रुपयों, 417.8 करोड़ रुपयों तथा 45.9 करोड़ रुपयों की थीं। कथित रिपोर्ट में वर्णित इन कम्पनियों की परिसम्पतियां उपलब्ध सूचना के अनुसार 1966-67 में क्रमशः लगभग 480 करोड़ रुपयों, 547 करोड़ रुपयों तथा 106 करोड़ रुपयों की थीं।

(ग) एकाधिकार जांच आयोग द्वारा इन तीनों समूहों में सम्मिलित की गई कम्पनियों के करों से पूर्व तथा पश्चात के लाभ निम्नलिखित है :-

(करोड़ रुपयों में)

	1963-64		1966-67	
समूह का नाम	कर से पूर्व	कर के पश्चात	कर से पूर्व	कर के पश्चात
1	2	3	4	5
बिड़ला	28.0	17	42.0	29.0
टाटा	37.0	25	44.2	21.2
मफतलाल	4.6	2.4	5.0	3.6

मिथिला एक्सप्रेस में सुरक्षित बर्थ कोटा

2607. श्री शिवचन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर से हावड़ा जानें वाली मिथिला एक्सप्रेस में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और रकसौल स्टेशनों के लिये सुरक्षित बर्थ कोटा होता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्टेशन के लिये उनकी संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1969 को इन स्टेशनों पर पहले ही बर्थ सुरक्षित थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो वे कहां सुरक्षित की गयीं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जिन स्टेशनों का जिक्र किया गया है उनमें से प्रत्येक के लिए शायिकाओं का निर्धारित कोटा नीचे दिया गया है :-

स्टेशन	तीसरे दर्जे में शायिकाओं का निर्धारित कोटा (3-टियर वाली शायिका)
मुजफ्फरपुर	4
दरभंगा	2
रक्सौल	1

(ग) जी हां, रक्सौल के लिए निर्धारित एक तीसरे दर्जे की शायिका को छोड़कर।

(घ) जो शायिका रक्सौल के कोटे के लिए निर्धारित थी, उसे समस्तीपुर से हावड़ा जाने वाले एक यात्री को दे दिया गया ।

मिथिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी में स्थानों का आरक्षण

2608. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिथिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी में समस्तीपुर से तीसरे दर्जे के त्रिशायी और द्विशायी स्थानों के कोटे का आरक्षण 1 जनवरी, 1969 को हो गया था;

(ख) क्या किसी ऐसे यात्री का नाम उस प्रतीक्षा सूची में था, जो समस्तीपुर से 1 जनवरी, 1969 के लिए मिथिला एक्सप्रेस में त्रिशायी डिब्बे में स्थान का आरक्षण चाहता था;

(ग) यदि हां, तो क्या उसे समस्तीपुर में 1 जनवरी, 1969 को मुजफ्फरपुर, दरभंगा और रक्सौल के लिए नियत कोटे में स्थान दिया गया था; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जी हां, एक यात्री प्रतीक्षा सूची पर था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर बिहार का औद्योगिक विकास

2609. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्तर बिहार के औद्योगिक विकास के लिये कोई योजना बनाई है ?

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : देश में औद्योगिक विकास के लिए सरकार समूचे राज्य को एक इकाई के रूप में लेती हैं । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है और उसमें विभिन्न क्षेत्रों जिसमें बिहार राज्य सहित विभिन्न राज्यों में उद्योगों की स्थापना भी सम्मिलित है को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

केरल में कल्याण केन्द्रों की योजना

2610. श्री ई० के० नायनार : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में निम्न वर्ग की महिलाओं के पांच और दस वर्ष की आयु के बच्चों के लिये बालगृह आरम्भ करने हेतु एक सौ कल्याण केन्द्र खोलने की योजना के बारे में सरकार को पता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केरल सरकार ने उपरोक्त योजना के लिये 55 लाख रुपये सहायता के लिये केन्द्रीय कल्याण बोर्ड से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केरल सरकार को इसके लिये 55 लाख रुपये देने का केन्द्रीय कल्याण बोर्ड का विचार है; और

(घ) केरल राज्य में कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान केन्द्रीय सरकार कब तक कर देगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) : नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ज्ञात हुआ है कि राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों को केरल सरकार द्वारा दी गई निधियों में से 31 जुलाई, 1968 तक वेतन दिए जा चुके हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड राज्य बोर्ड की सभी परिसम्पत्तियों तथा देनगियों का 31 जुलाई, 1968 तक, जबकि वह बोर्ड तोड़ दिया गया था, अन्तिम हिसाब लगाते हुए 31 जुलाई, 1968 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वेतनों के अपने हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगा।

लम्बित परियोजनाएं

2611. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय के अधीन कितनी परियोजनाओं की स्वीकृति अभी नहीं दी गई;

(ख) उन में से कितनी परियोजनाएं ऐसी है, जिन पर गत दो वर्षों में फैसला नहीं किया गया; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं की स्वीकृति गत पांच वर्षों में नहीं दी गई, प्रत्येक परियोजना किस-किस वर्ष से विचाराधीन पड़ी हुई है और उन की स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दस

(ख) चार

(ग) एक भी नहीं ।

विदेशी विशेषज्ञों का दौरा

2612. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या इस्पात, तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं की समस्याओं के समाधान हेतु विदेशी विशेषज्ञों को कितनी बार बुलाया गया, उन्हें किन-किन देशों से बुलाया गया, उन्हें किस-किस वर्ष में बुलाया गया, उन को कितनी राशि दी गयी और उन पर कितनी राशि व्यय हुई; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं के लिये विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने की आवश्यकता शीघ्र समाप्त हो जायेगी और यदि हां, तो कब ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : इस समय देश में इस्पात टेक्नोलोजी और परिचालक में दक्षता की उन्नति को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में, विशेषतया नई और जटिल इकाइयों के कुशल परिचालन और संधारण, नई वस्तुओं के उत्पादन, समुन्नत टेक्नोलोजी के प्रयोग, उपकरणों के रूपाकन और निर्माण कार्यों, के लिए विदेशी विशेषज्ञों । प्रविधिज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना अत्यावश्यक है । फिर भी भारत सरकार की यह नीति है कि विदेशी प्रविधिज्ञों की नियुक्ति अनिवार्य आवश्यकता होने पर ही और कम से कम अवधि के लिए की जाय और भारतीय कर्मचारियों को उनके साथ काम सीखने के लिए लगाया जाय ।

प्रत्येक वर्ष के अन्त में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों में काम कर रहे विदेशी प्रविधिज्ञों की संख्या इस प्रकार थी :–

वर्ष	भिलाई	दुर्गापुर	राउरकेला
1959	235	49	–
1960	172	67	85
1961	107	81	154
1962	72	71	218
1963	37	48	239
1964	21	43	95
1965	24	42	90
1966	65	9	23
1967	44	2	20
1968	43	2	81

सामान्यत: विदेशी प्रविधिज्ञ दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिए यू० के० से० राउरकेला इस्पात कारखाने के लिए पश्चिम जर्मनी और आस्ट्रिया से और भिलाई इस्पात कारखाने के लिए सोवियत रूस से आते हैं ।

वित्त वर्ष 1967–68 में विदेशी–प्रविधिज्ञों पर कुल 53.2 लाख रुपये खर्च हुए ।

गोल्डन राक कालोनी के रेलवे कर्मचारी

2613. **श्री मयावन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 फरवरी, 1969 से महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में मूल वेतन में विलय किये जाने के अन्तिम निर्णय के परिणामस्वरूप सरकारी मकानों में रह रहे गोल्डन राक कालोनी के रेलवे कर्मचारियों को निर्धारित किराये या 10 प्रतिशत वेतन से अधिक किराया देना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) किराया वेतन और महंगाई का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 10 प्रतिशत (जैसी स्थिति हो) लिया जाता है, परन्तु वह निर्धारित किराये से अधिक नहीं होता ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

गोल्डन राक वर्कशाप में रेलगाड़ी के माल-डिब्बों का निर्माण

2614. **श्री मयावन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस की मांग को पूरा करने के लिये माल डिब्बों के निर्माण का काम गोल्डन राक वर्कशाप को नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रोत्साहन योजना के फलस्वरूप अनेक पदों को समाप्त कर दिया गया है और गत सात वर्षों से कोई भर्ती नहीं की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि वहां पर क्षमता बेकार पड़ी है और माल डिब्बों के निर्माण के लिये नये कारखानों में इस क्षमता को बदल देने से कर्मचारियों की स्थिति में सुधार होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल कारखानों और निजी क्षेत्र में रूस के लिए माल डिब्बों के निर्माण के आर्डर को वैदेशिक व्यापार और सम्भरण मंत्रालय के अधीन राज्य-व्यापार-निगम द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है और अभी इन आर्डरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । प्रोत्साहन योजना चालू करने के बावजूद भी भर्ती की गयी है ।

(घ) कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद योजना

2616. **श्री न० कु० सांघी** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने उद्योगपतियों, विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगपतियों की वित्तीय सहायता के लिये किराया-खरीद योजनायें आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एक योजना चलाता है जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग एककों को किराया खरीद आधार पर मूल्य का 20 प्रतिशत पेशगी देकर मशीनें दी जाती है, शेष 80 प्रतिशत पांच से सात वर्ष की अवधि में देना पड़ता है। ब्याज 7 प्रतिशत ली जाती है।

उद्योगों की चौथी योजना में क्षमता

2617. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने यह सुझाव दिया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में जितनी औद्योगिक क्षमता के लिये लाइसेंस देने का प्रस्ताव है, उस क्षमता को क्षेत्रवार बांटा जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं पिछले कुछ समय में नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

School in Colony at Kota Railway Station

2618. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the shortage of teachers in the school situated in the colony at Kota Railway Station on the Western Railway has been brought to the notice of Government a number of times; and

(b) If so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Due to present financial position of Railways, it was decided not to augment the number of teachers at Kota for the present.

Construction of Well at Sawai Madhopur Station

2619. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the well being constructed by the Railway Department at Sawai Madhopur station has developed many cracks ;

(b) whether it is also a fact that a person has been arrested in Sawai Madhopur for selling the cement which was to be used for constructing this well;

(c) whether it is also a fact that the construction work of this well has been entrusted to a new contractor who has no experience in the line; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. It is a fact that the well being constructed by the Railway at Sawai Madhopur has developed cracks.

(b) No.

(c) and (d) : Shri Babulal who is the contractor for this work is a zonal contractor on the Kota Division. Digging of well is not a specialized work and is entrusted to contractors with general experience.

उड़ीसा में नई रेल लाइनें बिछाना

2620. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के पश्चिमी भागों का, जो खनिज पदार्थों में समृद्ध हैं, उस राज्य के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत पूर्वी भाग के साथ रेल से कोई भी सम्बन्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेल लाइन की आवश्यकता तथा उपादेयता के बारे में नये सिरे से कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) क्या इस रेल लाइन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : रेलवे का विकास राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में सम्पूर्ण विकास को ध्यान में रख कर किया जाता है। फिर भी, यह विनिश्चय किया गया है कि विमलागढ़–तालचेर रेल सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण शुरू किया जाये और यह निर्माण कार्य 1969–70 के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय सर्वेक्षण पूरा होने और उसका परिणाम का पता चलने के बाद ही किया जा सकता है।

Exports by Hindustan Steel, Ltd.

2621. **Shri Ram Avtar Shastri :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the earnings of the Hindustan Steel Ltd., are constantly increasing because of exports;

(b) If so, the annual earnings on account of such exports during the last five years;

(c) The details of exports to each of the countries separately; and

(d) The brord features of the scheme to further increase such exports ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) and (b) : Earning of Hindustan Steel by exports are increasing. Export earnings of Hindustan Steel during the period from 1964-65 to 1968-69 (upto 31st January 1969) are as given below :

	FOB Value In Million Rupees	
1964–65	14.49	
1965–66	23.40	
1966–67	93.46	
1967–68	309.60	
1968–69 (upto 31-1-1969).	330.90	(Provisional)

(c) The details of exports to important countries during 1968-69 (upto 31st January 1969) and the value there of are as under :

	Provisional FOB Value of Materials exported In Million Rupess
Japan	119.7
U. S. S. R.	119.5
Iran	13.9
Ceylon	13.8
South Korea	12.4
New Zealand	10 8
Other countries.	40.8
	330.9

(d) Hindustan Steel Limited are constantly striving to diversify and expand the range of other products for the export market and to reach and tap new markets abroad.

जमशेदपुर की टिन प्लेट कम्पनी लिमिटेड का विस्तार

2622. श्री सी० के० चक्रपाणि : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमशेदपुर की टिन प्लेट कम्पनी लिमिटेड को उसकी क्षमता का विस्तार करने के लिये एक लाइसेंस दिया गया था यदि हां, तो कब और कितनी क्षमता के लिये;

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने अभी तक इस लाइसेंस का लाभ नहीं उठाया;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

(घ) क्या यह भी सच है कि इस उद्योग ने देश में पहले ही आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो अग्रेतर विस्तार के लिये लाइसेंस जारी करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : मैसर्स टिन प्लेट कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड को अपनी क्षमता में 90,000 टन की पर्याप्त वृद्धि करने के लिए 3 अक्तूबर, 1960 में एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। विस्तार-योजना अभी क्रियान्वित नहीं की गई है। औद्योगिक लाइसेंस की वैधता बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) : देश में पहले से लाइसेंस की गई क्षमता के आधार पर टिन प्लेट के उत्पादन लिए अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

Century Rayon, Bombay

2624. Shri Deven Sen : Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) The total capital of Century Rayon, Bombay;

(b) The quantum of goods exported to each country by them;

(c) The basis and the extent to which the exports have gone up since 1967; and

(d) The number of its share-holders and whether any foreign organisation is also a share-holder ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Century Rayon, Bombay is not an independent company, but only a division of M/s. Century Spinning & Manufacturing Company Ltd.

(b) to (d) : The information is being collected and it will be laid on the table of House.

सालिसिटरों का सम्मेलन

2625. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पश्चिमी बंगाल में इनकारपोरेटेड ला सोसाइटी के तत्वाधान में हाल ही में आयोजित किए गए सालिसिटरों के सम्मेलन में भाषण किया था;

(ख) क्या उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सालिसिटरों को वकालत करने की अनुमति दी जानी चाहिए और सालिसिटरों की नियुक्ति को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए; और

(ग) क्या अधिवक्ता अधिनियम में उक्त आशय का संशोधन करने की प्रस्थापना है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनूस सलीम) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) कोई भी प्रस्थापनाएं नहीं तैयार की गई हैं ।

जोगी गोफा से गोहाटी तक बड़ी रेलवे लाइन

2626. **श्री बसुमतारी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि ब्रह्मपुत्र पर एक ऊपरी पुल बना कर गोआलपाड़ा के रास्ते जोगीगोफा से गोहाटी तक चौड़ी रेलवे लाइन बढ़ा दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या अनुमान तैयार किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : बड़ी लाइन गुवाहाटी तक बढ़ाने से सम्बन्धित प्रस्ताव की आवश्यकता और उसकी अर्थक्षमता का पता लगाने के उद्देश्य से अभी हाल में गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने निचली ब्रह्मपुत्र घाटी की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है । इन अन्वेषणों के पूरा होने और रेलवे बोर्ड द्वारा रिपोर्ट की जांच किये जाने के बाद ही इस परियोजना की अनुमानित लागत की जानकारी हो सकेगी और इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय किया जा सकेगा ।

बम्बई में सुरंग (टयूब) रेलवे

2627. **श्री नन्दकुमार सोमानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने बम्बई में सुरंग रेलवे बनाने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि खर्चने का प्रस्ताव है;

(ग) कलकत्ता में इसी प्रकार की परियोजनाओं की क्या सम्भावना है; और

(घ) क्या इन दो परियोजनाओं के इन्जीनियरी डिजाइन और विशेष विवरण आदि भारतीय इन्जीनियरों द्वारा तैयार किये जायेंगे अथवा इसके लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (घ): योजना आयोग द्वारा नियुक्त महानगर परिवहन दल द्वारा महानगरों में अति द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए प्रारम्भिक अध्ययन किये जा रहे हैं । इस दल की सिफारिशों के आधार पर इस बात से सहमति व्यक्त की गयी है कि इस सम्बन्ध में रेलों पर आने वाले वित्तीय और परिचालनिक उत्तरदायित्व की जांच करने के बाद रेलें 1969-70 के कार्यक्रम में कलकत्ता शहर में अति द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता सम्बन्धी अध्ययन करेंगी । बम्बई के सम्बन्ध में अभी दल की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं । इन सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद योजना आयोग की सलाह से बम्बई

के लिए व्यावहारिकता अध्ययन शुरु किया जायेगा। कलकत्ता और बम्बई प्रत्येक में अति द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए 4.10 करोड के अनन्तिम परिव्यय की व्यवस्था करने का विचार है।

उपर्युक्त व्यावहारिकता अध्ययन पूरे हो जाने के बाद इन्जीनियरिंग अभिकल्पों और इसके लिए अपेक्षित विदेशी सहायता जैसे अन्य मामलों पर ब्योरेवार विचार किया जायेगा।

Backward Classes in U. P.

2629. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The names of castes in Uttar Pradesh which fall under the category of backward classes; and

(b) The fac lities provided by Government to these classes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social welfare (Shri Muthyal Rao) : (a) The Government of India recognise as other Backward classes only the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes and those who satisfy a prescribed economic criterion.

(b) Both these categor es are entitled to the grant of Government of India post-matric scholarships. In addition, welfare programmes have been undertaken for the uplift of the Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes, details of which are given in the annual reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

रेलवे विद्युतीकरण कार्यालय द्वारा किया गया चयन

2630. **श्री गणेश घोष** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विद्युतीकरण के भूतपूर्व महा-प्रबन्धक श्री पी० एन० मूर्ति ने यह सिफारिश की थी कि रेलवे विद्युतीकरण कार्यालय द्वारा किये गये चयनों को अन्य रेलों द्वारा भी स्वीकार किया जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह भी कहा था कि रेलवे विद्युतीकरण कार्यालय द्वारा किये जाने वाले चयनों की प्रणाली और स्तर अन्य रेलों मे बिल्कुल भिन्न नही होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) इस सम्बन्ध में 17-12-1968 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न 4908 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

भारतीय रेलों के महा-प्रबन्धकों की सेवा निवृत्ति

2631. **श्री गणेश घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में श्री पी० एन० मूर्ति ही एक मात्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जिन्हें महा-प्रबन्धक का पद मिला है;

(ख) क्या यह सच है कि श्री मूर्ति अपनी सेवा निवृत्ति की सामान्य तिथि से आठ महीने पहले महाप्रबन्धक के पद से सेवा निवृत्त हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके समय से पूर्व निवृत्त होने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत दस वर्षों में भारतीय रेलों में कौन-कौन से महाप्रबन्धक समय से पूर्व सेवा निवृत्त हुए हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) श्री मूर्ति ने 26-8-67 से 3-4-68 तक निवृति-पूर्व छुट्टी ली थी और

(ग) 4-4-68 को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर सेवा-निवृत्त हो गये ।

(घ) कोई नहीं ।

Memorandum by Delhi-Meerut Daily Passengers Association

2632. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a memorandum of demands has been submitted to the Northern Railway by the Delhi-Meerut Daily Passengers Association on the 19 February, 1969; and

(b) if so, the details of such demands are being accepted by Government out of those which pertained to the running of trains, and the reasons for not accepting the rest of the demands ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) The demands made are for introduction of an additional pair of shuttles between Meerut and Delhi, reduction in the journey time of 372 Dn. Hardwar-Delhi passenger, punctual running of 19 Up Bombay-Dehradun Express, and advancement of timings of 4 DSU Ambala-Delhi Passenger and 2 NM Meerut City-New Delhi shuttle.

Introduction of an additional pair of shuttles between Meerut and Delhi and advancement of the timings of 4 DSU and 2NM are not operationally feasible at present. 372 Dn. Hardwar-Delhi Passenger is being accelerated by 45 mts. from 1-4-69. Every feasible effort is being made to improve the punctuality of 19 Up Bombay-Dehradun Express.

Trains running between Meerut and Delhi

2633. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Meerut district is a part of Delhi Master plan and is at present suburb of Delhi and that Meerut has been included in the time table of local and suburban trains;

(d) if so, the reasons for which the speed of the trains running between Meerut and Delhi is as low as that of trains running in distant rural areas; and

(c) the reasons for which Government do not curtail the running time of suburban trains between Delhi and Meerut as has been done in the case of suburban trains running in Calcutta and Bombay ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Meerut District is not a part of the Delhi Master Plan. It is, however, a fact that certain trains run between Meerut City and Delhi/New Delhi and are included in the pocket Time Table of local and suburban trains issued by the Northern Railway.

(b) and (c) : The local trains serving Meerut City and other points around Delhi/New Delhi are run at the highest speeds consistent with traffic requirements and available operational facilities. No comparison is possible with speeds of suburban and local trains in Calcutta and Bombay areas, which are electrified.

भारतीय फर्मों के साथ विदेशी निर्माताओं का सहयोग

2634. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने और किन-किन विदेशी निर्माताओं को भारतीय फर्मों के साथ सहयोग व्यवस्था है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी के बिक्री और लाभ के वार्षिक आकड़े क्या है;

(ग) प्रत्येक को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई;

(घ) प्रत्येक कम्पनी को निर्यात से कितनी आय हुई; और

(ङ) इस के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) से (ङ): 1960-68 के वर्षों में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी करारों की संख्या 2570 है। स्वीकृत किये गये करारों की त्रैमासिक सूची जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के नाम होते है उद्योग व्यापार पत्रिका में प्रकाशित की जाती है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। भारत के रिजर्व बैंक ने सर्वे रिपोर्ट आन फचारेन कोलैबोरेशन इन इंडियन इंडस्ट्री शीर्षक से एक रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ इस समय वास्तविक रूप से चालू विदेशी सहयोग करारों का मूल्यांकन किया गया है और इसमें निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित हैं :—

1. कुछ लाभ लगाई गई पूंजी के प्रतिशत के रूप में उद्योगवार।
2. कुल उत्पादन मूल्य (फैक्टरी से निकलते समय के विक्रय मूल्य के आधार पर)।
3. आयात मूल्य।
4. निर्यात मूल्य।
5. लाभांश, रायल्टी तथा तकनीकी शुल्क के रूप में दिया गया रुपया। सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

मैसूर में रेलवे सुविधाओं का विस्तार

2635. **श्री जे० एच पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने मैसूर राज्य में रेलवे सुविधाओं के विस्तार के लिए एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे का विकास राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में सम्पूर्ण विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि गुन्तकल्ल और धर्मावरम् के बीच एक समानान्तर नयी बड़ी लाइन बनाने और धर्मावरम्-बेंगलूरु मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। 1969–70 में कोट्टूर-हरिहर रेल सम्पर्क के लिए भी सर्वेक्षण करने का विचार है। इसमें वैकल्पिक लाइन के रूप में यशवंत नगर और चित्रदुर्ग के बीच रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण भी शामिल है।

रेलों के डिवीजनल कार्यालयों तथा मुख्यालयों की कर्मचारी वर्ग शाखाएं

2636. **श्री सूरजभान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलों के डिवीजनल कार्यालयों तथा मुख्यालयों की कर्मचारी वर्ग शाखाओं में लिपिक वर्ग रखने की कसौटी क्या है;

(ख) क्या उस कसौटी के अनुसार ही वहां पर कर्मचारी रखे जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उस कसौटी के अनुसार कर्मचारी देने के लिए रेलवे विभाग का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यालयों में अधिक अच्छी तरह ध्यान दिया जा सके ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : कुछ रेलों ने कार्मिक शाखाओं के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में मापदण्ड निर्धारित किया है जबकि अन्य रेलों में कर्मचारी-सम्बन्धी आवश्यकताएं वास्तविक कार्यभार के आधार पर निश्चित की जाती हैं। कार्मिक शाखाओं की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी और इस समिति ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए जो सिफारिशें की हैं, उन्हें अमल में लाया जा रहा है। उक्त समिति की काम की प्रक्रियाओं के सरलीकरण से सम्बन्धित सिफारिशों को अमल में लाने पर कर्मचारियों के कार्यभार में अन्तर पड़ेगा। रेलों में कार्मिक शाखाओं के काम पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है ताकि काम सुचारू रूप से होता रहे।

Branch line from Hajipur to Valmiki Nagar

2637. **Shri K M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the need for construction of a branch line from Hajipur Station of the North-Eastern Railway to Valmiki Nagar via Lalganj, Sahibganj, Kesaria and Govind Ganj;

(b) the extent of revenue likely to be earned from this proposed line; and

(c) in case no profit is expected from the saide line, the extent of loss likely to be suffered therefrom ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c) : Representations for construction of a rail link in this area have been received. As no surveys for the proposed rail link were carried out in the past, it is not possible to indicate the extent of revenue that the proposed line would earn or the loss if any. It may however be mentioned that the limited funds and resources available for new lines and conversions in the Fourth Five Year Plan will have to be conserved for essential schemes required for defence purposes, port and major industrial development and for moving heavy mineral traffic. On this basis, the proposed railway line may not merit priority for consideration during the Fourth Plan and may have to wait for better times for consideration.

Railway Road connecting Chakia Bazar

2638. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the poor condition of the railway road connecting Chakia Bazar, near the Chakia Railway station on the Muzaffarpur-Narkatiaganj section of the North-Eastern Railway;

(b) if so, the reasons for which the work relating to the conversion of this road into a pacca road has not so far been completed;

(c) whether Government have contemplated any steps to carry out necessary repairs of this road and to drain out water from there keeping in view the difficulty that the people in the Chakia Bazar have to face during rainy season;

(d) if so, details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No such representation has been received in the recent past.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) to (e) : Existing water bound macadom road has been repaired from time to time and further repairs are being taken up. There is difficulty in drainage of water due to lack of culvert in the P. W. D. road to which Railway Road joins. Matter is being taken up with P. W. D. authorities for providing necessary culvert.

Suspension of Traffic on Gumti towards west of Pipra Station

2639. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that traffic on the Gumti towards the West of Pipra Station on Muzaffarpur-Narkatiaganj line on the North-Eastern Railway remains suspended for hours together during the day and even longer at night due to absence of a Gate-keeper there;

(b) if so, the reasons for not posting a person there; and

(c) how long Government would take to remove this difficulty ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, the gates of the level crossing at the West of Pipra Station, whose normal position is open to road traffic during day and night, are operated by the on-duty pointsman.

(b) and (c) : Do not arise.

Export of Steel

7640. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the name of the countries to which steel and its products are exported by India and the quantity of export to each of those countries;

(b) whether it is a fact that the steel manufactured in India is of inferior quality as compared to that manufactured in West Germany, U. S A. and U. S S. R. due to which foreign market for Indian Steel has not been favourable:

(c) if so, the steps taken by Government to remove these deficiencies; and

(d) if no steps have been taken, the reason thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K.C. Pant): (a) A statement showing the quantities of pig iron and steel exported from India during April-December, 1968 destination-wise is down the Table of the House [Placed in Library See No. 292/69]

(b) No, Sir.

(c) and (d) : Do not arise.

दक्षिण रेलवे में फायरमैनों के विरुद्ध कार्यवाही

2641. **श्री किरुतिनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में तिरूचिरापल्ली के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेंट ने अनेक फायरमैनों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की है और बाद में उन सबको सेवा से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो नाम और अपराध के ब्यौरे सहित कितने व्यक्तियों को नोटिस दिया गया तथा कितने व्यक्तियों को सेवा से निकाल दिया गया; और

(ग) किन–किन व्यक्तियों ने अपने मामलों में सरकार से अपील की है और उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण रेलवे के वर्कशाप कर्मचारियों को सेवा से हटाना

2642. **श्री मयावन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में ऐसे मामले हैं जहां वर्कशाप कर्मचारियों को, जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर कम दण्ड दिया गया था, को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण, अपील में सेवा से हटा दिया;

(ख) क्या अपील में अधिक दण्ड देने के वैध तथा तर्कसंगत कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो ठीक कारण क्या हैं तथा 1966 से अब तक कितने मामले हुए हैं ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, 1966 से पहले।

(ख) विशेष अपराधों के लिए विशिष्ट दण्ड देने की व्यवस्था नियमों में नहीं है और प्रत्येक मामले का निर्णय अनुशासनिक या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाता है।

(ग) 1966 से अब तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में अर्जित भूमि के मालिकों को रोजगार देना

2643. **श्री शम्भू नाथ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं जिन की भूमि अर्जित की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के सतर्कता विभाग का ध्यान भी एक शिकायत की ओर दिलाया गया था और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना के लिये जिन हरिजनों की भूमि अर्जित की गई थी उन में से किन-किन व्यक्तियों को डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में नियुक्त किया गया ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की वर्गोन्नति

2644. **श्री शम्भू नाथ** : क्या रेलवे मंत्री 18 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन रेलवे मंत्री द्वारा 7 जनवरी, 1969 को एक वक्तव्य जारी किया गया था कि अधिकारियों के समान तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की वर्गोन्नति का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है और भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ ने भी अभ्यावेदन किया है; और

(ख) काम में वृद्धि और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यालयों के क्लेरिकल स्टाफ तथा अन्य संबद्ध कर्मचारियों के पदों की वर्गोन्नति करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : ऐसे कर्मचारियों को जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गये हैं, राहत देने के सवाल पर विस्तार से जांच की जा रही है। इस संबंध में नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन्स से भी एक पत्र मिला है। उसकी भी जांच की जा रही है।

बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों के लिये वजीफा

2645. **श्री यशपाल सिंह** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितने योग्य बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वजीफे दिये गये;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उनके विभाग तथा शिक्षा मंत्रालय के बीच कोई समन्वय स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) भारत सरकार ने 1967-68 में बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों को शैक्षिक/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 27 छात्रवृत्तियां दी थी। बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां देने की कोई योजना नहीं है।

(ख) तथा (ग) : कोई समन्वय अपेक्षित नहीं है।

राजेन्द्र पुल के निर्माण के लिये भूमि का अर्जन

2646. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में राजेन्द्र पुल के निर्माण के लिये कितनी भूमि अर्जित की गई थी;

(ख) इस प्रकार अर्जित की गई भूमि में से कितनी भूमि की अब पुल के लिये आवश्यकता नहीं है;

(ग) उक्त भूमि में से कितनी भूमि कृषि के लिये उप-पट्टे पर दी हुई है;

(घ) क्या भूमि के मूल मालिकों ने मांग की है कि रेलवे की आवश्यकता से अधिक भूमि उन्हें वापिस की जाये; और

(ङ) उक्त मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (डा० सुभग सिंह) : (क) 1439.72 एकड़।

(ख) 541.65 एकड़।

(ग) कुछ भी नहीं।

(घ) जी नहीं। उन लोगों ने केवल यह मांग की थी कि फालतू भूमि लाइसेंस पर दे दी जाय।

(ङ) फालतू भूमि को लाइसेंस पर देने के लिए मुंगेर के कलक्टर से अनुरोध किया गया था।

बरौनी जंक्शन पर टिकट घर

2647. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगेर जिले के बरौनी जंक्शन पर सब श्रेणियों के लिये केवल एक ही टिकट घर है;

(ख) क्या सरकार को जंक्शन के दूसरी ओर एक और टिकट घर खोलने की जोरदार मांग का पता है; और

(ग) सरकार की इस मांग के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) बरौनी रेलवे स्टेशन पर दूसरे टिकट घर की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

"अप एण्ड डाउन" यात्री गाड़ियां

2648. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950-51 में दिल्ली-कलकत्ता, इटारसी होते हुए दिल्ली-बम्बई, रतलाम होते हुए दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास, नागपुर होते हुए, बम्बई-कलकत्ता तथा इटारसी होते हुए बम्बई-कलकत्ता "अप एण्ड डाउन" कितनी यात्री गाड़ियां चलती थीं तथा अब कितनी गाड़ियां चलती हैं; और

(ख) उपरोक्त क्षेत्र के कुछ सेक्शनों की अवेहलना तथा उन पर पर्याप्त गाड़ियों की की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सूचना नीचे दी गई है:-

मार्ग	दोनों ओर से आने-जाने वाली गाड़ियों की संख्या (1950-51 में खण्डीय गाड़ियों को छोड़कर)	इस समय चलने वाली ऐसी गाड़ियों की संख्या
(i) दिल्ली-हावड़ा (मुख्य लाइन रास्ते)	4	4
(ग्रांड कार्ड के रास्ते)	1	1*
(ii) दिल्ली–बम्बई (इटारसी के रास्ते)	2	2
(iii) दिल्ली–बम्बई (रतलाम के रास्ते)	2	4
(iv) दिल्ली–मद्रास	1	3

(v) बम्बई–हावड़ा (नागपुर के रास्ते)	1	2%
(vi) बम्बई हावड़ा (इटारसी और इलाहाबाद के रास्ते)	1	2

(ख) यातायात में होने वाली वृद्धि को सम्हालने के लिए उपलब्ध साधनों जैसे लाइन क्षमता, चल–स्टाक आदि को देखते हुए विभिन्न मार्गों/खंडों पर अतिरिक्त गाड़ियां चलायी गयी हैं। इस मामले में किसी खंड की उपेक्षा करने या भेदभाव बरतने का कोई प्रश्न नहीं है। अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के उद्देश्य से कुछ खंडों पर अतिरिक्त क्षमता विकसित की जा रही है।

*इसमें सप्ताह में तीन बार वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ी और सप्ताह में दो बार चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी शामिल नहीं है।

%इसमें सप्ताह में एक बार चलने वाली वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ी शामिल नहीं है।

आस्ट्रेलिया से मोटर गाड़ी बनाने वाला संयंत्र

2649. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री ई० के० नायनार :
श्री पो० राममूर्ति :
श्री गणेश घोष :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री अविचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया से जेटा कार के निर्माताओं ने दिल्ली की किसी फर्म को प्रति वर्ष 12,000 छोटी कार निर्माण करने के एक पूरे संयत्र का उपहार के रूप में देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) क्या भारतीय फर्म ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : भारत में जेटा कार बनाने के लिए दिल्ली की जिस फर्म ने प्रस्ताव किया है उस ने सूचित किया है कि आस्ट्रेलिया के सहयोगियों ने 12,000 छोटी कारें प्रति वर्ष निर्माण करने के एक संयंत्र को उपहार में देने का प्रस्ताव किया है। उपहार का पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं है यह फर्म से मांगी गयी है।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कच्छ पंचाट को क्रियान्वित करने के मामले में पाकिस्तान द्वारा उठाया गया कथित विवाद

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें-:

"कच्छ पंचाट को क्रियान्वित करने के मामले में पाकिस्तान द्वारा उठाया गया कथित विवाद ।"

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : 5 मार्च, 1969 के टाइम्स आफ़ इन्डिया में प्रकाशित एक खबर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि कच्छ फैसले पर अमल करने की दिशा में कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं।

सदन को मालूम ही है कि कच्छ फैसले पर अमल करने के लिए भारत और पाकिस्तान द्वारा एक व्यवस्था कायम की गई थी। इस फैसले द्वारा निर्धारित सीमा पर निशान लगाने के काम का सर्वेक्षण करने के लिए, दोनों देशों के अधिकारियों की समय-समय पर बैठकें होती रही हैं। इन बैठकों का यह उद्देश्य यह रहता है कि सीमा के वास्तविक रेखांकन के बारे में अगर दोनों पक्षों में कोई मतभेद खड़ा हो तो उसे दूर किया जाए।

पाकिस्तान सरकार ने हमसे अनुरोध किया है कि जिस जगह पर नियन्त्रण स्तम्भ नम्बर 6 बना है वहां के बारे में दोनों पक्षों के बीच मतभेद को निपटाने के लिए प्रतिनिधियों की एक और बैठक बुलाई जाए। उम्मीद है कि इस मामले पर विचार करने के लिए दोनों प्रतिनिधियों की बैठक जल्दी ही होगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कच्छ फैसले के अन्तर्गत सीमांकन के नियम पहले ही निर्धारित कर लेने के बावजूद वास्तविक रेखांकन कार्य में कठिनाई उत्पन्न हो गई है। क्या यह सच है कि स्तम्भ स्थापित करने का कार्य एक ही वर्ष में पूरा हो जाना चाहिये था परन्तु पाकिस्तान इसमें जानबूझ कर विलम्ब कर रहा है ? क्या इसका वहां पर हो रही उथल पुथल से कोई सम्बन्ध है ?

जिस क्षेत्र के बारे में अब विवाद खड़ा हो गया है उसका क्षेत्र कितना है और क्या पाकिस्तान इसे तेल वाला क्षेत्र समझता है और इसीलिये वह अपने देश में मिलाना चाहता है ? क्या यह सच नहीं है कि इस फैसले में ऐसा उपबन्ध है कि उस मामले को, जिसके बारे में कोई मतभेद हो, न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाये और यदि हां, तो इस मामले को न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट न करने और अधिकारियों का एक और सम्मेलन बुलाने के क्या कारण हैं ?

श्री दिनेश सिंह : कच्छ फैसले को क्रियान्वित करने के लिये बनाये गये नियमों के अन्तर्गत इस समूचे कार्य का अधीक्षण करने के हेतु प्रत्येक देश ने अपना एक-एक प्रतिनिधि

नियुक्त किया है जिनकी दो बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के अधिकारियों की समय समय पर बैठकें होती रही हैं। इन अधिकारियों ने स्तम्भ संख्या 6 के मामले को छोड़कर अन्य सभी मतभेद दूर कर लिये हैं। उक्त स्तम्भ ऐसी पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 31 मीटर, आकार 300 गज और क्षेत्र 22 एकड़ है। इस विवाद को सुलझाने के लिये अब पाकिस्तान ने दोनों प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया है।

स्तम्भ दो चरणों में स्थापित किये जाने थे। पहले चरण में नियंत्रण स्तम्भ स्थापित किये जाने थे और यह कार्य 25 मार्च, 1968 से 15 मई, 1968 की अवधि में पूरा किया जाना था। दूसरे चरण में वास्तविक सीमा स्तम्भ स्थापित किये जाने थे और यह कार्य 1 अक्तूबर, 1968 से 31 मार्च, 1969 की अवधि में पूरा किया जाना था। 59 नियंत्रण स्तम्भ पहले ही स्थापित कर दिये गये हैं और अब सीमा स्तम्भ स्थापित किये जा रहे हैं। अनुमान है कि कोई 800/900 स्तम्भ स्थापित करने पड़ेंगे। इनमें से 400 स्तम्भ पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं।

आशा है, उक्त विवाद भी सुलझ जायेगा।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): Sir, it is known that whenever there are some political development in Pakistan, the Pakistan rulers try to incite anti-India feelings amongst their people and the present controversy which has been raised by Pakistan over the issue of implementation of Kutch Award in that very context.

The presumption that the intention of Pakistan about the whole dispute about the Rann of Kutch has been to grab more and more oil bearing areas in the Rann of Kutch has been proved true. In the case of the present controversy also its intention is the same as according to press reports Pakistan had started oil drilling work in the Kanjarkot area even before the demarcation was done. In veiw of all this, will Government give us an assurance to this effect that now onward no more land will be handed over to Pakistan in charity.

Shri Dinesh Singh: There was a press report about oil drilling and accordingly the Government of Gujarat had been asked to inform us about the facts. They have pointed out that they have no information about oil drilling work being carried out in that area.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has just stated that no oil wells are being dug by Pakistan. But you might have read this news-item in the "Statesman" of to-day that the Chairman of Oil and Natural Gas, Mr. Johnson has stated that Pakistan is digging oil wells in the Kutch area. In view of the fact that Pakistan intends to grab more land, will the hon. Minister give a categorical assurance to this House that keeping in view the provisions of the Kutch Award not a single inch of Indian land will be handed over to Pakistan beyond the Kutch Award.

May I also know whether the oil drilling being done by Pakistan will adversely affect our interests and if so, whether an enquiry will be made and action taken into the matter.

Shri Dinesh Singh: Mr. Speaker, as has been stated by the hon. Member, the matter has already been enquired into and the information about the outcome thereof has already been given to the House. I have no control over what is published in the newspapers. The facts have been ascertained and they are that Pakistan is not doing any oil

drilling work in the area about which a controversy has now been raised. We are not concerned with the drilling work being carried on by Pakistan in the Kutch area on the other side of the border.

As regards the assurance asked for, I can say that we will not hand over any Indian land Pakistan.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : सीमांकन का कार्य तो कच्छ फैसले के साथ सलंग्न नक्शे के अनुसार होना है तो 22 एकड़ क्षेत्र के बारे में जो विवाद खड़ा हो गया है उसका क्या औचित्य है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है तो उसमें गुजरात सरकार के उन विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है जो उस क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां । पंचाट की क्रियान्विति तथा उस क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य के सम्बन्ध में बातचीत में गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है ।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि झगड़ा कैसे उत्पन्न हुआ है, यह विवाद उस क्षेत्र विशेष के स्वरूप के कारण खड़ा हुआ है । वास्तविक सीमांकन करने के लिये कुछ नियम बनाये गये है जिनमें व्यवस्था है कि यदि किसी क्षेत्र की नोक अथवा कुछ भाग सीमा की दूसरी ओर आता है तो बांटने की बजाए उसे दूसरे देश को सौंप दिया जाये और उसके बदले में दूसरे देश का कोई ऐसा ही भाग पहले देश को दे दिया जाये । परन्तु ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि ऐसा उचित सीमा तक ही किया जाये । इसी कारण यह मामला विचाराधीन है ।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम आदि के अन्तर्गत पत्र

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:–

(एक) (क) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ख) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) (क) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 1966–67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) (क) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1966–67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 1966–67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[सभा-पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 272/69]

(2) ऊपर की मद (1) की (दो) और (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

(3) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अधीन सिनेमा कार्बन (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 12 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2543 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण।

[सभा-पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 273/69]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उप धारा (3) के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 416 की एक प्रति जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[सभा-पटल पर रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 274/69]

(5) (एक) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क की उप-धारा (2) के अधीन इण्डियन इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(क) एस० ओ० 3278 जो दिनांक 10 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ख) एस० ओ० 3896 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग) एस० ओ० 3973 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(घ) एस० ओ० 4100 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ङ) एस० ओ० 4200 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(च) एस० ओ० 4298 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छ) एस० ओ० 4379 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण ।

[सभा-पटल पर रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० 275/69]

स्पिरिटयुक्त पदार्थ (अन्तर्राज्य व्यापार तथा वाणिज्य) नियन्त्रण अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनायें

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) स्पिरिटयुक्त पदार्थ (अन्तर्राज्य व्यापार तथा वाणिज्य) नियन्त्रण अधिनियम, 1955 की धारा 2 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 308 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 312 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 25 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) एस० ओ० 311 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 315 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 25 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(2) स्पिरिटयुक्त पदार्थ (अन्तर्राज्य व्यापार तथा वाणिज्य) नियन्त्रण अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 309 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 313 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 25 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) एस० ओ० 310 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 314 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 25 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[सभा-पटल पर रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 276/69]

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

चौथा प्रतिवेदन

श्रीमती सावित्री श्याम (आंवला) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

साक्ष्य

श्रीमती सावित्री श्याम : मैं "गाडगिल आश्वासनों" के अधीन सहायता के लिए दिल्ली के बेला रोड शरणार्थी बरफखाना संघ के प्रधान से प्राप्त एक अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं।

सभा–कार्य समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

इक्कतीसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मै प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सभा-कार्य समिति के 31वें प्रतिवेदन से, जो 10 मार्च, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सभा-कार्य समिति के 31वें प्रतिवेदन से, जो 10 मार्च, 1969 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सामान्य आयव्ययक, 1969-70 सामान्य चर्चा-(जारी)

GENERAL BUDGET, 1969-70 GENERAL DISCUSSION-(Contd.)

डा० प० मंडल (विष्णुपुर) : पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का अभाव है जिस की पूर्ति करने के लिए सन्थाल्ड ताप बिजली कारखाने तथा बदेल ताप बिजली कारखाने की शीघ्र स्थापना करना अत्यावश्यक है परन्तु खेद है कि इस कार्य में प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि अपेक्षित धनराशि नहीं मिल रही है। यद्यपि सरकार ने ठेकेदारों का काफी धन देना है, तथापि वह इस का भुगतान नहीं कर रही है। नतीजा यह है कि ठेकेदार मजदूरों की छंटनी कर दी है क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है कि वे मजदूरी दे सकें।

पश्चिम बगाल में इस समय जो गैर-कांग्रेसी सरकार है उसकी धन तथा खाद्य सम्बन्धी कानूनी मांग को पूरा करना भारत सरकार का कर्त्तव्य है। अतः उनकी मांगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाना चाहिये। जिससे वहां के लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। वैसे भी पश्चिम बंगाल को जितनी आय होती है उसका तीसरा भाग केन्द्रीय सरकार ले लेती है। इसी तरह पटसन तथा चाय से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय का भी एक बड़ा भाग भारत सरकार ले लेती है। यदि वहां पर पटसन की बजाये अनाज उगाना आरम्भ कर दिया जाये तो वहां पर अनाज की कमी को पूरा किया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने से पटसन से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय से भारत सरकार को वंचित होना पड़ेगा। अतः पश्चिम बंगाल सरकार को समुचित धनराशि उपलब्ध की जानी चाहिये जिससे वहां पर जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका विकास हो सके। मैं बकुरा जिले से आता हूं और वह सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर अभी तक कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके।

कंसाबती परियोजना के पूरा न होने के कारण मिदनापुर में अब भी प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इसके पूरा हो जाने से मिदनापुर का तो कल्याण होगा ही परन्तु वहां पर 8 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई भी की जा सकेगी और इस से अधिक अन्न उगाओ अभियान भी सफल हो सकेगा। अतः इस परियोजना को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये।

यदि आप चाहते हैं कि भारत शीघ्र अनाज में आत्मनिर्भर हो जाये, तो इसके लिये यह आवश्यक है कि उर्वरकों तथा पम्पों पर क्रमशः दस प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत का विशेष शुल्क लगाने के प्रस्तावों को वापस ले लिया जाये। अन्यथा कृषि उत्पादन में प्रगति रुक जायेगी। मिट्टी के तेल पर भी कर नहीं लगाया जाना चाहिये। किसानों पर धन कर लगाने न लगाने का प्रश्न राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। इसीलिये सभी राज्यों ने इस पर आपत्ति की है।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। यह अच्छा होता यदि इसके मुख्य कार्यालय को दिल्ली से हटा कर कलकत्ता में भेज दिया जाता क्योंकि लगभग एक हजार मील की दूरी से इससे वह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है जिस के लिए इसे स्थापित किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो अपव्यय हो रहा है उसके मैंने दृष्टांत कल आप के सामने रखे थे। इस के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में भी अपव्यय हो रहा है। इन सब बातों

को ध्यान में रखते हुये वित्त मत्री के 150 करोड़ रुपये के कर लगाने के जो प्रस्ताव हैं उन्हें वापस ले लेना चाहिये और 250 करोड़ रुपये के घाटे के बिना ही एक सन्तुलित आयव्ययक प्रस्तुत करना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : बजट के पेश किये जाने के तुरन्त बाद से ही सिमेंट, डालडा और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं । अत: वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह एक अधिसूचना जारी करें कि यदि कोई व्यक्ति मूल्यों में वृद्धि करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जायेगा ।

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढ़का) : किसी भी बजट को मितव्ययिता और साम्यता की कसौटी पर आंका जाता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

पहले मैं मितव्ययिता की कसौटी को लेता हूं । अब तक अनुसरण की गई आर्थिक नीति पर मैं दो पहलुओं से विचार करना चाहता हूं । एक तो यह कि 18 वर्षों की योजना के परिणामस्वरूप साधारण व्यक्ति को क्या लाभ पहुंचा है और दूसरा यह कि विनियोजना का तरीका क्या रहा है । यदि हम 1948-49 को एक आधार वर्ष के रूप में लें तो हम देखेंगे कि 1951 से हमारी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 249 से बढ़ कर 1966 में 298 हो गई । इस वृद्धि की दर 2 प्रतिशत है । यदि हम अपनी राष्ट्रीय आय में से विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त पूंजी को निकाल दें, तो हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि एक प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

यदि हम राष्ट्रीय आय के दूसरे पहलू को देखें तो हमें पता चलेगा कि 1961 से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सही मानों में नहीं बढ़ी है । यदि आप आय के वितरण के मामले को लें तो हालत और भी चिंताजनक है । चाहे आप ग्रामीण क्षेत्रों को लें चाहे शहरी क्षेत्रों को, दोनों ही क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक लोग निर्धनता के स्तर से नीचे रहते हैं । सरकारी अभिलेखों, खेतीहर मजदूरों के सर्वेक्षण, आय वितरण के सर्वेक्षण सभी से एक निष्कर्ष निकलता है कि गत 18 वर्षों में दरिद्रनारायणों की दरिद्रता दूर नहीं हुई है । यह बात वस्तुओं के उत्पादन और उनके उपभोग से भी सिद्ध होती है । जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं जैसे सूती वस्त्र, वनस्पति, मिट्टी का तेल, साबुन चीनी आदि का उत्पादन 10 या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा और अमीर लोगों के उपभोग की वस्तुओं जैसे वातानुकूलकों, प्रशीतकों, कृत्रिम धागों, बिजली के पखों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है । 1955 में 2000 कक्ष वातानुकूलकों का निर्माण होता था जबकि 1966 में उनका उत्पादन बढ़कर 17900 हो गया । बिजली के पखों का उत्पादन 282000 से बढ़कर 1292000 हो गया और प्रशीतकों की संख्या 500 से बढ़कर 38100 हो गई ।

प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ ? यदि देश में पूंजी विनियोजन की स्थिति को देखे तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि हमने कृषि की उपेक्षा की है और आज भी उसकी उपेक्षा की जा रही है । वित्त मन्त्री ने इस आय-व्ययक में भी यही नीति अपनाई है । उदाहरण के लिए

रूरकेला में 400 करोड़ रुपये लगाये गये हैं जिससे केवल 100 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन हो रहा है। गत वर्ष उसमें 7 करोड़ रुपये की हानि हुई इसके विपरीत नागार्जुन-सागर बांध पर 170 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई जिससे 26 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और प्रत्येक एकड़ से 300 रुपये से 400 रुपये की उपज होगी। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 170 करोड़ रुपये से कृषि क्षेत्र में विनियोजन से कितना अधिक लाभ हुआ। लोहे तथा इस्पात के उद्योगों पर लगभग 1750 करोड़ रुपये विनियोजित किये गये और उससे हानि हो रही है जबकि कृषि पर भी लगभग इतनी ही पूंजी लगाई गई जिससे 1 करोड़ एकड़ भूमि की कृषि भूमि में वृद्धि हो गई है। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का भी यह कहना है कि यदि सिंचाई परियोजना पर अगले सात वर्षों में 1700 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जा सकी तो 2 करोड़ 30 लाख एकड़ भूमि को सींचा जा सकेगा। इसी सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि अब हमें पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित किया जाये अथवा नर्मदा नदी पर कोई सिंचाई परियोजना बनाई जाये। अतः वित्त मन्त्री से मेरा यह अनुरोध है कि वह यदि दरिद्रनारायणों की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य ही सिंचाई परियोजनाओं के लिए ससाधन जुटाने होंगे जिससे देश में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। वित्त मन्त्री को चौथी पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार होने के नाते, उसमें उद्योगों की अपेक्षा सिंचाई के लिए अधिक विनियोजन की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि वे कृषि को तरजीह देने के पक्ष में होते, तो वे उर्वरक कर पम्पों पर कर और कृषि सम्पत्ति कर न लगाते।

उर्वरकों, पम्पिंग सेटों और कृषि सम्पत्ति पर कर लगाये जाने का कारण वित्त मन्त्री ने यह बताया है कि सिंचाई उर्वरकों और कृषि की विकसित तकनीक का लाभ उठाने वाले किसानों से कर के रूप में कुछ धन एकत्र करके उसे कृषि में ही लगाया जाये, जिससे छोटे किसान भी इनसे लाभान्वित हो सकें। उनका विचार है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ किसान ऐसे हैं जो कृषि से लाभ कमा रहे हैं और जिनसे कुछ धन कर के रूप में लिया जाना चाहिये, क्योंकि उन्होंने उर्वरकों, सिंचाई आदि से लाभ उठाया है जिस पर सरकार ने पूंजी लगा रखी है। मेरे विचार से वित्त मन्त्री का तर्क दिखावा मात्र है। वास्तविक कारण तो यह है कि वे ग्रामीण लोगों, विशेषकर किसानों पर कर लगाना चाहते थे। वित्त मन्त्री ने स्वयं यह माना है कि चूंकि प्रतिवर्ष कृषि उपज और उसके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं इसलिए उन पर कर लगाया जाना उचित है। उन्होंने कृषि आय और कृषि सम्पत्ति में परिवर्तन किया है। कृषि सम्पत्ति पर कर लगाया गया है। शायद उनका आशय यह है कि कृषि आय तो घटती बढ़ती रहती है परन्तु कृषि सम्पत्ति तो स्थिर रहती है। इसलिए चाहे किसी वर्ष कृषि से कृषक को आय हो चाहे न हो, परन्तु उसे कृषि सम्पत्ति कर तो देना ही होगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि आप कृषि आय पर तो कर लगा सकते हैं परन्तु कृषि सम्पत्ति पर कर लगाना उचित नहीं है, क्योंकि उस सम्पत्ति से आय घटती-बढ़ती रहती है।

यदि विनियोजन की दृष्टि से देखें तो यह मालूम होगा कि कृषि पर भूमि, श्रम और पूंजी के रूप में जितना विनियोजन किया जा रहा है उतना उससे उत्पादन नहीं हो रहा है। यही कारण है किसान ऋणग्रस्त होते जा रहे हैं। स्टेट बैंक से भी यह कहा जा रहा है कि वह किसानों को ऋण दे। इससे यह प्रतीत होता है कि हम किसानों को पर्याप्त ऋण नहीं दे रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि किसानों का औसत रूप से स्तर बढ़े तो हमें ऐसा

प्रयत्न करना होगा जिससे विकसित कृषि तकनीकी का लाभ छोटे किसानों को भी पहुँच सके। किसानों ने जैसे ही उर्वरकों और अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग शुरू किया था, वैसे ही सरकार ने कृषि में प्रयोग किये जाने वाले उर्वरक आदि पर कर लगाया था। इसका परिणाम यह होगा कि जो छोटे किसान उर्वरक आदि कर उपयोग करना चाहते थे, वे अब इसका उपयोग नहीं करेंगे और जो उनका उपयोग करते हैं, वे उनका उपयोग छोड़ देंगे। इसका प्रभाव कृषि उत्पादन पर अच्छा नहीं पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव यह है कि कृषि में प्रगति हाल ही में शुरू हुई है अतः अभी कृषि क्षेत्र पर कर आदि न लगाया जाये। किसानों को ऋण अधिक दिये जाये, सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जायें। यदि आप कृषकों को छूट नहीं दे सकते तो उन पर कर भी न लगाया जाये। यदि आप कृषक और काले धन को कृषि-आय में बदलने वालों में अन्तर करना चाहते हो तो उसके लिए अन्य उपाय अपनाये जाने च हिये। कृषि सम्पत्ति पर कर लगाने से यह उद्देश्य पूरा न होगा। जब तक प्रगति करने के इच्छुक सब किसानों तक कृषि के सुधरे हुए और विकसित उपायों का प्रसार न हो जाये तब तक कृषि पर कर लगाना उचित नहीं होगा।

तीसरी बात यह है कि जब प्रो० गाडगिल उपाध्यक्ष का कार्य भार सम्भाल ने वाले थे तो उनका विचार था कि नगरीय आय की सीमा निर्धारित होनी चाहिये और अनाज की वसूली में ऐकाधिकार होना चाहिये। इस सम्बन्ध में वह आपका पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। अतः इन प्रस्तावों को वापिस ले लिया जाना चाहिये।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : It is very difficult to presenta budget better than this in the present circumstance. Hon'ble Deputy Prime Minister has claimed with certainty that we have made some progress in the economic field and are expecting still satisfactory results in the ensuing year. Our country has been passing through financial crisis· We bad to face hard days. In view of this we cannot ignore the ability with which our hon'ble Finance Minister has faced this situation on the whole the budget is quite satisfactory but some important change are required to made therein. For ins·tance, the proposal for imposing Wealth Tax on Agricultural wealth is wholly unjustified. I also oppose excised duty imposed on Fertilizer, sugar and petrol because it affects people belonging to middle class. By raising the income tax of the People having an income ranging between Rs. 10,001 to Rs 15000 by 2 percent and Rs. 15,001 to Rs. 20,000 by 3 percent, the burden on middle class has been increased. The plight of middle class will be more miserable. The hon'ble Deputy Prime Minister should reconsider this matter

Last year an assurance was given that Government would reconsider the increase in postage stamp from 2 paise to 5 paise but no relief has been given in this regard. I therefore request the Deputy Prime Minister to reconsider this matter and do something. We should reduce our expenditure instead of imposing fresh taxes. I can prove that there is sufficient scope for this purpose. It has been observed that there are 52 Boards and Advisory Committess in Ministry of Health and Family Planning which are no doing any useful work. Similarly, there are 77 Committees in Ministry of Food and Agri·culture.

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabah reassembled after Lunch at fourteen of the Clock.

{ **श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए**
Shri Gadilingan Gowd *in the Chair* }

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to suggest that the debate may be adjourned under rule 340. I have just now received a Trunk Call from Bhopal that SVD have elected their new leader and the Governor is not prepared to receive him or invite him.

सभापति महोदय : मैं यह बात अध्यक्ष महोदय को बता दूंगा । आप अध्यक्ष की अनुमति के बिना इस विषय पर नहीं बोल सकते ।

Shri Madhu Limaye : SVD have elected their new leader and Governor should therefore invite the new leader to form new Government. SVD have already proved that they have majority in the Legislative Assembly. The debate should therefore, be adjourned to discuss this matter.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्री मधुलिमये ने आपका ध्यान नियम 340 की ओर दिलाया है । मैं नियम 340 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ । इस नियम के अन्तर्गत अध्क्षय की अनुमति की आवश्यकता नहीं हैं । वहां पर स्थिति गम्भीर है । श्री मधुलिमये चाहते है कि गृह मन्त्री सभा में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

सभापति महोदय : आपका प्रस्ताव क्या हैं ?

श्री स०मो० बनर्जी : मैं वाद-विवाद को स्थगित करने का सुझाव देता हूं ।

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : संयुक्त विधायक दल का मध्य प्रदे में स्पष्ट बहुमत है । अतः राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह संयुक्त विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करें ! वह के राज्यपाल अपना कर्तव्य ठीक ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं । अतः नियम 340 के अन्तर्गत बजट सम्बन्धी वाद-विवाद स्थगित कर देना चाहिये । संयुक्त विधायक दल की सरकार को अपदस्थ करने के लिये दल बदलने की कोशिश की जा रही है । यह असंवैधानिक बात है ।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

Shri Madhu Limaye : In accordance with the procedure under rule 340 I..... (Interruptions).

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियम यहां पर लागू नहीं होता हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । आप अपनी इच्छानुसार प्रक्रिया की व्याख्या नही कर सकते । शायद आपने आकाशवाणी पर कुछ सुना हो अथवा आपने टेलीफोन से कोई बात सुनी होगी तो.....

Shri Madhu Limaye : I have received a trunkcall from the leader.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस समय आपको अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री जे० एच० पटेल : समापति ने मुझे बोलने की अनुमति दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रक्रिया के नियमों के अनुसार कार्यवाही कर रहा हूं । माननीय सदस्य अपने स्थान बैठ जाएं । कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्य : × × ×

Shri Madhu Limaye : I had given notice in writing (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य लिखकर भेजे और यदि वह प्रक्रिया के नियमों के अनुसार हुआ तो मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री जे० एच० पटेल : क्या मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता चला है कि श्री जे० एच० पटेल व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे । मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति देता हूं परन्तु इस के उत्तर में और कुछ नहीं कहा जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि मैंने माननीय सदस्य को मातृ-भाषा में बोलने की अनुमति दी है तथापि यदि वह अंग्रेजी में बोले तो सभा के समय की बचत होगी ।

श्री जे० एच० पटेल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार प्रक्रिया के नियम बनाये गये है । माननीय सदस्य नियम 340 के अन्तर्गत वाद-विवाद को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कार्यवाही की जा रही है जिससे संविधान के प्रत्येक सिद्धान्त का उल्लघन होता है । यदि किसी राज्य में संविधान का उल्लघन किया जा रहा हो तो क्या हमें प्रक्रिया के नियमों का अथवा संविधान के अनुच्छेद का आदर करना चाहिये ? अतः मैं श्री मधुलिमये के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि यदि मामला अत्यन्त गम्भीर है और उससे संविधान का उल्लघन होता है और प्रत्येक सदस्य को इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध हैं तो उस मामले को उठाने की अनुमति दी जा सकती है । परन्तु इसकी अनुमति इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि किसी व्यक्ति विशेष को टेलीफोन में कोई जानकारी मिली है ।

Shri Prem Chand Verma : The opposition parties have criticised public sector and they have alleged that money is being wasted in that sector. In this connection it may be pointed out that consumer industries and other corporations like State Trading, Indian Airlines, Shipping Corporation have earned profits. We cannot, however, expect

× × × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*** Not recorded.

some results from steel and heavy industries. In these industries research is also done and naturally it takes time to make profit. The performance of Hindustan Steels has been better than the previous year, Some hon'ble Members have expressed concern about the losses suffered by Hindustan Steel Ltd. I May point out ihat it has been stated in the project report itself that these will be less upto 1970-71. In view of this it would be improper to say that monev is being wasted in Public Sector. However there is sufficient scope for improvent in tbe working of the compaines of Public Sector and concrete steps should be taken in this direction. In my opinion a General Manager, Chairman or Managing Director should be allowed to continue for five years and if it is proved that his performance is not satisfactory, he should not only be dismissed from service rather he should be awarded severe punishment. At the same time the officers whose performance is satisfactory and who make a success of these enterprises should be given national awards.

The Union Territory of Himachal Pradesh is directly under the Government of India. I want to point out that recommendations of A. R. C. should be implemented immediately. The teachers of Himachal Pradesh should be granted pay scales as recommended by the Kothari Commission. The area and population of Himachal Pradesh has been increased after the reorganisation of Punjab in 1966. In view of this I would request the Deputy Prime Minister to increase the central assistance. At present there is no public sector industry in Himachal Pradesh. I would request that steps should be taken to set up big industries there so that area could also develop. Himachal Pradesh should be given more money for electricity and water etc. so long as the industries could not be set up there. I also request that the long standing demand of the people of Himachal Pradesh for according it statehood should be conceded.

श्री हुमायून कबीर (बसिरहार) : अध्यक्ष महोदय ! वित्त मन्त्री की सत्यनिष्ठा और उनके साहस का प्रमाण हमें उनके इस प्रयास से मिलता है कि उन्होंने कृषि क्षेत्र से, जिस करारोपण के मामले में आज तक किसी ने छूने का साहस नहीं किया है संसाधन जुटाने का प्रयत्न किया है। पिछले कई वर्षों से कृषि के क्षेत्र को करों से अलग रखा गया है किन्तु अब उस पर कर लगाना निःसन्देह साहस का काम है। मेरे बहुत से मित्रों ने, यहां तक की स्वयं को वामपन्थी मानने वालों ने भी इस कार्य की आलोचना की है। जहां तक बिजली के पम्पों पर कर लगाने अथवा कर की दर निर्धारित करने का प्रश्न है, इसकी आलोचना हो सकती हैं, फिर भी उनका यह प्रयत्न सराहनीय है।

साहस और सत्यनिष्ठा के अतिरिक्त माननीय मन्त्री महोदय के चरित्र के दो पहलू ओर है जिन्हें हम पसन्द नहीं करते। भारत जैसे महान देश के भविष्य के लिए व्यापक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है किन्तु मंत्री महोदय प्रायः इस गुण से रहित हैं। मेरा विश्वास है कि वह इस कमी को सुधार लेंगे। राष्ट्र के आर्थिक जीवन को बनाने वाली दो अत्यावश्यक बातों की उपेक्षा के कारण उनमें यह त्रुटि रही है। यदि 15 नहीं तो कम से कम 10 वर्षों में उपभोक्ता के हितों की भारी उपेक्षा की गई है। इसके अलावा बेरोज़गारी पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस से देश की सामान्य अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि उत्पादन दुगुना तथा औद्योगिक उत्पादन चौगुना जरूर हुआ है। फिर भी इतनी अधिक वृद्धि के बावजूद, बढ़ती हुई बेरोज़गारी के कारण प्रायः सभी वर्गों के लोगों में निराशा रही है।

{ श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair }

नगरों और देहातों में बहुत सी कठिनाइयां बढती हुई बेरोजगारी के कारण ही उत्पन्न हो रही हैं। मैंने उपभोक्ता के हितों की उपेक्षा की बात भी कही थी। एक ओर तो उत्पादन लागत में वृद्धि होती जा रही है और दूसरी ओर विदेशी बाजारों में माल बेचने के लिए भारी मात्रा में सहायता दी जा रही है जिससे यह विलक्षण स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि मन्त्री महोदय ने अपने उत्साह और सत्यनिष्ठा के साथ साथ व्यापक दृष्टिकोण भी अपनाया होता तथा पुरानी नीति के विपरीत बेरोजगारी और उपभोक्ताओं की ओर ध्यान दिया होता तो देश के करोड़ों लोगों को राहत मिलती और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता।

रोज़गार और उपभोक्ता-मांग में पारस्परिक सम्बन्ध है। यदि उपभोक्ताओं के हितों को पूरा किया जाय तथा उपभोक्ता उद्योगों को उत्साहित किया जाय तो बेरोज़गारी भी कम सो जाएगी। रोज़गार और उपभोक्ता-मांग के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा। यद्यपि भारत के उपभोक्ता को खुले बाज़ार में चीनी लगभग चार रुपया प्रति किलो मिलती हैं परन्तु चीनी के निर्यात से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार प्रति किलो 50 पैसे मिलते है। चीनी के निर्यात से यद्यपि हमें कुछ विदेशी मुद्रा अवश्य प्राप्त होती हैं लेकिन इस पर इसका निर्यात करना न ही लाभप्रद है और न ही उसका कोई औचित्य है क्योंकि ऐसा करने से उपभोक्ता पर दुहरा बोझ पड़ता है।

चीनी के अतिरिक्त अन्य भी उपभोक्ता वस्तुऐं है, जैसे कि पैट्रोल या मिट्टी का तेल, जिनका मूल्य सरकार ने कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया है। टेकनोलाजी में विकास के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में पर्याप्त मितव्ययता हुई है तथापि उससे प्राप्त लाभ को सरकार ने उपभोक्ता को न देकर स्वय ले लिया है। बहुत सी वस्तुओं के मूल्यों को सरकार ने उनकी उत्पादन लागत या लाभ की उपेक्षा करके स्वेच्छापूर्वक बढ़ाया है और इस से बहुत से उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यदि नीति में समुचित परिवर्तन किया जाता और उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखा जाता तो, उपभोक्ताओं की मांगे पूरी की जा सकती थी तथा काफी हद तक संसाधनों का प्रयोग अलाभप्रद तथा अननुत्पादी उद्योगों से हटाकर लाभप्रद उद्योगों में किया जा सकता था।

मैं भारी उद्योगों का विरोध नहीं करता किन्तु उनमें अलाभप्रद विस्तार करने का विरोध अवश्य करता हूं। बोकारो इस्पात कारखाना इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। क्योंकि इसमें इतनी भारी राशि लगाये जाने पर भी इससे केवल 10 हजार व्यक्तियों को ही रोज़गार मिल सका है :

देश की राष्ट्रीय आय की दृष्टि से भी इस प्रश्न को देखना चाहिए। राष्ट्र की उत्पादनशीलता प्रति वर्ष लगभग 20,000 करोड रुपया है तथा बजट के हिसाब से इस उत्पादन के लगभग चौथाई भाग पर सरकार का सीधा नियन्त्रण है और इस प्रकार सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन राष्ट्रीय आय का भारी भाग में व्यय किया जा रहा है।

प्रायः यह देखा गया है और सदन में भी इसका बहुत बार उल्लेख किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जितनी पूंजी लगाई गई है उससे आशानुकूल लाभ नहीं मिला है। मैं सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु सरकारी उद्योग तभी स्थापित किये जाने चाहिए जब या तो गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग अनिच्छुक अथवा ऐसा करने की उनकी स्थिति न हों और जिन उद्योगों का राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय एकता पर सीधा प्रभाव पड़ता हो, उन्हें जरूर सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए।

रोजगार की उपेक्षा के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। बेरोजगारी से कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज जो समाज विरोधी अवांछनीय गतिविधियां देखने में आ रही हैं उन सब का मूल कारण बेरोजगारी ही है। विद्यार्थियों में अशान्ति नवयुवकों में अनुशासनहीनता आदि सभी बुराइयां बेरोजगारी के कारण है क्योंकि उन्हें अपना भविष्य निराशापूर्ण दिखाई देता हैं और इतना समय और धन व्यय करने के उपरान्त उन्हें केवल निराशा मिलती है अतः आर्थिक नीति में सबसे अधिक बल रोजगारी पर दिया जाना चाहिए।

मैं ग्रामीण विद्युतीकरण पर अधिक बल देता हूं क्योंकि ऐसा किए बिना औद्योगिक रुपांतरण नहीं होगा। और ऐसा करना हमारे विशाल देश के लिए परमावश्यक है। हमारे देश में पूंजी-प्रधान उद्योगों की अपेक्षा ऐसे उद्योग हितकर रहेंगे जिनमें अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण से प्रत्येक गांव का घर एक छोटे कारखाने में बदल जाता है। कारखाने से मेरा तात्पर्य छोटे से छोटे कार्य से है। जैसे कि सिलाई की मशीनें या मोजे आदि बुनने की मशीनें भी देहाती अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। अधिक महत्व की बात यह है कि विद्युतीकरण से ग्रामीणवासियों को तत्काल रोजगार मिल सकता है और जहां ऐसा किया गया है वहां के लोगों को रोजगार मिला भी है। व्यक्तियों का गांवों से नगरों की ओर भागना उपदेशों से नहीं रोका जा सकता। किन्तु यदि ग्रामों में विद्युतीकरण किया जाय तथा उनकी दशा सुधारी जाये और नगरों तथा ग्रामों के बीच विद्यमान भेद-भाव को कम किया जाये तो, उसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका तथा इंगलैंड जैसे देशों में ग्रामों का सुधार किया गया है औ' इसी कारण वहां यह प्रवृत्ति नहीं पायी जाती। अतः ग्रामीण विद्युतीकरण को हम बजट तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी बहुत आवश्यक है। ग्रामीण सडकों के निर्माण से न केवल यातायात में सुविधा होगी अपितु इससे विचारों का आदान-प्रदान भी बड़ी शीघ्रता से होगा। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि देहाती क्षेत्रों के करोड़ों बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा। कुछ राजनैतिक दलों का नारा है कि प्रत्येक ग्रामीण को भूमि और घर अवश्य दिया जाय। किन्तु हमारे देश में श्रम की तुलना में भूमि की मात्रा अपर्याप्त है अतः बड़े सम्मिलित फार्म या राजकीय फार्म स्थापित करने हमारे देश के हित में नहीं है। तथा प्रत्येक व्यक्ति को भूमि देना भी सम्भव नहीं है किन्तु हम प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार अवश्य दे सकते हैं। इन सड़कों के निर्माण कार्य से इन लोगों को रोजगार मिल सकता है और

जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता माल की मांग बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीणों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सकता है ।

ग्रामीण जनता के लिए मकानों की व्यवस्था करना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसे अभी तक उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है क्योंकि मकानों के निर्माण से प्रगति का पता लगता हैं। सरकार मकानों के निर्माण के लिए ग्रामीणों को 75 या 80 प्रतिशत राशि का कर्जा देती हैं किन्तु यदि उनको धन के बजाये ऐसी सामग्री दी जाय जो कि सुलभ न हो, तो और भी अधिक अच्छा होगा और साथ ही रोजगार की समस्या भी काफी हद तक हल हो जायेगी। कहने का आशय यह हैं कि देश की जो भी आर्थिक नीति रहे, उसका लक्ष्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को विशेषकर देहाती क्षेत्र के लोगों को यथाशीघ्र रोजगार देने का होना चाहिए। इससे उपभोक्ताओं की मांग बढ़ेगी तथा साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। हमें रूस या अमरीका की तरह पहले अपने आन्तरिक बाजार को विकसित करना चाहिए और जब इससे उत्पादन लागत कम हो जाय तब हमें निर्यात बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने में सफलता मिल जायेगी। हमारे देश में 50 करोड़ का आंतरिक बाज़ार है और यदि यह प्रभावपूर्ण हो जाय तो उत्पादन बहुत बढ़ जायेगा और उत्पादन लागत कम आयेगी ।

आजकल हानि उठाकर भी निर्यात पर बल दिया जा रहा है। वित्त मन्त्री भली प्रकार जानते हैं कि निर्यात के लिए दिए जाने वालों उत्साहनों का दुरुपयोग हो रहा है। किन्तु यदि अर्थ व्यवस्था को आंतरिक आधार पर विकसित किया जाय और रोजगार की समस्या को ध्यान में रखा जाय तो आंतरिक अर्थ व्यवस्था में सुधार के साथ साथ निर्यात भी बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा की आय भी बढ़ेगी। हमारी विदेशी सहायता प्राप्त करने की नीति भी साधारण मनुष्य की समझ के बाहर है । यद्यपि कम्प्यूटर उद्योग में हाल ही में काफी विस्तार किया गया है किन्तु यह विस्तार ऊंचे स्तर का नहीं है तथा हमने आधुनिकतम तकनीक का लाभ नहीं उठाया है क्योंकि उसके लिए प्रायः पुरानी मशीनें ली गई हैं। हमने अपने वैज्ञानिकों को भी प्रोत्साहन और अवसर नहीं दिया है। पुरानी मशीनों को किराये पर ले कर हम प्रतिवर्ष उनकी फीस चुकाते रहे हैं किन्तु जापान ने कभी इस प्रकार किसी मशीन को दुबारा किराए पर नहीं लिया। उसने स्वयं उसको अपने देश में बनाया। मैं चाहता हूं कि उपभोक्ता उद्योग पर, रोज़गारी पर और मशीनों की खरीद पर बल दिया जाये तथा अपनी तकनीक का विकास किया जाये ।

Dr. Shushila Nayar (Jhansi): Except certain controvercial proposals, the present budget is quite satisfactory. In the absence of the draft Fourth Five Year Plan, it is not possible to assess whether we would be able to achieve our targets fixed under the fourth five year Plan and the extent of progress we have made in this regard so far. However, it is absolutely necessary for us to increase our production and raise our resources if we want to strengthen our economic structure.

It is very strange that the advocates of socialism, on the one hand, lay emphasis on the uplift and prosperity of the labour class in the country and, on the other hand, they protect and sub-serve their interests of the businessmen and industrialists The labour class is always exploited in the name of socialism.

So far as the prohibition is concerned, it is a national problem and it should therefore be tacked in a national prospective. Necessary climate should be prepared and steps taken to introduce it with a view to eradicating a social evil.

I want to know from the hon.Minister the reasons for not touching liquors in his budget proposals. However, it is good that he has proposed to make good the loss of revenue to be suffered by States to the extent of 50% as a result of introducing prohibition in their States. The hon Minister has further clarified the position that the centre would bear this expenditure by way of grants for five year. I also congratulate the Chief Ministers of Rajasthan and Haryana for declaring total prohibition in their respective States within the period of three years and I hope that the remaining States would also follow suit, with a view to bring in a real socialism in the country which would result in a great relief to the which have poor families fallen a prey to this evil

I am talking of the common people for whom the prohibition, if enforced, will prove a blessing.

So far as illicit distillation is concerned, it cannot be stopped unless prohibition is enforced because illicit liquor is sold through wine shops because it is equally found in the places, like Delhi and Hydrabad, where prohibition has not yet been introduced.

I also request that under the conduct rule the Government Servants should not be allowed to consume liquor publicly. Simulteneously, Ministers should not attend any function where liquor is served. Members of Parliament and State legislatures should also avoid consuming liquor publicly. These things are not difficult; where there is a will there is a way.

So far as drinking water schemes are concerned, I do not find adequate provision in the budget for the purpose. Centre should also extend financial assistance to the States as an incentive so that they may implement such schemes make adequate provision in their budgets.

I support the proposal put forth by the hon.Minister to levy a tax on agricultural wealth. It will fetch a good amount of revenue and will also help those who are in possession of black money to convert it into white one. I would like to know from the hon. Minister how he is going to exempt the small agriculturalist from this tax. I would like to suggest that he should also find out some way by which the genuine small agriculturists may be saved from falling within the purview of the proposed levy on fertilizers.

The rise in telegraph rates is not advisable. Similarly there is no justification in enhancing the rates of telephonic calls.

I feel that due to increased levy on sugar, the prices of both controlled and decontrolled sugar will go up.

The conditions prevailing in our country demand that our economy should provide protection to the consumer and employment to the unemployed. But it is a matter of regret that the Budget does not contain sufficient provisions in this regard. The Khadi and Village Industries Commission provides employment opportunities to a large number of people but its grant is being cut. It must not happen especially when Shri Morarji Desai is holding the reigns of the Finance Ministry in this country. Instead of effecting reduction in their grants, we should help the small-scale industries more and more so that the employment opportunities for the teeming millions increase in our country.

It has been said that our dependence on foreign aid is decreasing. It is not a fact. If we look to the figures of foreign aid we secured during the past years, we would find that we are getting much more aid now than before. It is not an encouraging picture.

So far as our public sector undertakings are concerned, they are not yielding us any profits. We have invested a fabulous amount—Rs. 3500 crores–in them. With such a huge investment we expect that our public sector enterprises should give us some return. But it is regrettable that even now-after lapse of a number of years–these undertakings are incurring losses. The Government should take steps to remove the shortcomings in the working of the public sector undertakings so that they are able to give us some return. After all we cannot tolerate this situation to continue indefinitely. The technical and managerial skill should be utilised fully and the collaboration with foreigners should be undertaken after a thorough study of the terms of collaboration.

Last year we resorted to deficit financing but because of increase in production the prices were kept under check. This year also, the Finance Minister has presented a deficit budget. But if everybody contributes his mite and cooperates with the Government, we can certainly increase our production and keep the prices under check. This is Gandhi Centenary year and we should make a vow to add to the wealth of our country so that we may be able to raise the standard of living of the poor sections of our society.

I have one thing more to suggest before I conclude. The country loses about Rs. 500 crores every year due to floods. We should make serious endeavours to save the country from this devastation. Though we have fixed priorities yet this problem should be bestowed more attention so that the surplus water could be utilised for irrigational purposes and also for generating electricity to meet the needs of agriculture and other industries.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The different sections of our society have reacted differently on the budget proposals put forward by the Finance Minister for the current year. It seems that the richer classes and company proprietors are more jubilant over the outcome of the budget proposals. The budget has provided relief and encouragement to the capitalists. The development rebate has been maintained. The textile and jute industries have been included in the priority industries. Similarly tax-holiday for the new enterprises has been maintained.

So far as income tax is concerned, the middle income group which is already heavily taxed has been overburdened. If we look to the comparative figures for the last 20 years of the income–tax on people with an annual income of Rs. 10 to 15 thousand; on the one hand, and of those whose income was more than Rs three lakhs, we find that the tax-burden on higher income group has decreased while in the case of the lower income group it has increased. The income–taxes on earned incomes of Rs. 10,000 and Rs. 15,000 are 14 per cent and 30 per cent more respectively now than what they were in 1949-50 and on the other hand. the income-tax on the incomes of Rs. three lakhs, Rs. five lakhs and Rs. 10 lakhs has gone down by 11.6 per cent, 11 5 per cent and 12 per cent respectively during the same period.

The economic and fiscal policy of the Government has aggravated disparity further. It has created gap between the people of higher income-groups and those of the low–income group to such an extent that even the production of consumer goods for each group has been affected. The production of air-conditioners and refrigerators-the items mostly used by the moneyed classes–has considerably increased during the last 10–12 years. On the other hand, the production of cotten fabrics used by the common man in

the country has gone down during the same period. Similar is the case with other things of common use. It proves that inspite of the propaganda of socialism made during all these years, the production of items used by the rich has gone up and production of goods used by the common man has gone down. The present situation which is a sorry state of affairs is the result of the wrong economic and fiscal policies of the Government.

A new tax has been imposed on small registered companies and firms Prior to this only firms having an income of Rs. 25,000 or more were taxed. What will be its effect ? Government's proposals relating to incomet-ax will hit hard. The low and middle income groups such as small shop-keepers, small hotel owners, college teachers and certain categories of officers. But high officers—whether serving in companies or in Government offices—are not affected by the increase in the rates of income-tax. The officers who had a hand in the formulation of the tax proposals have saved their class.

Even the Farmers have not been spared. Excise duty has been levied on fertilisers. Government will get a total of Rs. 50 crores only from this levy. These Rs. 50 crores which are to be realised from the farmers will be spent on unproductive works, for example, administration. In reality this excise duty is nothing but an agricultural income-tax. From the legal point of view they have played a great trick. Legally excise duty cannot be challenged whereas agricultural income-tax falls within the jurisdiction of State Governments.

I do not say that tax should not be levied on agricultural wealth. But my submission is that it falls within the sphere of State Governments and they alone can do it. Parliament has no moral or constitutional right to impose agricultural wealth tax. It has therefore become necessary to reconsider the issue of sharing of powers between the States and the Centre.

The budget proposals had leaked out before their presentation in this House. I do not blame the Finance Minister for this. But the fact is he takes advice from several persons while formulating his budget proposals. This should be enquired into.

At present there are 5½ crore land-holdings in the country. About 4 crore cultivators have land holdings below five acres. Budgetary policy both at the Centre and in the States should aim at helping these farmers to adopt modern methods of agriculture and increase agricultural production. All necessary facilities should be provided to them. If some benefit of new agricultural technology went to the farmers, that does not mean they should be taxed. No new tax should be imposed on the 4 crore farmers for at east 20-25 years.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

Why the corporate sector people are supporting the excise duty on fertilisers and the agricultural wealth tax ? Because they fear that if the Finance Minister does not get anything from there he will have to realise this Rs. 50 crores from the corporate sector. Why is it that electricity is supplied to these people at cheaper rates ? On the other hand farmers in Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra and other areas are not being given electricity connections. There is a big gap in the irrigated and not irrigated areas in our country. The Centre should ask the States to create a fund from the proposed taxes to be utilised for providing irrigational and other facilities to the cultivators. If the Centre acts upon my suggestion, not only Centre-State relations will improve but our agricultural production will also go up.

Now I want to say something about P.L. 4 0. No concrete steps have been taken to stop imports of foodgrains under P.L. 480. It appears that the Government is not interested in getting rid of the P.L. 480. Perhaps idea behind this dependence is that if the country becomes self-sufficient in foodgrains, the State Governments will not remain as much dependent on the Centre as they are today. Thus PL 480 is being used as a handle to keep the States dependent on the Centre.

Races and poultry farming should also be taxed, because it is one of the ways to convert black money into white one.

Recently the representatives of banks had had a talk among themselves and reached a cartel agreement and according to which they are not allowing higher percentage of interest to depositors now. It is not an encouraging sign. As a matter of fact, there should be a competition between the banks. The Banks should be forced to open their branches in rural areas so that the cultivators may be able to deposit their savings in them.

There are also many other things. There is a complicity between big industrialists of synthetic yarn and State Trading Corporation. The State Trading Corporation raises the prices and these industrialists earn great profit by unfair means. If you see the balance-sheet of the manufacturers of synthetic yarn, you will find the huge profits they are earning. Shri Modi has earned a gross profit of 4 or 5 crores. There are many loom industries in Surat and Ludhiyana in Punjab. They have to pay high price for this synthetic yarn. The industrial imperialism of Shri Dinesh Singh is gaining ground like other industrialists. There is a complicity going on between industrialists and S.T.C. They buy old machines which no one will purchase in the market. They have declared that we will give licence to those who would purchase it. In this way they are earning profit. I would like to ask whether the Hon. Finance Minister will look into this matter. If these are old machines, they may be sold in auction and the same procedure may be adopted in case of licences also. Thus the Government can have money in this way.

There is a long correspondence going on between India and Nepal. When I was in prison, the Government had sent a delegation there and an agreement was concluded. They said that they would allow them to bring Synthetic fabrics worth rupees Ninety Lakhs and materials of strainless steel worth rupees thirty Lakhs. But Nepal is importing synthetic Fabrics from foreign countries by ships. I have proved that 87 lakhs meter cloth will be manufactured in Nepal Nepal has no market for it and with the result that it is being smuggled to India. That is why I have suggested that it should be channelised through S.T.C. and every incoming cloths should bear the stamp If such cloth is coming to India which bears no stamp, Nepal should be held responsible for it.

I want to say that when Shri Dinesh Singh was Foreign Trade Minister, he imposed control on B. Twill bags and declared that the controlled price for 100 bags would be Rs 200. You know what had happened. There are two big groups in the Jute Manufacturers' Association. They had talks with the high level officers. I do not want to go in details. I came to know that gradually the stocks of bags with the Govt declined. The Govt. required those bags for storing P.L. 480 foodgrains and for other purposes. It was estimated that the purchasing would be done in the middle of June and July. The jute manufacturers withheld the stock in the hope that there might be decontrol before the budget. They had stopped production of B Twill bags and tried to create artificial scarcity. But this was disclosed and the Government was saved from having a considerable loss.

I request you to ask the mills to start manufacturing B. Twill bags. The Government should also make requisition of the stock in control rates from them so that it may be used for necessary purposes.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैंने बजट प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के विभिन्न विचार सुनें। कुछ सदस्यों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा परन्तु उनमें बजट-निर्माता के प्रति सहानुभूति का अभाव था।

हमें इसके लिए देश की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में वर्ष 1967-68 के दौरान जो उन्नति हुई है उसको बनाए रखा गया है उद्योग के क्षेत्र में न केवल उपभोक्ता के वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है अपितु इंजीनियरिंग माल और पूंजीगत माल के मांग में भी सुधार हुआ है। निर्यात में भी वृद्धि हुई है और विभिन्न सामान इसके अन्तर्गत लाये गए हैं। इंजीनियरिंग माल के निर्यात में वृद्धि होने से अदायगी शेष की स्थिति में सुधार आया है परन्तु जूट, वस्त्र और चाय के निर्यात आंकड़े को देखने से पता चलेगा कि इसमें गिरावट आ रही है। अतएव इसके निर्यात में सुधार लाने के लिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है।

अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में बचत और विनियोजन के स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है जिससे पूंजीगत माल के उद्योगों के उत्पादन की अधिक मांग हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि कर प्रणाली आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार हो और दूसरा, कर प्रणाली में इस प्रकार के परिवर्तन न लाये जायें जिससे कि आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा न आये। विभिन्न विलासमय वस्तुओं पर कर लगाते समय यह भी देखना आवश्यक है कि अधिक आय प्राप्त करने के प्रयत्न में उत्पादन प्रभावित न हो।

कर प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमें तीन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला हमें इसके द्वारा राहत पहुँचाना है यह प्रमुख उद्योगों के निर्यात, बचत और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है। दूसरा करों को उन विभिन्न वस्तुओं पर लगाना है जिन पर कर नहीं लगे हैं अथवा कम लगे हैं। तीसरा कर प्रणाली को आर्थिक उन्नति की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना है, माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर निरपेक्ष रूप से बजट के प्रस्तावों का अध्ययन किया जाये तो पता चलेगा कि इनसे इन उद्देश्य की पूर्ति होती है।

जहां कभी भी आवश्यक हुआ वहां शुल्कों में राहत तथा करों में परिवर्तन किए गए हैं ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। कर का भार उन पर डाला गया है जो इसको सह सकते हैं। कर प्रणाली में इस प्रकार उचित सुधार किए गए हैं जिससे आने वाले वर्षों में आय बढ़ सके।

मैं कराधान सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कर से छूट, जिसकी कई माननीय सदस्यों ने आलोचना की है, को अगले पांच वर्ष अर्थात् मार्च 31, 1976 तक बढ़ा दिया गया है, इससे हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन में काफी सुधार होगा। अतएव यह ठीक नहीं है इस कर से छूट की आलोचना की जाये।

सूती वस्त्र तथा जूट के उद्योगों को विकास छूट देने के लिए वरीयता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इससे नए उद्योगों और साथ में वर्तमान एककों के विस्तार की योजना बनाने में सुविधा होगी, साथ ही इससे सूती वस्त्र तथा जूट के मिलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इन सूती कपड़ा और जूट उद्योगों में लाखों आदमी आश्रित हैं अतएव

इनको संरक्षण देना बहुत आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि निर्यात में कमी आदि के कारण इन उद्योगों के समक्ष कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं। अतएव उनको यह छूट दी गई है।

यह प्रस्तावित उपाय उन सरकारी कम्पनियों में नियोजन को बढ़ावा देगी जिनको सूची में नहीं रखा गया और इससे लोगों को शेअर पूंजी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और इस प्रकार निगम क्षेत्र को मजबूत बनाया जायेगा, तथा कम्पनियों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा जिसमें जनता का सहयोग होगा–निगम कर को उचित रूप देने तथा भारतीय कम्पनियों के कर युक्त लाभांश की सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिवर्ष करने से इक्विटी शेयरों में काफी निवेश होना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि 10 001 से 15,000 रुपये और 15.001 से 20,000 वाले आय वर्गों के आय कर में प्रस्तावित वृद्धि से मध्यम आय वर्ग के लोगों को बड़ी परेशानी होगी। मैं उनके इस भय को दूर करना चाहता हूं। 20,000 रुपये की आय के स्तर तक वर्तमान दर पर आय कर का बोझ अपेक्षाकृत कम है। यदि इसकी तुलना विकसित तथा विकासशील देशों से की जाए तो यह बहुत कम बैठेगी। कम आय वर्ग के लोगों को करों से राहत दी गई है। कुछ लोग तो पूर्णतः कर युक्त है और निम्न आय वर्ग पर कर का भार अपेक्षाकृत कम है।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि मध्यम आय वर्ग द्वारा देय अतिरिक्त कर नाममात्र का है। उदाहरण के लिए उन लोगों के लिए जो 10,000 रुपये प्रतिवर्ष कमाते हैं यह 4 रुपये प्रति महीने से कम होगा और उन लोगों के लिए 7 रुपये, 9 रुपये और 12 रुपये होगा जो क्रमशः 14,000, 15,000 और 16,000 रुपये कमाते हैं और 17 रुपये प्रति महीने उनके लिए होगा जो 18,000 रुपये कमाते हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 रुपये से अधिक आय वालों को 275 रुपये अतिरिक्त कर के रूप में देना होगा। ऐसा नहीं है कि इस कर का भार केवल मध्यम आय वर्ग के लोगों पर है।

जहां तक पटसन का सम्बन्ध है, उसके निर्यात को बढ़ावा देना आवश्यक है। 1965 और 1967 के बीच हमारा टाट का निर्यात 35 प्रतिशत कम हुआ है और 1964 तथा 1967 के बीच हैसियत का निर्यात 24 प्रतिशत कम हुआ है। जूट हमारे निर्यात का वह प्रमुख मद है जो हमें विदेशी मुद्रा दिलाता है। इस समय उसे पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना पड़ रहा है अतएव इसको राहत देने की आवश्यकता है।

चाय के साथ भी काफी सीमा तक स्थिति यही है। चाय में भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धी लंका है और अभी पूर्वी अफ्रीका भी इस क्षेत्र में आ रहा है। पूर्वी अफ्रीका और अन्य देशों में चाय के उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी हुई है और इस प्रकार विश्व बाजार में चाय की सप्लाई बढ़ी है जबकि इंगलैंड जैसे परम्परागत देशों में चाय की मांग स्थिर रही है। अमेरिका आदि देशों में भी इसके वृद्धि के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते। यदि विश्व की मंडियों में चाय का निर्यात करना है तो इसको सरकार की मदद की बहुत आवश्यकता होगी।

वपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने आलोचना की है। माननीय सदस्य श्री श्रीकान्तन नायर ने करों की राहत को किसी दूसरे ही सन्दर्भ में सोचा है। उन्होंने कहा है कि यह राहत किसी विशेष प्रदेश को दी गई है यथा गुजरात और महाराष्ट्र को और दक्षिण वालों के लिए कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। उनको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उच्च कोटि का 61 प्रतिशत धागा दक्षिण भारत की मिलों से आता है। यह बात उठाई गई थी कि दी गई रियायत दक्षिण भारतीयों को नहीं दी जायेगी अपितु यह केवल पश्चिमी भारत के मिलों को लाभ पहुँचायेगी। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूँ कि चूंकि 61 प्रतिशत धागा दक्षिण भारत मिलों से आता है अतएव यह लाभ उनको मिलेगा और यह कहना ठीक नहीं है कि यह लाभ केवल पश्चिमी भारत के मिलों को ही मिलेगा दक्षिण भारत मिलों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इस शुल्क के प्रभाव को समाप्त कर देने के लिए कहा गया है। यह सम्भव नहीं है और वित्त मंत्री महोदय संभवतः इसको स्वीकार नहीं करेंगे।

एक बात यह भी उठाई गई थी कि उच्च कोटि के कपड़ों पर एक समान शुल्क के स्थान पर यथामूल्य शुल्क लगाया जाना चाहिए। इस समय इन विशेष मिलों पर कर भार अधिक है और उनको इससे राहत मिलेगी।

माननीय सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा है कि गांधी शताब्दी के अवसर पर शराब पर कोई शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। परन्तु उनको यह मालूम होना चाहिए कि पहले ही इस पर बहुत कर लगाया हुआ है। अक्तूबर 1967 से पूर्व शराब पर कर 280 प्रतिशत था। और अक्तूबर 1967 में यह कर बढ़कर 450 प्रतिशत हो गया था। गत बजट में यह बढ़कर 530 प्रतिशत हो गया। जहां तक कुल आय का सम्बन्ध है, शराब पर लगे हुए कर से लगभग 2 करोड़ रुपये की आय हुई। इस पर भी एक सीमा होती है अतएव यह इस वर्ष नहीं बढ़ाया गया है। माननीय सदस्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शराब पर आयात कर में वृद्धि से भी सरकार को लाभ नहीं होता।

मैं केन्द्रीय सरकार के 1969–70 के व्यय में वृद्धि के बारे में कहना चाहता हूं। यह माननीय सदस्यों की आदत सी बन गई है कि वे सरकारी व्यवस्था के व्यय के बारे में आलोचना करते हैं। प्रत्येक करदाता भी चाहता है कि सरकार कम से कम व्यय करे और इसमें वृद्धि न की जाये परन्तु इसकी भी एक सीमा होती है। जिन माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार के व्यय में कमी की जानी चाहिए उन्होंने यह नहीं बताया है कि कमी कहां करनी चाहिए। सरकार के व्यय में वृद्धि मजदूरी में वृद्धि और महगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने के कारण हुई है जिससे कि कर्मचारियों को ही फायदा होगा। इसी कारण सरकारी व्यय बढ़ जाता है।

जहां तक प्रतिरक्षा व्यय का सम्बन्ध है, मैं इसके बारे में यह बता दूं कि यह अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत का रक्षा व्यय 1968–69 के राष्ट्रीय आय का अनुमानतः 3.7 प्रतिशत था। इसकी तुलना में अमरीका का रक्षा व्यय राष्ट्रीय आय का 9.1 प्रतिशत, इंगलैंड का 7.6 प्रतिशत था। फ्रांस और जर्मनी का यह क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत था। इस प्रकार हम देखेंगे कि यह अन्य देशों की तुलना में कम है। 1963 से पहले

हमारा रक्षा व्यय 2 प्रतिशत था परन्तु चीन के आक्रमण तथा अन्य पड़ौसी देश के आक्रामक रवैये को देखते हुए यह व्यय बढ़ाना पड़ा। फिर भी जहां सम्भव होगा वहां रक्षा व्यय कम किया जायेगा। हमें देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है अतएव प्रतिरक्षा व्यय में कमी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। हमने इन पर लगभग 3333 करोड़ रुपये लगाये हैं। केवल 39 कम्पनियों ने गत वर्ष 48 करोड़ का लाभ दिखाया है और कुछ अन्य कारखानों, विशेषकर हिन्दुस्तान इस्पात ने, गत वर्ष घाटा दिखाया है।

हिन्दुस्तान स्टील को 38 करोड़ रुपए, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन को 13 करोड रुपए, माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन को 5 करोड़ रुपए तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स को 5 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। सरकारी क्षेत्र में कुछ समवायों को लाभ हुआ है परन्तु समस्त रूप में इस क्षेत्र को 35 से 38 करोड़ रुपए की हानि हुई है। इन समवायों को वर्ष 1967-68 में 178 रुपए लाभ हुआ था।

यहां तक सरकारी क्षेत्र के समवायों की हानि का प्रश्न है उसके कुछ विशेष कारण हैं। कुछ समवाय तो अभी अपने निर्माण की प्रथम अवस्था में हैं। कुछ उद्योग ऐसे स्थानों पर स्थापित हुए है जो सर्वथा निर्जन थे तथा वहां उपनगरों के निर्माण एव अन्य सुविधाओं को जुटाने के लिए भारी व्यय करने पड़े। सरकारी-क्षेत्र-समवाय केवल उपनगरों पर ही प्रतिवर्ष 22 करोड़ रुपए हानि उठा रहे हैं। केवल हिन्दुस्तान स्टील को ही इस मद पर 6 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। पिछले वर्ष नए भारी विस्तार यंत्र लगाए गए जिनके लिए उच्च दर पर मूल्य ह्रास एवं अधिक दर पर ब्याज देना पड़ता है। परन्तु यह यन्त्र नए होने के कारण अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाए। ऐसे कुछ कारणों से सरकारी क्षेत्र के कई समवाय उचित ढग से नहीं चल रहे थे।

कुछ माननीय सदस्य सरकारी क्षेत्र के समवायों की बहुत अधिक निन्दा करते हैं। परन्तु इस क्षेत्र ने न केवल देश की आवश्यकताएं देश में निर्मित करने का कार्य किया अपितु निर्यात के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने का श्रेय भी उसे प्राप्त है।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली) : क्या आप सरकारी क्षेत्र के समवायों की प्रगति से वास्तव में सन्तुष्ट हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : निश्चय ही यह नहीं कहा जा सकता कि हम सरकारी क्षेत्र के समवायों के कार्यों से सन्तुष्ट हैं। यहां भी हमारे अर्थ-तन्त्र में, किसी भी दिशा में, सुधार का अवसर है हम उसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। हम चाहते हैं कि सभी सरकारी क्षेत्र-समवाय लाभ पर चलें।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, जिसको दो वर्ष पूर्व 2 करोड़ रुपए की हानि हुई थी, इस वर्ष लाभ में रहा है। इसी प्रकार नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की हानि, पिछले वर्ष 6.5 करोड़ की तुलना में इस वर्ष केवल 36 लाख रुपए

ही रह गई है। इस दिशा में सभी प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनमें प्रबन्ध सुधार माल-सूचियों पर नियन्त्रण आदि सम्मिलित है। कई उद्योगों में कुछ अवरोध रहे जिससे परिणाम संतोशप्रद नहीं निकले। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य एव श्रमिक सघों से सहयोग मिलने पर अपेक्षित सुधार लाए जा सकते हैं।

संतोश का विषय है कि योजना परिव्यय के लिये इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 93 करोड़ रुपए अधिक की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय क्षेत्र का योजना परिव्यय जो इस वर्ष 1170 करोड़ रुपए है, जिसमें 40 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र समवायों की हानि सम्मिलित है। उसे बढ़ाकर 1223 करोड़ रुपए किया जा रहा है जिसमें कि समवायों को होने वाली हानि सम्मिलित नहीं है। इस 9। करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी में 55 करोड़ रुपए इस्पात क्षेत्र से सम्बन्धित हैं तथा शेष उत्कट क्षेत्रों के उद्योगों में बटे हुए हैं।

बोकारो के प्रथम प्रक्रम के निर्माण पर व्यय कुछ अधिक हुआ है। इस पर व्यय हिन्दुस्तान स्टील से भी अधिक हो रहा है। बोकारो के और अधिक विस्तार से वह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो सकेगा। स्मरण रहे कि इस समय भी हम 70 से 80 करोड़ रुपए के चादरों आदि का आयात कर रहे हैं। इन वस्तुओं की आवश्यकताओं के बारे में जो अध्ययन इस्पात विभाग द्वारा किया गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि जब बोकारो इस्पात कारखाने में क्षमता के अनुसार उत्पादन होने लगे तब भी इन वस्तुओं की हमारी आवश्यकता पूरी न हो सकेगी। इसलिए यदि आप इस्पात के आयात पर अधिक धन व्यय नहीं करना चाहते तो बोकारों की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध है। आयात घटाने में सहायक होने के नाते बोकारो राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था है। इसलिए योजना परिव्यय में बोकारो को प्राथमिकता दी जा रही है।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : पिछले तीन वर्षों में इस्पात का उत्पादन 45 लाख मीटरिक टन से घटकर 40 लाख मीटरिक टन रह गया है। इस पर भी हमने 30 करोड़ रुपए का इस्पात निर्यात किया है। बोकारो एव अन्य कारखानों में पूरी क्षमता के अनुसार निर्मित इस्पात के लिए बाजार कहां है ?

श्री प्र० चं० सेठी : अधिकतर इस्पात का उत्पादन सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए आवश्यक था कि 5 लाख मीटरिक टन रेलों का निर्माण करे। परन्तु योजना परिव्यय घटने के कारण रेलों की मांग भी घट गई। यहां तक चपटे इस्पात के उत्पादन का सम्बन्ध है, हमारे यहां अभी भी उसकी कमी है। मंदी होते हुए भी हम 60 से 70 करोड़ रुपए के चादरें आदि आयात करते रहे। कहा गया है कि बोकारो द्वारा निर्मित 13 लाख मीटरिक टन तैयार माल की खपत देश में न हो सकेगी। परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। देश में चादरों आदि का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं होता इसलिए हमें उसका आयात करना पड़ता है।

श्री लोबो प्रभु : उपदान के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री प्र० चं० सेठी : प्रारम्भिक काल में अन्य देशों में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नकद सहायता दी गई । इसमें कुछ भी बुराई नहीं है । हमारे लिए इतना ही पर्याप्त नहीं कि हम देश की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए उत्पादन करें परन्तु यह भी आवश्यक है कि निर्यात के लिए जो मंडियां हमने ढूंढ़ी हैं उन्हें भी माल भेजते रहें ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : While presenting the budget, the Finance Minister referred himself as a person performing the role of a "Sutaradher" of the plan which had not yet been presented in the House. We might have a final picture of the plan by the end of this month. The present budget has come as a death below to the plan.

This budget on the one hand speaks of socialistic pattern while on the other hand it is a step which goes further in widening the disparity in incomes. It has further reduced the purchasing capacity of the common man. The Finance Minister has mentioned the difficulties of the cotton-industry, the jute industry and has also tried to help the sugar industry. There has been a trend in our industries to produce less in order to sell the output at higher rates. In the budget proposals presented by him during the last three years, the Finance Minister tried to give financial help to the industrialists. In each budget, attempt has been made to give away 80 to 85 crores of rupees to the millionare by way of reliefs.

There has been a reduction in the per-capita income. It was at Rs. 333.5 in 1961-65 and was reduced to Rs. 3 1 in 1967-68 and has further been reduced In 1968-69. The statement that the feed production has been raised is not correct. The per-capita feed production was 474 grams in 1965 which was reduced to 396 grams in 1967. The per capita feed production of 1968-69 was 45/ grams.

Similarly there has been a reduction in the manufacture of plants and machinery which stood at Rs. 29 crores 40 lakhs in 1965-66 and has come down to Rs 24 crores in 1968-69. It has been said that there has been no increase in prices. But it was not due to the prosperity of the people but on account of the decline in the purchasing capacity of the people. This year it is prepared to raise 618 crores of rupees; 105 crores by new taxation, 135 crores by small savings, 106 crores by loans, 22 crores by other sources and 250 crores by way of information. There is an additional expenditure of Rs. 44 crores only on planning. Thus an attempt has been made in this budget to check the development and also to restrict the big industries in this country. What can be the remedy to the problem of unemployment ? It is said that there are 88,000 unemployed engineers. How can the employment of tens of millions be checked without large scale expansion of industries ?

The proposal of taxation in the field of agriculture is unfortunate. It is a matter of interference by the Centre in the sphere of the States. The cultivators in this country have no right to crores of acres of land in India.

These agricultural land lords have formed a group of their own. They are most powerful people and are owners of thousands of acres of land. They do not know have to cultivate land. On one hand they misuse facilities, loans, and other help given by Government and on the other they indulge in black marketing of foodgrains. But actually these landless farmers & Harijans work-hard in the fields through out the year. These poor and powerless farmers can not meet even the bare necessities of life. You say the prices are coming down. You have created troubles after troubles for common man. The landlords have over powered our democracy. They are exploiting these poor and landless farmers and Harijans and they have not been allowed right from independence to cast their votes. I can even prove this in the case of Bihar. You do not give these landless farmers

the right of ownership of the land they cultivate. Instead you want to spoil Centre-State relations. Land should be taken away from the landlords and distributed to the farmers who work hard on it through out the year. But you do not want this and try to obstract the development of the country. If the plan is not developed and the production capacity is not increased the country will not make progress. Major stress is being given on sterilization which will not solve the problem of the Industries, the purchasing power of the poor and common man will not increase, Shri Sethi was speaking about the Public Sector Undertakings. But he is not impartial on this issue. These public enterprises are incurring loss to the Government and inconvenience to its workers. In such a condition these public sector undertakings are not expected to show any profits within two years In order to abolish the scheme of Public Sector Undertakings you say that they are incurring loss. Such arguments are given for the benefit of the capitalistis who are given concessions of hundreds of crores of rupees every year. May I know whether it is not surprising that the capital of the Birlas was Rs. 4 crores in 1947 and today the same has increased to about Rs. 600 crores. Every year you give them Public money. This issue was raised in the Rajya Sabha as well as here in this House but they have not guts and even perhaps power, to have an inquiry on this issue. I know that Birlas call the Finance Minister as their friend. Whenever any enquiry is made about their affairs the Birlas will not allow him to remain as Finance Minister and Deputy Prime Minister. Their capital is increasing 10 to 12 times, public money is being given to them from various Government sources, and the admirers of the Birlas raise their voice in this House that publi csector undertakings have proved unsuccessful. The Hon. Finance Minister has proposed new taxes in the Budget to bring equality. He has imposed new levies even on general consumption items, such cigarettes, sugar, oil, kerosene etc. Kerosene is now being sold in black market @ Rs. 2/- per Bottle in the areas where there is no electricity, which is too high a prices for the poor. But concessions in everything are being given to the Capitalists, every help is being rendered to them in the name of earning of foreign exchange; whereas these capitalists are using the foreign exchange for their private use Hon Finance Minister knows this fact very well. Jute was produced in large scale about six or seven years ago which resulted in the fall of price by 400 percent. The farmer had to bear the loss. Last year the Commercial Corporation in Bihar promised to render help to the farmers by purchasing only one percent out of a total production of Jute because they were under the influence of the capitalists and business community, who purchased the remaining 99 percent jute at a much lower price. The jute was sold @Rs.20/- to 25/- per maund instead of @Rs,60/- to 80/- per maund. The poor farmers became bankrupt, they stopped producing jute. The Capitalists asked to import the jute. This concession was given to the business community importing as well as exporting jute. I want to know whether any foreign exchange would be consumsed, they do not care for foreign exchange but they care only for the capitalists. I want to say that they do not care for the interests of the country.

About socialism, they just try to console themselves I want to say that they should be helpful in expanding the developing National Capitalism so that lakhs of the people may invest in the small Industries. The Ministers and Members do not invest in these small Industries. This has resulted in creating a new class or landlords. When we demand for nationalisation of the big Industries and land reformation we face the opposition of these Landlords. As a result the poor farmer and common man are being exploited because of the Government policies. As regards National Income, it is unfortunate that inspite of mineral resources and all other possibilities Bihar is the most backward state in terms of income. All India average per capita annual income comes to Rs. 422/-, in Punjab it is Rs. 575/- whereas in Bihar it is Rs. 299/- only. They are not inclined to allocate edequate funds to complete the Gandak River Project and west Kosi River Project in the near future. Therefore, corruption is being allowed to increase and because of this public

sector is being routed by the officers who are on the pay rolls of the capitalists. Government is not ready to take any serious action to check this corruption. It should be unfortunate not even for congress party but for the Finance Minister also that the principle of socialism is being jeopardised.

In the matter of with chasing Chief Minister in Bihar all sorts of tacties were used and even the defectors have been allowed to re-join congress. Sardar Harihar Singh defceted from Congress several times and has again re-joined it. He is alleged to have sold himself for a sum of Rs. 2000/- only. This fact was brought before Ayyar Commission and Shri Krishna Vallabh Sahai confirmed that he gave this amount to Sardar Harihar Singh who accepted the money. This can be proved by producing the Bank Cheques. Such persons are forming Government in Bihar. This Budget is routing our plans, bitting the common man and labour class and is giving concessions to big Capitalists.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Sir, I have been the budget paper and I can say that it is not a bad budget in its totality. It is an export-oriented budget. It provides for less of imports and more of exports. It will meet our foreign exchange requirements. One hundred crore of rupees will be collected through new taxes. The burden of these taxes will not fall on common people. A few items of common use like kerosene oil, petrol and sugar have been taxed. I think the deficit budget of this type is good for the country. Out of these one hundred crore rupees to be realized through taxes, 11 crore rupees will be realized through direct taxes, 80 crore rupees through excise duties and a crore rupees through custom duties.

If you want to boost exports, you will have to give some relief in excise duties to export-oriented industries like tea and jute. Similarly the tax should have not been imposed on things of common use like sugar, kerosene and petrol. The excise duty on the turkish towels being produced in Sholapur by powerlooms has been abnormally increased. So far each powerloom had to pay Rs. 25/- as excise duty annually while now each powerloom will have to pay a huge sum of Rs. 18,000. It is justified. In this connection I have received a number of telephones and delegations from Sholapur. I request the Government to reconsider it.

It is a fact that big industrialists from cities go to villages and buy agricultural land in order to escape taxes and to convert their black money into white money. This allurement wa due to the fact that agriculture was not subject to taxation. The tax on agriculture has been imposed with a view to put a check on big industrialists going in for agriculture to evade taxes. Though the Finance Minister has assured to consider as to how genuine agriculturists can be exempted from the purview of this measure and to move the necessary amendment to the Finance Bill at the appropriate time. Yet I am afraid that it will badly affect agricultural production in our country, which is on the increase these days. This measure will discourage the farmers to produce more. They will think that by producing more they will be taxed. On the one hand Government want to give intensive to agriculturists to produce more, on the other hand they are taking it away by imposing tax on inputs of agriculture. The burden of these taxes will be more on genuine farmers rather than those who adopt farming as a means to convert their black money into while money. It is good that the Finance Minister has imposed only 10 percent tax while the Planning Commission suggested for 15 per cent tax.

There has been a considerable increase in road transport on national highways in Maharashtra. All the highways are in bad condition there. The Central Government should give more funds to that State for the maintenance of national highways. Moreover, Maharashtra Government have submitted to Central Government some schemes of

drinking water for some villages. The union Government should consider them and help Maharashtra Government.

Now I would like to draw the attention of Government towards the threat of transport operators to go on country-wise strike on the 29th of this month. They are no doubt facing some problems Tubes and tyres have become too costly. Police harasses them unnecessarily. There is no system of inter-state transport licence and it causes inconvenience to them. They have to attend a number of Check posts. The roads are in bad condition on account of which their vehicles become unserviceable soon. Over all they are heavily taxed. I request the Government to look into all these things and to the needful to redress their grievances.

Further I would like to take up the case of Cooperative sugar factories. The number of sugar factories in private sector should not be allowed to increase at the cost of cooperative sugar factories. As the recovery from sugarcane in Maharashtra is very high, the Government should give financial help to the sugar factories in Maharashtra. If they are given proper facilities they will be able to produce as much sugar as will feed the domestic consumption as well as well as the export requirements.

I want to say a few words about Harijans who are being subjected to attrocities. In Maharashtra the neked Harijan women were forced to have a round of localities, in U P. two Harijan children were thrown in to a well. Recently the Chief of R. S. S. has made a very bad statement in this connection. I request the Government to take all such steps which are necessary to put a stop to people committing attrocities on Harijans.

Government should also give its attention to the widespread unemployment among the engineers. It is lamentable that if an Indian engineer suggests a new idea of change of design etc., he is bluntly told by the collaborators that they would not take the responsibility for performance and quality.

Lastly, we are acutely feeling the pancity of foreign exchange. While other countries are already earning a lot from the tourists, we have yet to exploit this source of income. Our earnings from this source are infinitesimal as compared to those of various other countries. Government should take prompt steps towards providing facilities to the tourists.

Dr. Surya Prakash Puri (Nawada) : Mr. Chairman Sir, the Finance Minister, while opening his speach said that he appeared before us only to perform the traditional role of a Sutrudhar.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

The way these players are enacting the drama is evident from the pervading discontent among the masses of the country. Even today there is object poverty in the villages of India. There is no provision of drinking water in the villages. Even now the agriculture depends on the vagaries of the monsoon. Government have so far done precious little to provide irrigational facilities to the farmers. Despite all these incapacities from which a farmer suffers at present, the Government wants to burden him with the property tax. It will work as a disincentive against the farmers who of late started taking active interest in the agriculture. The hon. Finance Minister tried to justify this move by saying that he wanted to check the inflow of black money into agriculture. I would like him to have an enquiry conducted into all the cases in

which Government officers have purchased lands and also whether they misused their powers. The present day farmer is already reeling under the weight of levy, loan and land revenue and to cast such revenous eyes on him would not be proper. In my constituency, even at present, 50,000 applications are pending for power connections for irrigational purposes.

I vehemently oppose the increase in excise duty on petrol, kerosene oil and diesel. The hon. Minister should also take necessary steps to ensure that the shopkeepers do not charge excess rates before the 1st April.

In the present day busy life the need for telephone is increasingly felt. Instead of increasing the charges of telephones, Government should give more and more telephone connections to augment its income from this source.

In U.P. and Bihar a number of sugar mills have been closed. Government should have further increased the duty on sugar as this would have put the closed mills into operation. But unfortunately this has not been done.

Today the biggest problem before us is that of unemployment among all categories of people. The Government should take necessary steps to introduce employment insurance. Apart from giving priority to agriculture, Government should take appropriate steps to create the atmosphere for the growth of small scale industries in the rural areas.

For the even development of the country it is essential that there should be harmonious relations between the centre and the State. Central grants should not be given on political considerations If this tendency continues, I am sure it will one day boomrang on the ruling party itself.

Precious little has been done in regard to health and education of the common man. It is imperative that Government should provide the educational facilities upto the higher secondary level to every citizen in all the states. Out of the 22 schools I have visited, 18 or 19 have no roofs or good floor to sit on Government should take steps to improve the conditions of such schools and provide for pension in the case of those teachers who are not getting pensions after retirement.

Government should frame a Central Health Service Scheme for the benefit of all the citizens. As the Budget has no such indication, I vehemently oppose it.

{ श्री रा. दो. भंडारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*. }

Shri Hem Raj (Kangra) : Mr. Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me an opportunity to speak on the budget. It is wrong to say that due to deficit financing provisions in the budget there is a danger of inflationary trend. The hon. Finance Minister has presented a realistic budget. The deficit finance will also be less than last year and there is no danger of any inflationary trend developing.

We have accepted the socialistic pattern of society. That is why voice is raised against monopolies in the industrial sector of the country. But in the agricultural

sector the prosperity that has come to rural India is limited only to some big landlords. The smaller land-ord or farmers have not benefited by it to any considerable extent. Therefore, the step to tax the agricultural wealth is in the right direction. It will affect only those few who are reaping the fruit and are turning black money into white. But the Finance Minister should not forget that black money is flowing to plantations also. Owners of these plantations are making a huge money. Tax should also be imposed on these plantations It will add to the revenue of the Government. Steps taken by the Finance Minister in this direction are commendable.

In this connection I would like to submit that the imposition of tax on fertilizers and pumping sets is going to hit hard the farmers. They will have to pay much more prices for these two items than that they were paying earlies for them. It is feared that they will not be able to stand this burden and therefore I request the hon, Finance Minister to reconsider this matter and take necessary steps to exclude this tax from the budget proposals

Excise duty is being imposed both, on the manufacture of soap and the materials used for its manufacture. I would request the hon. Minister that the excise duty should be imposed only at one stage i. e on the finished goods otherwise the consumers will have to bear heavy burden. It is very unfair to increase the rate of income tax on the income group between Rs. 10 to 15 thousand. They should be given some relief otherwise they will not be able even to maintain their present standard of living without adopting some corrupt means of income

The allowances of the Members of Parliament should be increasing so that they may not to adopt corrupt practices in order to keep up their standard of living.

Government have invested Rs. 3500 crores in Public Undertakings but these undertaking are running on a loss. Government should pay their attention towards these undertakings and also revise their policy in this regard. According to the recommendations of the Administrative Commission the policy in respect to these undertakings should be production oriented instead of present wage oriented policy. The capacity of these undertakings should be fully utilised and the workers should be provided with full work during working hours.

Now I would like to draw your attention towards the question of the Union Territories. The Finance Commission should be asked to go into the question of viability of the Union Territories in order to determine which of them should be given statehood. There is a large scope of reducing administrative expenditure in the Union Territories, but a large number employees have been thrust upon them by the Centre. The Territories have to meet that expenditure and then a plea is given that they are not economically viable and therefore they cannot be granted the status of a State. I therefore request the Government to look into the whole question and take necessary steps in this regard.

Further I would like to state that the production of tea per hectares in Uttar Pradesh, Bihar and Himachal Pradesh is 227 kilograms as compared to 1150 kilograms in Assam. Therefore, I urge the Government that in the matter of excise duty on tea, there should be a separate zone for these three States. Otherwise, the tea industry there would come to a sad end rendering thousands of labourers jobless.

Every year there is a talk of regional imbalances, but no industrial project has been set up in Himachal Pradesh during the last three five years Plans. There is the seat

irrigation and power project in Chamba, but that project has also been taken over by the Central Government with the result that Himachal will be deprived of the income accruing from it. I therefore request the Government that this project should be handed over to the Himachal Pradesh Government.

The hon. Finance Minister had himself seen the actual condition of Himachal Pradesh during his visit there. Now nearly 80,000 people of my own Tensil in Himachal Pradesh are going to be displaced as a result of construction of Rajasthan Canal to irrigate land in Rajasthan. The Rajasthan Government is unable to rehabilitate these people for want of funds. I, therefore, submit that the Central Government should take this responsibility.

There should not be any delay in granting the status of a full-fledged State to Himachal Pradesh so that conditions of Mizo Hills and Naga Hills may not develop there.

With these words I support the budget proposals,

Shri Shinkre (Panjim) : Mr. Chairman, without going in details about the budget proposals I will confine myself to some important points only. Goa, Daman and Diu are situated at a very big distance from one another and therefore clubbing them together as one Union Territory entails unnecessary administrative expenditure. I understand this territory is an unnatural territory. There is a constant demand from the people of Goa, Daman and Diu and Maharashtra to merge this territory with its neighbouring State Maharashtra. But it is a matter of regret that Government have not taken any steps in this regard so far. I beg to submit that small units such as Goa, Daman, Diu, Pondicherry, Karaikal and Yanam should be merged with the neighbouring States with a view to have economy and efficient administration

I would like to submit that we are passing through very difficult times. The disintegating forces are saising their heads in different regions. There is language dispute in the country. There are demands for a separate Telengana State in Andhra Pradesh and a Vidarbh State in Maharashtra. Such tendencies are very dangerous for the unity of a nation. Government should check such tendencies and such forces should not be allowed to raise their heads. The Union Territory of Manipur wants the status of a fullfledged State. Besides, there are other types of disintegrating forces at work. There are people who do not like the national anthem and instead preferred their own regional song. The other day a D. M. K. leader had suggested the creation of confederation of States, on in the South and other in the North. These are very serious matters which threaten the unity of the country. I understand that such things are going on in the country because of the absence of a strong and able leadership of the country. At this juncture, we need a leadership which can deliver the goods and strengthen the national unity.

The budget proposals relating to the industrial sector can bear fruit only if there is industrial peace in the country. To-day we see that certain forces trying to create unrest in industries. The country suffer a heavy loss due to lock-outs and strike in the industrial sector. Some sections condemn Shiv Sena for creating disturbance in the industrial sector. But it is absolutely wrong to do so. There was no lock-out or strike in Bombay last year whereas in other parts of the country industrial sector suffered a huge loss due to lock-outs and strikes.

Shiv Sena is a nationalist organisation and is help in maintaining peace in the industrial sector. The need of the time is that all efforts should be made to maintain industrial peace in the country.

Shri C. D. Gautam (Balaghat) : Mr. Chairman, the budget proposals have increased the burden on the farmer. We all know that India is an agricultural country and majority of her population are farmers. Therefore, the prosperity of the country depends upon the prosperity of the farmers. Tax should not have been imposed on land, Fertilisers, and pumping sets. There are two types of farmers. The first category is of old landlords. After the abolition of Zamindari system they might have purchased trucks etc. to enhance their incomes; and started busines. It may be possible that they might have installed a small mill. Then how you will impose tax on them ? The second category is of that businessman whose only profession is trade. But after earning ten or twenty lakhs he turns to farming and thus he saves income tax.

There are various agricultural problems which need attention. There are such ponds where there is no water. They are now in a dilapidated conditions Previously the landlords used to get them repaired but now no one pay attention to them and thus they are not fit for irrigation. So attention should be given for their repair.

In this way there question of small rivers. If barrages are constructed on them then the water can be used for irrigation. But when we put such barriers then the officers object it by saying that the Government land is being encroached. The farmers have to face such difficulties. The water is wasted for nothing and the farmer cannot utilize them for irrigation. The water which flows in our villages contains manure and it utilized it can be beneficial for farming. Besides this there is water in forests. It contains minerals and the production can be increased by utilizing it. If attention is given to these small things then the production can be increased.

The Government used to earn income in the form of income tax, sales tax, royalty in the profession of Manganese. But now the profession is declining and no export of manganese is taking place. The Manganese Ore India Company is incurring loss. The Government should decrease the export duty etc. so that the business in it may go on without any obstacles.

It is true that the farmers have acquired knowledge about the use of Fertilizers. But he should be cautious in utilising them. If the fertilizers are used without mixing the dung etc. Then it is not useful for farming so it is necessary to mix dung etc. in fertilizers to get the maximum benefit out of it.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : मैं आसाम राज्य, विशेषकर अपने काचार निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं तथा आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। आसाम की समस्याऐं बहुत हैं। पहाड़ी जिलों की समस्याओं के साथ-साथ वहां पाकिस्तानी घुसपैठियों की भी समस्या है।

अभी आसाम के मुख्य मन्त्री ने कहा था कि हमें सीमाओं के सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिए। नागा उपद्रवों के साथ-साथ मिजोओं की भी समस्या है।

मैने अपने पूर्व वक्तव्यों में यह सुझाव दिया था कि योजना आयोग को एक अध्ययन दल नियुक्त करना चाहिए जो आसाम के पहाड़ी जिलों की सामाजिक और आर्थिक विकास की

समस्याओं पर अपना प्रतिवेदन दे और साथ में एक संसदीय समिति की नियुक्ति के लिए भी कहा था जो पूर्वी भारत के सीमांत जिलों की विशेष समस्याओं के बारे में अध्ययन करे ताकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय इसको अधिक वास्तविक बनाया जा सके और उसमें आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जा सके। जहां तक मैं समझती हूं कि ऐसी कोई समिति अथवा अध्ययन दल का गठन नहीं किया गया है। मैं भारत सरकार को आसाम के अन्दर स्वायत्तशासी पहाड़ी जिले का निर्माण करने के लिए संविधान में संशोधन लाने के लिए बधाई देती हूं।

यह सोचना सही नहीं होगा कि संविधान संशोधन विधेयक लाने से ही आसाम के अन्दर स्वायत्तशासी पहाड़ी राज्य बनाने में सुलभता रहेगी। यह एक बड़ी सीमा तक सम्बन्धित लोगों पर निर्भर है कि वे इस परिवर्तन के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं।

राजनैतिक और आर्थिक आदि मामलों सम्बन्धी शिकायतें केवल पहाड़ी जिलों तक ही सीमित नहीं है। यह दुःख की बात है कि इस विधेयक में मैदानी इलाके के लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। जबकि देश के अन्य भागों मे रेलवे ग्रिड और बड़े राजमार्ग बनाए जा रहे हैं वहां काछर-मिजो क्षेत्र में छोटी रेलवे लाइन तथा हर मौसम में काम देने वाली बड़ी सड़कें बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तार्मडिगबदरपुर लाइन की स्थिति बहुत खराब है जबकि जोवाई-बदरपुर शिलांग सड़क की मरम्मत की आवश्यकता है. यह एक महत्वपूर्ण सड़क है क्योंकि इसके द्वारा ही दक्षिणी आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर का एक भाग शेष विश्व से जुड़ा हुआ है।

काचार मिजो क्षेत्र, जहां की जनसंख्या लगभग 20 लाख है, देश के शेष भाग से अलग है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों की परिवहन तथा संचार लाइनें काछर से होती हुई जाती हैं। अतएव क्षेत्र की सुरक्षा तथा आर्थिक जीवन को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्ण प्रदेश में स्थायित्व लाया जाये। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि एशिया में सबसे अधिक बांस वाले प्रदेश की आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की ओर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। खाद्य तथा कृषि संगठन के अनुसार मिजो जिले और उत्तरी काचार पहाड़ियों की क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 2,60,000 मीटरिक टन बांस उत्पादन की है। मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों का अनुमान है कि कागज बनाने के लिए यहां से पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल सकता है।

काचार में पर्याप्त मात्रा में पाये जाने वाले बांस रेयान गूदा और कागज गूदा बनाने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इस समय देश में रेयान श्रेणी के गूदा की बहुत मांग है और यह इसको पूरा भी कर सकता है, इस सम्बन्ध में शुरुआत काचार में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कागज और गूदा के कारखाने लगा कर की जा सकती है। मुझे आशा है कि भारत सरकार इस दिशा में शीघ्र कदम उठाकर प्रादेशिक असंतुलन को दूर करेंगी।

मैं इस सभा तथा सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने से कई कठिनाईयां पैदा हो गई हैं और इससे

देश की एकता को भी खतरा पैदा हो गया है। भविष्य में स्थिति ऐसी भी आ जाएगी जब एक भारतीय नागरिक को दूसरे से बात करने के लिए दुभाषिये की आवश्यकता पड़ेगी। इससे विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा में पाई जाने वाली सहूलियतों का अभाव होगा और एक स्नातकोत्तर डिग्री के विद्यार्थी को अन्य विश्वविद्यालयों में नौकरी ढूढ़ने में कठिनाई होगी। अतएव मैं सरकार का ध्यान इन खतरों की ओर दिलाना चाहती हूं जो तेजी के साथ विश्वविद्यालय में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के कारण आ रहे हैं।

आसाम में प्रादेशिक भाषा अपनाने के कारण वहां के बहुमुखी क्षेत्र के लोगों के हितों को धक्का पहुंचा है, गौहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय केवल आसामी भाषा को ही विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं हालांकि इन विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत अनेक भाषागत क्षेत्र आते हैं। गौहाटी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बंगाली भाषी काछर जिला आता है और वहां बंगाली भाषा को सरकारी भाषा का दर्जा मिला हुआ है। गत 28 जनवरी को गौहाटी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कहा था कि विश्वविद्यालय मैदानी जिलों में केवल आसामी भाषा में ही शिक्षा देगा और पहाड़ी जिलों के लिए केवल अंग्रेजी भाषा ही माध्यम रखी जाएगी। इस निर्णय से काचार में असंतोष तथा अनिश्चितता की भावना फैल गई है। सभा को याद होगा कि बंगाली भाषा को मान्यता दिलाने के लिए मई 1961 में एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह हुआ था और इसमें 11 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मैं यह चेतावनी देना चाहती हूं कि जब तक काछर की मान्यता प्राप्त भाषा को गौहाटी विश्वविद्यालय में आसामी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के समान मान्यता नहीं मिलती तब तक जनता शांत नहीं बैठेगी। भारत सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिए।

मेरा यह भी अनुरोध है कि सरकार विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम पर पुनर्विचार करे। अंग्रेजी भाषा न केवल देश की एकता को बनाए रख रही है अपितु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हम इसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं को रखना क्या आत्मघातक नहीं होगा ?

मैं चीनी और मिट्टी के तेल पर लगाए गए नए करों के बारे में भी कहना चाहती हूं। इससे आम आदमी प्रभावित होगा। मिट्टी का तेल हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता। हालांकि आसाम मिट्टी के तेल का उत्पादन करता है फिर भी वहां यह सुलभ नहीं है मेरा वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह चीनी और मिट्टी के तेल के मामले में आम आदमी को राहत दें।

मैं वित्त मन्त्री महोदय को चाय पर निर्यात शुल्क घटाने के लिए बधाई देती हूं। इससे कम से कम आसाम के लिए एक बड़ी राहत होगी। मेरे विचार में अविवाहितों को भारी आयकर देना पड़ता है। एक ओर सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर अविवाहितों पर भारी कर लगा रही है।

मेरा यह भी अनुरोध है कि उर्वरकों और पम्पों पर निर्यात शुल्क न लगाए जाएं क्योंकि इससे छोटे किसानों को धक्का लगेगा। उनको इस प्रकार प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और वे कम

उत्पादन करने को विवश हो जाएंगे । मैं कृषि आय-कर का समर्थन करती हूं परन्तु इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए जिससे छोटे किसानों को कृषि आय कर से छूट मिले ।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : It is imperative to examine the Budget of a country in the light of economic and other circumstances through which the country is passing. The present Budget, which our Hon. Finance Minister has presented, proves realistic and sound. It is a fact that the Budget is not liked by every one and there are some proposals in it which are controversial. I think that Hon. Minister should re-examine it. It is a fact that when the Finance Minister assumed his responsibility, the economic condition of the country was not in a good condition. The prices were going up and the production was also declining.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इसके बाद लोक-सभा बुधवार, 12 मार्च, 1969/21 फाल्गुन, 1890 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, March 12 1969/ Phalguna 21, 1890 (Saka).